ISSN : 2321-0443
UGC Care listed Journal

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

अंक – 78

(अप्रैल –जून 2023)

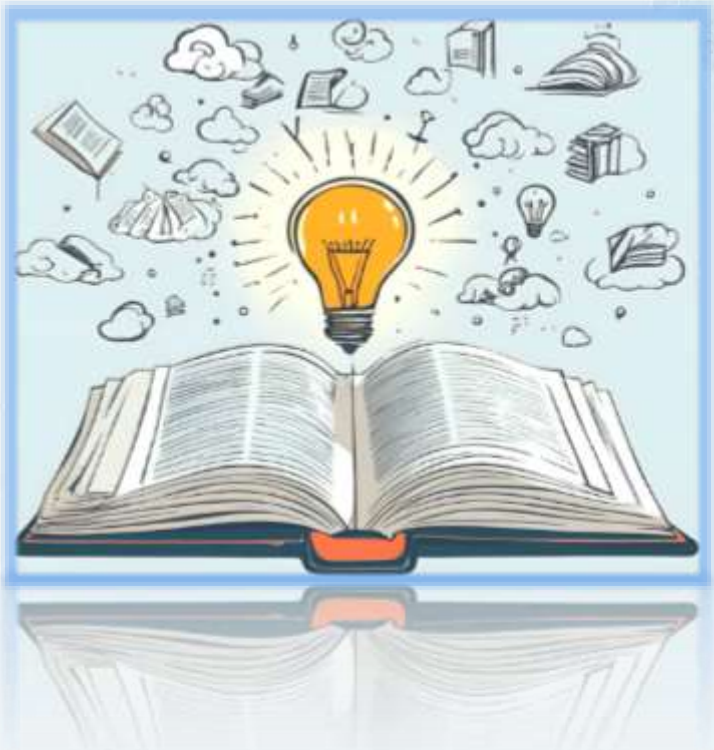

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY
MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
GOVERNMENT OF INDIA

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

अंक-78

अप्रैल-जून 2023

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

भारत सरकार

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY

MINISTRY OF EDUCATION

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

GOVERNMENT OF INDIA

ज्ञान गरिमा सिंधु 'मानविकी और सामाजिक विज्ञान' की एक त्रैमासिक पत्रिका है। पत्रिका का उद्देश्य है- भारतीय भाषाओँ के माध्यम से विश्वविद्यालयी एवं अन्य छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान संबंधी उपयोगी एवं अद्यतन पाठ्य पुस्तकीय तथा संपूरक साहित्य की प्रस्तुति। इसमें वैज्ञानिक लेख, शोध-लेख, तकनीकी निबंध, शब्द-संग्रह, शब्दावली- चर्चा, पुस्तक समीक्षा आदि का समावेश होता है।

लेखकों के लिए निर्देश-

1. लेख की सामग्री मौलिक, अप्रकाशित तथा प्रामाणिक होनी चाहिए।
2. लेख का विषय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विषयों से संबंधित होना चाहिए।
3. लेख सरल हों जिसे विद्यालय/ महाविद्यालय के छात्र आसानी से समझ सकें।
4. लेख लगभग 2000 से 3000 शब्दों का हो।
5. प्रकाशन हेतु विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट http://cstt.education.gov.in/ पर उपलब्ध है।

पत्रिका का शुल्क:	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा
सामान्य ग्राहकों/संस्थाओं के लिएप्रति अंक	Rs 14.00	पौंड 1.64 डॉलर 4.84
वार्षिक चन्दा	Rs 50.00	पौंड 5.83 डॉलर 18.00
विद्यार्थियों के लिए प्रति अंक	Rs 8.00	पौंड 0.93 डॉलर 10.80
वार्षिक चन्दा	Rs 30.00	पौंड 3.50 डॉलर 2.88

वेबसाइट : www.cstt.education.gov.in
कॉपीराइट : ©2022
प्रकाशक :
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
शिक्षा मंत्रालय,भारत सरकार
पश्चिमी खंड -7 ,रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली - 110066

बिक्री हेतु पत्र-व्यवहार का पता :
प्रभारी अधिकारी, बिक्री एकक
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
पश्चिमी खंड -7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066
टेलीफोन - (011) 20867172
फैक्स - (011) 26105211/246

बिक्री स्थान :
प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग
भारत सरकार,
सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इनसे संपादक मंडल की सहमति आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष की लेखनी से

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित ज्ञान गरिमा सिंधु का 77वां अंक पाठकों व लेखकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों के प्रतिपादन में हिंदी की मानक शब्दावली का प्रयोग करने वाली एकमात्र पत्रिका है। हालांकि हिंदी में मूल रूप से वैज्ञानिक लेखन करने वाले लेखकों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, तथापि विविध वैज्ञानिक पत्रिकाओं में 'ज्ञान गरिमा सिंधु' का अपना विशिष्ट स्थान है। पत्रिका के पाठक और लेखकों को विदित है कि 'ज्ञान गरिमा सिंधु' ज्ञान विज्ञान की अध्ययन सामग्री के अतिरिक्त मानक तकनीकी शब्दावली एवं उसके प्रयोग व प्रचार-प्रसार के प्रति भी कटिबद्ध है। अत: आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस पत्रिका के माध्यम से भविष्य में भी पाठकों को उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री निरंतर प्राप्त होती रहेगी।

यह संस्करण हमारी कठोर समीक्षा प्रक्रिया के कारण अलग है, जो UGC CARE सूची में सूचीबद्ध होने के लिए आवश्यक उच्च मानकों को बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। परिणामस्वरूप, हम केवल कुछ चुनिंदा शोधपत्र एवं लेख ही प्रकाशित कर पाए हैं जो इन कठोर मानदंडों को पूरा करते हैं।

इस अंक में शामिल शोधपत्रों में, हमें " भारत में आत्महत्या की प्रकृति और उसके कारणों का विषय-वस्तु विश्लेषण अध्ययन" शीर्षक से एक रोचक शोधपत्र को उजागर किया जा रहा है। यह शोधपत्र आत्महत्या के जटिल और संवेदनशील विषय पर गहनता से चर्चा करता है, तथा मूल्यवान अंतर्दृष्टि और विश्लेषण प्रदान करता है जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे को समझने में हमारी सहायता करते हैं।

इस रोचक शोधपत्र के अतिरिक्त , हमने कई अन्य लेख शामिल किए हैं जो कई विषयों और दृष्टिकोणों को उजागर करते हैं। इनमें से प्रत्येक योगदान को सावधानीपूर्वक चुना गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे हमारे प्रकाशन के उत्कृष्टता के मानकों को पूरा करते हैं।

हम भविष्य के अंकों के लिए और अधिक उच्च-गुणवत्ता वाले शोधपत्र प्राप्त करने के लिए आशान्वित और उत्साहित हैं। आपकी निरंतर सहायता और योगदान हमारी पत्रिका की अखंडता और प्रतिष्ठा को बनाए रखने में हमारी सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सभी पाठकों से अपेक्षा है कि वे पत्रिका के संबंध में अपने सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं से आयोग को अवगत कराते रहें ताकि पत्रिका में सुधार हो और इसकी स्वीकार्यता में निरंतर वृद्धि होती रहे। हम उन विद्वानों के प्रति अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने ज्ञान गरिमा सिंधु के इस अंक के लिए लेख भेजे हैं। भविष्य में भी विद्वान लेखकों से इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा रहेगी।

(प्रो.गिरीश नाथ झा)
अध्यक्ष

संपादकीय

'ज्ञान गरिमा सिंधु' के 78वें में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस अंक के माध्यम से समाज के विभिन्न मुद्दों पर अध्ययन और विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अंक में सम्मिलित किए गए शोधपत्र, लेख हमारे समाज, शिक्षा प्रणाली, भाषा और संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं।

भारत में आत्महत्या की प्रकृति और उसके कारणों का विषय-वस्तु विश्लेषण अध्ययन एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। यह अध्ययन आत्महत्या की प्रवृत्तियों और उसके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों का विश्लेषण करता है, जो हमारे समाज की जटिलताओं को समझने में महत्वपूर्ण है।

संगणकीय विश्लेषण के लिए संस्कृत कृत प्रत्ययों का पुनर्वर्गीकरण शोधपत्र भाषा विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के संगम का उदाहरण है। यह अध्ययन संस्कृत भाषा के प्रत्ययों को संगणकीय विश्लेषण के दृष्टिकोण से पुनर्वर्गीकृत करता है, जो भाषा प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

स्वतंत्रोत्तर भारत की शिक्षा नीतियों में निहित भाषा संबंधी विमर्श शिक्षा नीति और भाषा के महत्व पर केंद्रित है। यह लेख स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा नीतियों में भाषा के स्थान और उसके प्रभाव का विश्लेषण करता है, जो शिक्षा नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

भारतीय ज्ञान परंपरा की पृष्ठभूमि में उपनिषद कालीन शिक्षा के लक्ष्य एवं उनकी वर्तमान में उपयोगिता का अध्ययन एक ऐतिहासिक और प्रासंगिक शोधपत्र है। यह अध्ययन उपनिषद कालीन शिक्षा के लक्ष्यों और उनकी आधुनिक समाज में उपयोगिता का विश्लेषण करता है।

भाषा, मस्तिष्क एवं शिक्षण : आरंभिक पड़ताल भाषा और मस्तिष्क के संबंध पर केंद्रित है। यह लेख भाषा के अधिगम और मस्तिष्क के कार्यों के बीच संबंधों की शुरुआती पड़ताल करता है, जो शिक्षण विधियों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

भारतीय भाषाओं में शिक्षा एवं तकनीकी शब्दावली का महत्व लेख शिक्षा और तकनीकी शब्दावली के महत्व पर केंद्रित है। यह अध्ययन भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा के महत्व और उसकी उपयोगिता का विश्लेषण करता है। जून 2022 से जून 2023 तक आयोग की गतिविधियाँ - एक रिपोर्ट इस अवधि में आयोग की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट आयोग के द्वारा किए गए कार्यों और उनके प्रभावों का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करती है।

हम इस अवसर पर अपने सभी लेखकों और योगदानकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने अनुसंधान, विचार और अनुभवों को हमारे साथ साझा किया है। आपके अमूल्य योगदान ने इस अंक को समृद्ध और प्रभावी बनाया है। इसके साथ ही, हम अपने संपादक मंडल के सदस्यों का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव और समीक्षात्मक टिप्पणियों से इस अंक की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हम आशा करते हैं कि यह विशेषांक आपके ज्ञान और समझ को समृद्ध करेगा। हम आपके साथ मिलकर मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

(चकप्रम बिनोदिनी देवी)
सहायक निदेशक

परामर्श मंडल

प्रो. रजनीश शुक्ल अध्यक्ष
कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

प्रो. नागेश्वर राव सदस्य
निदेशक, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान
राष्ट्रपति निवास, शिमला-171005

प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी सदस्य
कुलपति, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

प्रो.राजेश्वरी पंढरीपांडे सदस्य
सेवानिवृत्त प्रो.अरबाना इलिनोइस विश्वविद्यालय शैम्पेन, यूएसए

प्रो. धनंजय कुमार सिंह सदस्य
सदस्य सचिव, आई.सी.एस.एस.आर., भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद,
नई दिल्ली -110067

प्रो. सच्चिदानंद मिश्र सदस्य
सदस्य-सचिव, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद
नई दिल्ली - 110 062

प्रो (डॉ.) रवि प्रकाश टेकचंदानी सदस्य
निदेशक, राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रचार परिषद, दिल्ली - 110066

डॉ. मिथिलेश मिश्र सदस्य
निदेशक,दक्षिण एशियाई भाषा समन्वयक
अरबाना - केंपेन इलिनोइस विश्वविद्यालय
अरबाना, आईएल 6180

प्रो. अनिल जोशी सदस्य
अध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी संसथान, आगरा

संपादन मंडल

प्रधान संपादक

प्रोफेसर गिरीश नाथ झा

अध्यक्ष

संपादक

श्रीमती चकप्रम बिनोदिनी देवी

सहायक निदेशक

संपादन समिति

डॉ. चित्रेश सोनी

सहायक प्रोफेसर, अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,नई दिल्ली

डॉ. लक्ष्मण प्रसाद सेमवाल

पूर्व संपादक 'हिमालय़ मैन एण्ड नेचर' एवं रिर्सच कन्सल्टेंट सीएसआरडी

जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. ज्योति

सहायक प्रोफेसर,स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज, जे.एन.यू नई दिल्ली-110067

डॉ. देवेन्द्र सिंह राजपूत

सहायक प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा

अनुक्रमाणिका

1.	अध्यक्ष की लेखनी से		ii
2.	संपादकीय		iii
3.	संपादन मंडल एवं समन्वय		iv
4.	परामर्श मंडल		v
5.	भारत में आत्महत्या की प्रकृति और उसके कारणों का विषय-वस्तु विश्लेषण अध्ययन	डॉ. अवनीश भाई पटेल	1
6.	संगणकीय विश्लेषण के लिए संस्कृत कृत प्रत्ययों का पुनर्वर्गीकरण	सुमित शर्मा एवं सुभाष चन्द्र	16
7.	स्वतंत्रोत्तर भारत की शिक्षा नीतियों में निहित भाषा संबंधी विमर्श	शुभम कुमार पति एवं ऋषभ कुमार मिश्र	23
8.	भारतीय ज्ञान परंपरा की पृष्ठभूमि में उपनिषद कालीन शिक्षा के लक्ष्य एवं उनकी वर्तमान में उपयोगिता का अध्ययन	डॉ. ललित मोहन जोशी	28
9.	भाषा, मस्तिष्क एवं शिक्षण : आरंभिक पड़ताल	डॉ. पतंजलि मिश्र	39
10.	भारतीय भाषाओं में शिक्षा एवं तकनीकी शब्दावली का महत्व	डॉ. सूर्य कुमारी पी	46
11.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और नवीन शिक्षा पद्धति	डॉ. धनंजय शर्मा	66
12.	नरेंद्र कोहली के महासमर उपन्यास में महाभारत के पात्रों का समतुल्य रूपांतरण	तरुण किशोर नौटियाल	75
13.	जून 2022 से जून 2023 तक आयोग की गतिविधियाँ - एक रिपोर्ट	सुश्री. मर्सी ललरोहलू हमार	83

भारत में आत्महत्या की प्रकृति और उसके कारणों का विषय-वस्तु विश्लेषण अध्ययन

डॉ. अवनीश भाई पटेल

सार संक्षेप: *21वीं सदी में मानव समाज विकास और प्रगति के साथ-साथ कई तरह की सामाजिक समस्याओं का भी सामना कर रहा है जिसमें आत्महत्या एक गंभीर समस्या है, जो एक विकराल रूप लेती जा रही है। आत्महत्या के बढ़ते हुए मामले समकालीन समाज के लिए चिंता का विषय है आत्महत्या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला ऐसा कृत्य है, जो उसकी मृत्यु के बाद उसके पारिवारिक सदस्यों के साथ-साथ अन्य लोगों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आज समाज में बहुत लोग तनाव, अवसाद और असंतुलन से प्रभावित होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य विसंगति सिद्धांत का उपयोग करके आत्महत्या की प्रकृति को समझना है। शोधकर्ता ने विषय-वस्तु विश्लेषण पद्धति का प्रस्तुत शोध में उपयोग किया है। वर्तमान शोध के लिए आत्महत्या से संबंधित सूचना विभिन्न भारतीय समाचार पत्रों में प्रकाशित घटनाओं से एकत्र की गई है। शोधकर्ता ने 1अक्टूबर, 2020 से 30 अप्रैल, 2021 के बीच उत्तर प्रदेश राज्य के समाचार पत्रों से आत्महत्या की 210 घटनाओं को एकत्र किया है। एकत्र सूचनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय समाज में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण जो विसंगति की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिसके कारण आत्महत्या जैसी घटनाएँ दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। समाज में तीन तरह की विसंगतियों के कारण आत्महत्या पनप रही हैं, जैसे व्यक्तिगत विसंगति के आधार पर, पारिवारिक विसंगति के आधार पर और सामाजिक विसंगति के आधार पर आत्महत्या का उद्भव हुआ है।*

मुख्य शब्द: आत्महत्या, आत्महत्या की प्रकृति विषय-वस्तु विश्लेषण, विसंगति सिद्धांत |

प्रस्तावना: इस संसार में यह अटल सत्य है कि जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित है लेकिन जब कोई व्यक्ति इस अटल सत्य के विरुद्ध जाकर अपने जीवन को समाप्त करने के विषय में सोचता है, तो वह आत्महत्या की ओर प्रेरित होता है। आत्महत्या जीवन से पलायन का वह डरावना सत्य है जो सुनने वाले, देखने वाले और महसूस करने वाले के दिल को दहलाता है, डराता है, खौफ़ पैदा करता है और दर्द देता है (शुक्ला, 2020)। लेकिन यह बड़े दुःख की बात है कि आत्महत्या का यह डरावना सत्य समकालीन मानव समाज में एक गंभीर त्रासदी का रूप लेकर विकराल होता जा रहा है। आत्महत्या की समस्या एक जन स्वास्थ्य और सामाजिक ढांचे से संबंधित समस्या है, जो प्रत्येक व्यक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करके उसकी भावनाओं को आहत करती है। जहाँ एक तरफ पिछले तीन-चार दशकों में मानव समाज ने वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति करके विकास के नए मापदंड स्थापित किये हैं, मानव जीवन को सुविधावादी और भौतिकवादी बनाया है (जमुना, 2000; जोशी, 2021)। वहीं दूसरी तरफ सुविधावादी और भौतिकवादी जीवन ने मानव में तनाव, अवसाद और सामाजिक असंतुलन को बढ़ावा दिया है (गर्ग, 2019; जोशी, 2021)। आज के इस बदलते सामाजिक परिवेश में व्यक्ति की मनोवृत्ति सुविधावादी और भौतिकवादी हो गयी है, जिसको पूरा करने के लिए वह सारे प्रयास करता है। जब सुविधावादी और भौतिकवादी मनोवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुँचती है और उसे पूरा करने के लिए

व्यक्ति साधन नहीं जुटा पाता है, तब कुंठित और तनावग्रस्त व्यक्ति को अंतिम समाधान आत्महत्या में ही दिखता है (गर्ग, 2019)। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने मनुष्य को सुविधा और आरामदायी जीवन तो प्रदान किया है लेकिन उससे उसकी मानवीयता और सामाजिक संतुलन छीन लिया है (गर्ग, 2019)। परिणामस्वरूप आज मनुष्य अलगाव और भटकाव के अन्धकार में जाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है।

आत्महत्या के द्वारा की गयी प्रत्येक मृत्यु एक निजी त्रासदी है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को असमय समाप्त कर देती है, जो पारिवारिक और सामाजिक जीवन को नकारात्मक रूप से निरंतर प्रभावित करती है (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, 2020 (एन.सी.आर.बी.)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (2020) के अनुसार हर साल दुनिया भर में लगभग 80 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। दक्षिण एशिया में 2.58 लाख मौतों का कारण आत्महत्या है जहाँ हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है (विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O.), 2020)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (2020) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया है कि भारत में आत्महत्या की दर दक्षिण-पूर्व एशिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक है, क्योंकि भारत में प्रति 10 हजार लोगों पर आत्महत्या की मृत्यु दर 16.5 प्रतिशत है जबकि वैश्विक औसत 10.5 प्रतिशत प्रति 10 हजार लोग हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (2017) के अनुसार श्रीलंका में आत्महत्या की दर 14.6 प्रतिशत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में दूसरे स्थान पर है और थाईलैंड में आत्महत्या की दर 14.4 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि लेसोथो (24.4%) और कोरिया गणराज्य (15.4%) के बाद भारत दुनिया में महिला आत्महत्या दर (14.7%) तीसरे स्थान पर सबसे अधिक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) (2020) ने आत्महत्या पर किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में बताया है कि भारत में 2000 से 2020 तक लगभग 25.29 लाख लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (2020) ने बताया कि 2020 में भारत में आत्महत्या के 15.31 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में प्रतिदिन आत्महत्या के लगभग 418 मामले दर्ज किए जाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (2020) ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि वर्ष 2020 में सबसे अधिक आत्महत्या के मामले महाराष्ट्र में (19909) दर्ज किए गए, जिसके बाद तमिलनाडु में 16883, मध्य प्रदेश में 14578, पश्चिम बंगाल में 13103 और कर्नाटक में 12259 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी (2020) के अनुसार भारत में आत्महत्या के प्रमुख कारण दुर्व्यवहार, शराब की लत, पुरानी बीमारियाँ, पारिवारिक मुद्दे, अकेलापन, वित्तीय नुकसान, मानसिक बीमारियाँ, पेशेवर मुद्दे और अन्य कारक हैं।

पिछले 10 वर्षों में आत्महत्या की समस्या ने देश के सामाजिक वैज्ञानिकों; (कुमार और अन्य, 2013; राणे और नाडकर्णी, 2014; रवि, 2015; पोन्नुदुरई, 2015; मेनन और अन्य, 2018; आर्मस्ट्रांग और विजयकुमार, 2018; डंडोना और अन्य, 2018; नाइप, 2020; स्वैन और अन्य, 2021) को अध्ययन करने के लिए आकर्षित किया है। इन अध्ययनों के माध्यम से आत्महत्या की प्रकृति, कारणों और प्रभावों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया है, इसे समकालीन भारतीय समाज की एक गंभीर समस्या के रूप में देखा गया है। इन अध्ययनों से स्पष्ट है कि आत्महत्या समकालीन भारतीय समाज में गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि हर उम्र और हर वर्ग के लोग विभिन्न समस्याओं से ग्रसित होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दिन प्रति दिन हमारे देश में आत्महत्या के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में आत्महत्या के कारणों और परिणामों को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से आत्महत्या पर कई अध्ययन किए गए हैं। हालाँकि, बहुत कम अध्ययनों ने इस मुद्दे को बहु-आयामी दृष्टिकोण से देखा है। आत्महत्या का कोई एक कारण नहीं है, जिसके कारण व्यक्ति आत्महत्या करता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह व्यक्ति व्यक्तिगत कारकों के साथ-साथ सामाजिक कारकों से भी प्रभावित होता है जो

उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं। प्रस्तुत शोध विसंगति सिद्धांत के द्वारा आत्महत्या के निर्धारक कारकों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है और आत्महत्या की प्रकृति को समझने की कोशिश करता है।

आत्महत्या का विसंगति सिद्धांत (Anomie Theory): विसंगति सिद्धांत समाज की आदर्शहीनता की स्थिति के सन्दर्भ में समाजशास्त्री दुर्खीम के द्वारा दिया गया था (दुर्खीम, 1951)। दुर्खीम ने कहा था कि समाज में विसंगति की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, या राजनीतिक ढांचे में तीव्र बदलाव के कारण उभरती है (दुर्खीम, 1951; क्रॉसमैन, 2020)। दुर्खीम के अनुसार, यह समाज में एक संक्रमणकालीन स्थिति होती है, जिसमें समाज में तेजी से बदलाव के कारण सामाजिक एकीकरण (Social Integration) और सामाजिक विनियमन (Social Regulation) कमजोर हो जाते हैं (दुर्खीम, 1951)। समाज में तेजी से हो रहे बदलाव सामाजिक एकीकरण और विनियमन को कमजोर कर रहे हैं, जिससे व्यक्ति का सूक्ष्म या व्यक्तिगत स्तर और बृहद् या सामाजिक स्तर पर सामाजिक लगाव (Social Bonding) को परिवार और समाज से धीरे-धीरे समाप्त करने लगता है। ये बदलाव परिवार और समाज में एक आदर्शविहीन या असामान्य स्थिति पैदा करने लगते हैं जिसके वजह से व्यक्ति में व्यक्तिगत स्तर या सामाजिक स्तर पर चिंता, भय, क्रोध, हताशा, असहायता, अलगाव और अफवाह जैसा माहौल बनता है, जो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाते हैं (मामुन एंड ग्रिफिथ्स, 2020)। भारत में आत्महत्या की प्रकृति और समस्या को आरेख (आरेख 1) के माध्यम से समझा जा सकता है।

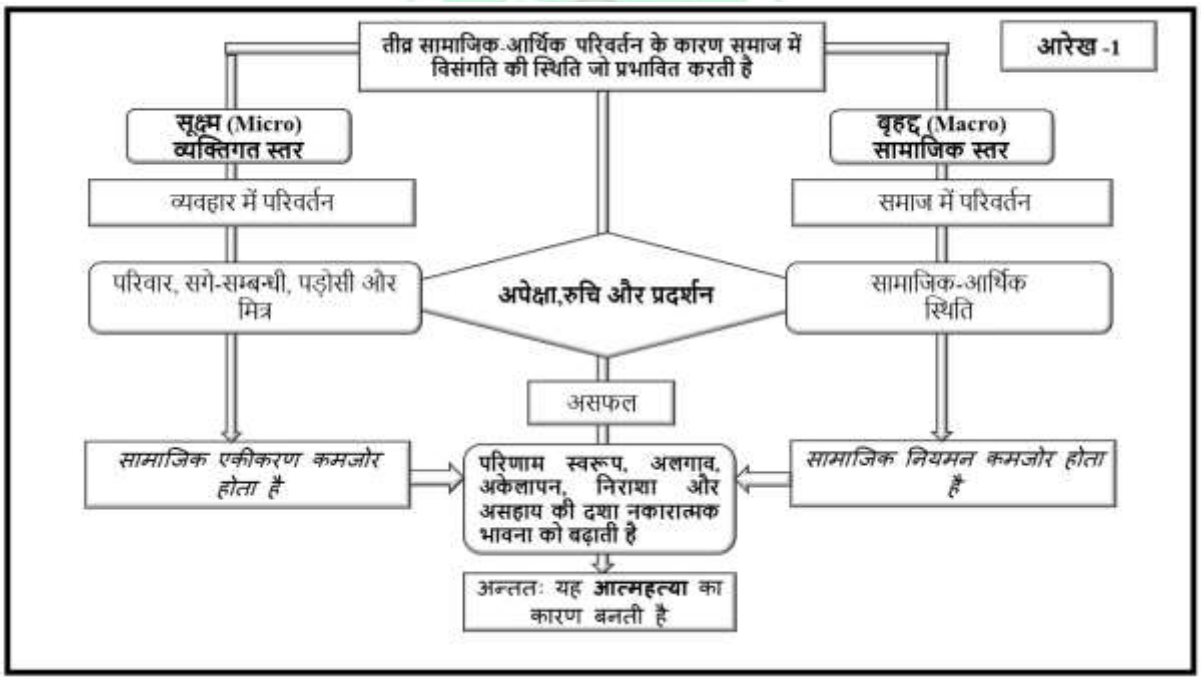

सूक्ष्म या व्यक्तिगत स्तर (Micro-Level): आत्महत्या की समस्या को विसंगति सिद्धांत के अंतर्गत सूक्ष्म या व्यक्तिगत स्तर से समझा जा सकता है। जब किसी समाज में कोई परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन के अनुरूप व्यक्ति को परिवार और पड़ोस में अपने व्यवहार को ढालना पड़ता है, जो व्यक्ति के भावनात्मक एकीकरण (Emotional Integration) को लोगों के साथ मजबूत करता है (खान, 2004; पटेल, 2021)। इस मजबूत एकीकरण के कारण ही व्यक्ति का लोगों के साथ लगाव बढ़ता है तो वह सामाजिक क्रिया-कलापों में अपने आप को समायोजित कर लेता है (विक्टर, 2005; पटेल और मिश्रा, 2018)। लेकिन जब व्यक्ति समाज में हो रहे परिवर्तनों

के अनुरूप अपने व्यवहार को बदल नहीं पाता है तब उसका परिवार और पड़ोस के लोगों से लगाव समाप्त हो जाता है, परिणामस्वरूप सामाजिक क्रिया-कलापों में भागीदारी कम हो जाती है।

जब लोग अपने आपको बदलते सामाजिक परिवेश के अनुसार बदल नहीं पाते हैं, तब उनका सामाजिक नियमन से विश्वास उठने लगता है। इसके अलावा लोगों के बदलते सामाजिक परिवेश के अनुसार उनकी जरूरते बदलने लगती हैं। इन जरूरतों को प्राप्त करने के लिए लोग अपनी अपेक्षा, रुचि और प्रदर्शन के अनुसार मेहनत करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति को अपनी अपेक्षा, रुचि और प्रदर्शन के अनुसार लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, तब वह कुंठित और असहाय हो जाता है और उसके जीवन में निराशा आ जाती है। कभी-कभी परिवार और समाज में असफल होने के कारण अपमान भी सहना पड़ता है। किंतु जब वह अपनी निराशा को दूर नहीं कर पाता है और उसे कोई समझने वाला नहीं मिलता है, तो वह विचलित हो कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है।

बृहत या सामाजिक स्तर (Macro-Level): विसंगति सिद्धांत के अंतर्गत बृहद् या सामाजिक स्तर के आधार पर हम किसी भी सामाजिक समस्या को सम्पूर्ण समाज के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। बृहद् स्तर के अनुसार, समाज में होने वाले सामाजिक-आर्थिक विकास के कारण सामाजिक विनियमन प्रभावित होता है। यह प्रभाव सामाजिक संरचना एवं मूल्य प्रणाली को असंतुलित करता है। जब सामाजिक संरचना एवं मूल्य प्रणाली में ये परिवर्तन होते हैं तो उसका प्रभाव व्यक्ति के पारिवारिक जीवन के साथ-साथ उसके सामाजिक जीवन पर भी पड़ने लगता है। समकालीन समय में सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में तीव्र गति से परिवर्तन हुआ है, जिसका सामाजिक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन परिवर्तनों ने पारंपरिक सामाजिक संरचना एवं मूल्य प्रणाली को प्रभावित किया है। इसके कारण पारिवारिक व्यवस्था के विघटन के परिणामस्वरूप सामाजिक नियमन कमजोर हुआ है जिससे समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है (खान, 2004; पटेल और मिश्रा, 2018)। यही कारण है कि परिवार, समाज की संरचनात्मक और कार्यात्मक प्रणाली में परिवर्तन के कारण व्यक्तिवाद व भौतिकवाद को बढ़ावा मिल रहा है (खान, 2004; विक्टर, 2005)। सामाजिक-आर्थिक बदलावों का लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है और लोग अक्सर अपने व्यवहार को तदनुसार समायोजित कर लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग अपनी पारंपरिक जीवन शैली से अलग होने में असमर्थ होते हैं और वे बदलते सामाजिक परिवेश की सामाजिक संरचना और मूल्य प्रणाली में खुद को पूरी तरह से समायोजित नहीं कर पाते हैं। जब कोई व्यक्ति बदलते सामाजिक परिवेश के अनुसार खुद को बदलने में असमर्थ होता है तो वह सामाजिक नियमन में विश्वास खोना शुरू कर देता है। इसके अलावा व्यक्ति के बदलते सामाजिक परिवेश के अनुसार उसकी जरूरतें भी बदलने लगती हैं। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए वह अपनी अपेक्षा, रुचि और सामर्थ्य के अनुसार काम करता है। लेकिन जब उसे अपनी अपेक्षा, रुचि और सामर्थ्य के अनुसार लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, तो वह निराश और असहाय हो जाता है। इसी कारण वह सामाजिक एकीकरण और सामाजिक नियमन से विचलित होकर आत्महत्या के लिए मजबूर होता है।

शोध विधि: प्रस्तुत शोध पत्र में विषयवस्तु विश्लेषण (Content Analysis) विधि का प्रयोग किया गया है। इस विधि में एक शोधकर्ता अभिलेखों, पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और शोध पत्रों आदि से प्राप्त द्वितीयक आकड़ों और द्वितीयक माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण गुणात्मक (Qualitative) और मात्रात्मक (Quantitative) विधि से करता है (एलो और किनिगास, 2008)।

प्रस्तुत अध्ययन में विषयवस्तु विश्लेषण का उद्देश्य: प्रस्तुत शोध में विषय वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित समयावधि के भीतर हुए आत्महत्या के मामलों की प्रवृत्ति को समझना तथा समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को पढ़कर उनका वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन करना है। भारत के समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रत्येक दिन आत्महत्या के मामले दर्ज किए जाते हैं एवं समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के सम्पादकीय पृष्ठों पर

आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को समाज वैज्ञानिक, कानून विशेषज्ञ और विद्वान लोग वैज्ञानिक तथ्यों के साथ प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा आत्महत्या जैसा मुद्दा भारत में बहुत संवेदनशील है, लोग इसे आत्महत्या को कलंक (Stigma) से जोड़कर कर देखते हैं। इस कारण इस मुद्दे से प्रभावित लोगों के परिवार के लोग खुलकर आत्महत्या के कारणों पर बात नहीं करते हैं जिससे एक शोधकर्ता को आत्महत्या पर प्राथमिक सर्वेक्षण (Primary Survey) करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.) से आत्महत्या के जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, उनमें देश के सभी जिलों के आत्महत्या के आंकड़ों को नहीं दर्शाया जाता है। इस कारण से जब एक शोधकर्ता किसी एक विशेष जिले में आत्महत्या पर अध्ययन करना चाहता है तो उसे उस जिले के स्तर पर आत्महत्या सम्बंधी सूचना नहीं मिलती है। लेकिन जब एक शोधकर्ता समाचार पत्रों के माध्यम से आत्महत्या के आंकड़ों को एकत्रित करता है तो उसे आसानी से आंकड़ें प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए शोध कर्ता ने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं से आत्महत्या एवं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सम्पादकीय लेखों एवं प्रति दिन हो रही आत्महत्या की ख़बरों का अवलोकन करके आंकड़े एकत्र किए हैं और उनका विश्लेषण विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से किया है।

आंकड़ा संकलन की प्रक्रिया: शोधकर्ता ने आत्महत्या के अध्ययन के लिए आंकड़ें अक्टूबर 2020 के पहले सप्ताह में एकत्र करना प्रारम्भ किया। आत्महत्या कर रहे लोगों के बारे में शोधकर्ता ने अपने पड़ोस में पारिवारिक समस्याओं, गरीबी, बेरोजगारी और पुरानी बीमारियों आदि कारणों की जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करके अध्ययन किया है। एक घटना के रूप में आत्महत्या के इन मामलों को शोधकर्ता ने दैनिक समाचार पत्रों को पढ़कर नियमित रूप से आंकड़ें एकत्र करना प्रारम्भ कर किया। शोधकर्ता ने 1 अक्टूबर, 2020 से 30 अप्रैल, 2021 के बीच हिंदी के समाचार पत्रों (अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जनसत्ता और हिन्दुस्तान) एवं अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों (हिंदुस्तान टाइम्स तथा द टाइम्स ऑफ इंडिया) के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है। शोधकर्ता ने आत्महत्या की इन घटनाओं को चार मदों (Items) में वर्गीकृत किया गया है जैसे कि पीड़ित का लिंग, आत्महत्या की प्रकृति, आत्महत्या की जगह और आत्महत्या का कारण। शोधकर्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य के समाचार पत्रों से आत्महत्या की 210 घटनाओं को एकत्रित किया जिनका विवरण तालिका1-2) और चित्र (1-2) में प्रस्तुत है। आरेख 2 से हम शोध विधि और आंकड़ा संकलन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं।

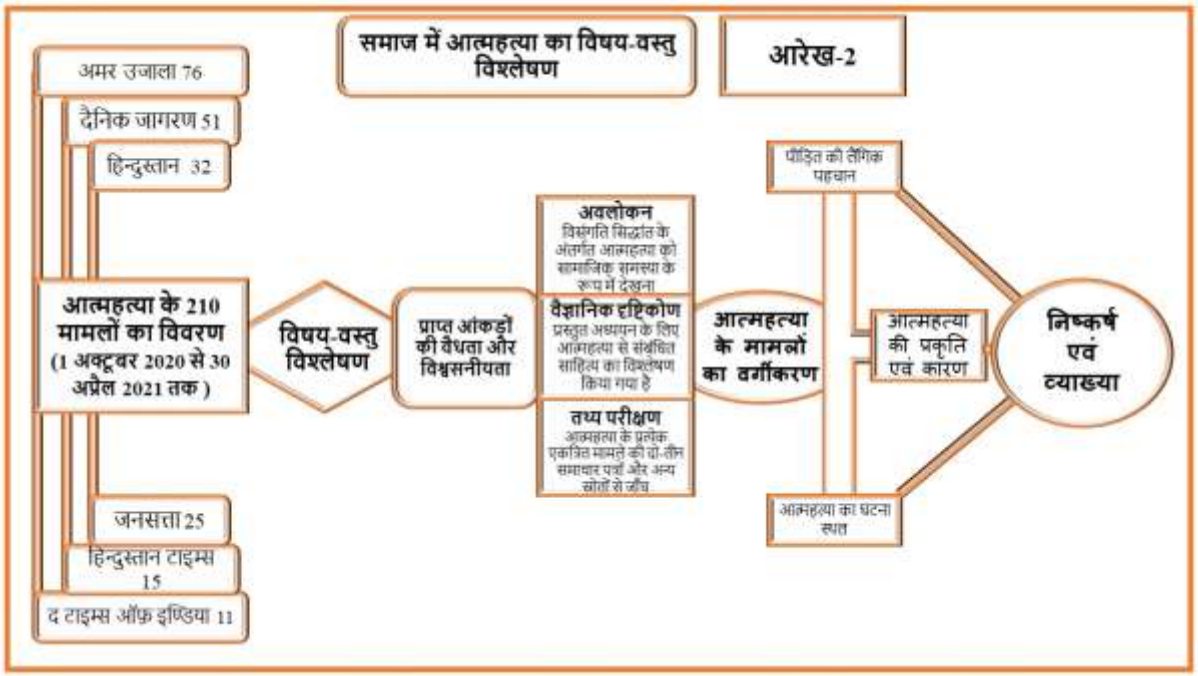

निष्कर्ष एवं व्याख्या

आत्महत्या का घटना स्थल: तालिका -1 से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों (42.86%) की तुलना में शहरी क्षेत्रों (57.14%) में आत्महत्या की घटनाएँ अधिक हुई हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक भीड़भाड़ और सामाजिक अलगाव और अकेलापन (Social Isolation) जैसे शहरी दबावों के कारण आत्महत्या की घटनाएं होने की अधिक संभावना होती हैं (राधाकृष्णन और एंड्रेड, 2012)। हालांकि, हाल ही में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि ग्रामीण इलाकों में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस अध्ययन में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ आत्महत्या की दर 50.1% है, वहीं शहरी क्षेत्रों में आत्महत्या की दर 49.9% है जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आत्महत्या की दर में १% से कम का अंतर है (सिंह और अन्य, 2020)। इस अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों में पहले जो भी सामाजिक समस्याएँ (सामाजिक अलगाव और अकेलापन, सामाज में अकेले रहना एवं सामाजिक समर्थन की कमी, संयुक्त परिवारों का कमजोर होना और मानसिक बीमारी) आत्महत्या का कारण थीं। ये समस्याएँ समकालीन समय में ग्रामीण जीवन शैली की ओर तेजी से बढ़ रही हैं और नकारात्मक रूप से ग्रामीण जीवनशैली को प्रभावित कर रही हैं।

पीड़ित की लैंगिक पहचान: तालिका 2 से स्पष्ट है कि आत्महत्या की कुल 210 घटनाओं में से 133 (63.33%) पुरुषों ने और 77 (36.67%) महिलाओं ने खुदखुशी करके अपने जीवन को समाप्त किया है । प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच होने वाली आत्महत्या की संख्या में एक बड़ा अंतर है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) (2020) के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में जहाँ 700 महिलाओं की मौत आत्महत्या से हुई, वहीं पुरुषों का आंकड़ा 131% अधिक था, जिसमें 1,622 पुरुषों की मौतें आत्महत्या से हुई थी। एक अध्ययन से पता चलता है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों को सामाजिक कलंक (Social Stigma) का डर अधिक रहता है जिसके कारण वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होती हैं (घोष, 2021)। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आत्महत्या का प्रयास करने की अधिक संभावना होती हैं (घोष, 2021)। पूरे विश्व में आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में दोगुने से अधिक है (रिची और अन्य, 2022)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O.) (2019) के अनुसार पूरे विश्व में महिलाओं (7.5 प्रति 100000) की तुलना में पुरुषों में आत्महत्या की दर (13.7 प्रति 10 हजार पर) अधिक थी। इसके अलावा, एक अध्ययन में पाया गया है कि बेहतर सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले पुरुषों की तुलना में कम सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले पुरुषों में आत्महत्या करने की संभावना दस गुना अधिक होती है (वाल्टन, 2012)।

तालिका 2 - पीड़ित की लैंगिक पहचान

पीड़ित की लैंगिक पहचान	मामलों की संख्या	प्रतिशत (%)
पुरुष	133	63.33
महिला	77	36.67
कुल संख्या	210	

आत्महत्या की प्रकृति एवं कारण: वर्तमान अध्ययन (चित्र-1) में पाया गया है कि बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश में व्यक्तिगत विसंगति आधारित आत्महत्याएँ, पारिवारिक विसंगति आधारित आत्महत्याएँ और सामाजिक विसंगति आधारित आत्महत्याएँ समाज में आदर्शविहीनता या विसंगति के कारण उत्पन्न हुई हैं। आत्महत्या की इन प्रकृतियों का वर्गीकरण शोधकर्ता ने आत्महत्या के कारणों के आधार पर किया है। अध्ययन में पाया गया है (चित्र-2) कि आत्महत्या के अधिकांश मामले व्यक्तिगत विसंगति (36.67%) के कारण जैसे कुंठा, प्रेम-प्रसंग, शराब की लत और गंभीर बीमारी हैं। पारिवारिक विसंगति (32.38%) के कारण जैसे पारिवारिक समस्याएँ, गरीबी, कर्ज, और डाट-फटकार से प्रभावित होकर भी लोगों ने आत्महत्या की हैं। सामाजिक विसंगति (21.43%) की वजह से भी लोगों ने आत्महत्या की है, जिसके कारणों में उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार आदि कारण पाए गए हैं। जबकि आत्महत्या के 9.52% मामलों में आत्महत्या की प्रकृति के कारणों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है।

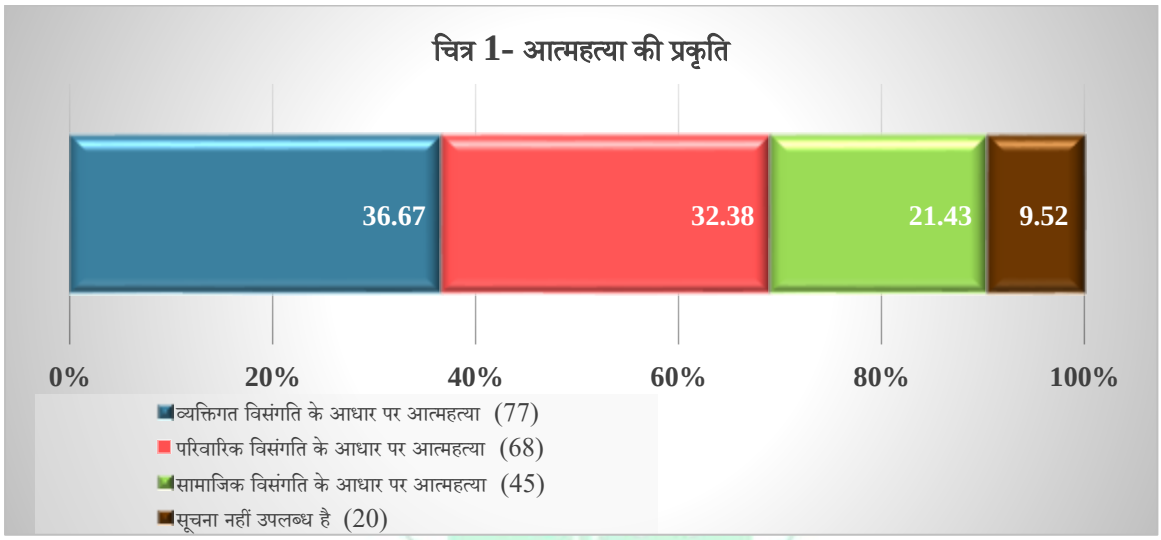

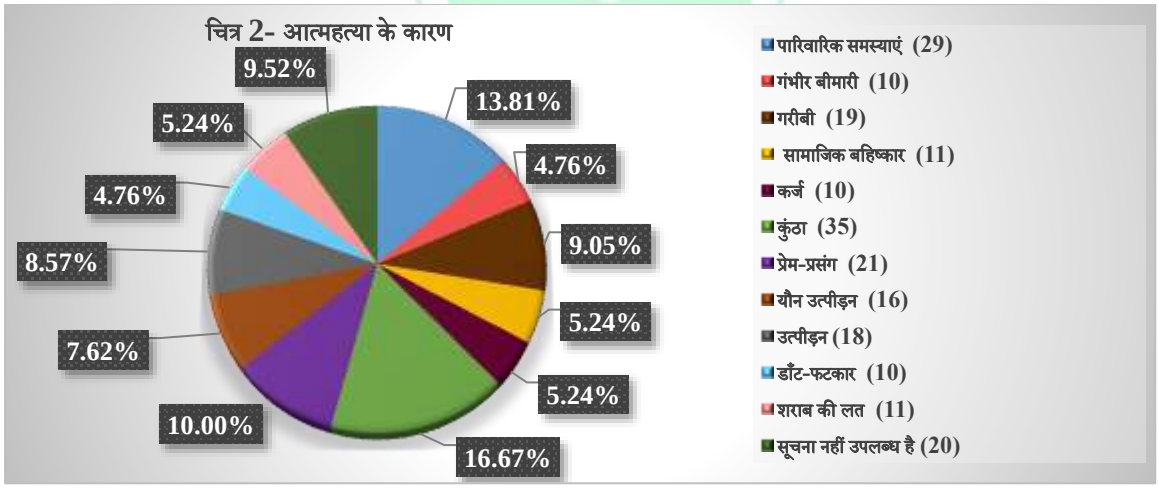

व्यक्तिगत विसंगति के आधार पर आत्महत्या: व्यक्तिगत विसंगति समाज में किसी व्यक्ति विशेष की किसी व्यक्तिगत समस्या से सम्बंधित है, जो व्यक्ति के सम्मुख तीव्र सामाजिक परिवर्तन और अवांछित घटनाओं के दुष्प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति इन दुष्प्रभावों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने में असमर्थ होता है, तो वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में आत्महत्या की प्रकृति को समकालीन समाज में होने वाली आत्महत्या को व्यक्तिगत विसंगति के कारणों रूप में समझा जा सकता है। शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में पाया है कि 36.67% लोगों में आत्महत्या की प्रकृति व्यक्तिगत विसंगति की थी। न्यूज़ कंटेंट का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि जिन लोगों में आत्महत्या की प्रकृति व्यक्तिगत थी, वे लोग कुंठा (16.67%), प्रेम-प्रसंग (10.00%), शराब की लत (5.24%), व बीमारी (4.76%) जैसी समस्याओं से पीड़ित थे।

कई समाज वैज्ञानिकों (मावरर, 1941; पांडे, 1985; मूर, 2019) ने भी माना है कि जब एक व्यक्ति समाज की बदलती परिस्थतियों में घिर जाता है और जिसमें वह अपनी भूमिका को लेकर असमंजस में पड़ जाता है वह न तो भूमिका में और न अपने कार्यों में एक मत रख पाता है साथ ही सामाजिक संबंधों में अस्थिरता होने से वह अपने आप को कमजोर महसूस करता है। ऐसी असंतुलन की परिस्थिति उसे व्यक्तिगत विसंगति की ओर ले जाती है, जिस वजह से वह व्यक्तिगत विघटन से पीड़ित हो जाता है।

अपने अध्ययन में शोधकर्ता ने न्यूज़ कंटेंट का विश्लेषण करते हुए पाया कि जिन समस्याओं से ग्रसित होकर लोगों ने आत्महत्या की हैं, उन समस्याओं का स्वरूप वैयक्तिक था। उदाहरण के तौर पर न्यूज़ कंटेंट के आधार पर आत्महत्या की चार प्रमुख घटनाओं को देख सकते हैं, जिनमें एक व्यक्ति विशेष ने कुंठा, प्रेम-प्रसंग, शराब की लत व बीमारी के कारण आत्महत्या की थी।

घटना 1: पेड़ पर लटकी मिली लाश, सामने आई आत्महत्या की यह बड़ी वजह (अमर उजाला, 25 जनवरी, 2021): इस घटना में पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि व्यक्ति की रात में अपनी पत्नी से किसी बात पर झगड़ा हुआ था। गुस्से में आकर व्यक्ति ने घर पर ही शराब पी, घर से निकल गया। सुबह लोगों ने व्यक्ति की लाश को पेड़ पर लटके हुए देखा और परिवार को सूचना दी।

घटना 2: फंदे पर लटक रहा था युवक का शव, 50 मीटर दूर मृत मिली प्रेमिका (अमर उजाला, 28 फरवरी, 2021): इस घटना में पाया गया कि गाँव के एक लड़के का उसी गाँव की एक लड़की से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों के परिवार उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि लड़का व लड़की अलग-अलग जाति के थे। जब दोनों के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो दु:खी होकर दोनों ने आत्महत्या कर ली।

घटना 3: कैंसर पीड़ित ने लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मरकर की आत्महत्या (अमर उजाला, 4 मार्च, 2021): इस घटना में पाया गया कि व्यक्ति काफी दिनों से कैंसर से पीड़ित था, जिसका इलाज चल रहा था। लेकिन वह कई दिनों से दर्द से पीड़ित था। जब उससे दर्द सहन न हो सका तो उसने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

घटना 4: कारोबारी ने लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर की आत्महत्या (अमर उजाला, 14 अप्रैल, 2021): यह घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की है। इस घटना में पाया गया है कि कारोबारी पिछले तीन साल से मानसिक तनाव से जूझ रहा था। देर रात ड्रेसिंग रूम में दरवाजा बंद करके गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली।

पारिवारिक विसंगति के आधार पर आत्महत्या: जब व्यक्ति पारिवारिक उम्मीदों में खरा नहीं उतरता है, तो उसकी पारिवारिक स्थिति विचलति हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति को पारिवारिक विचलन से निकलने का रास्ता नहीं दिखता है, तो वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है।

शोधकर्ता ने अपने अध्ययन के आधार पर पाया है कि लगभग 32.38 प्रतिशत लोगों में आत्महत्या की प्रकृति पारिवारिक थी। पारिवारिक विसंगति के आधार पर आत्महत्या के कारणों के बारे में शोधकर्ता ने पाया है कि जिन लोगों ने आत्महत्या की है, वे पारिवारिक समस्याओं (13.81%), गरीबी (9.05%), कर्ज (4.76%), डाँट फटकार (4.76%) से दु:खी थे। समाज वैज्ञानिकों (स्प्रे, 1966; मैमोन और अन्य, 2010; चौहान, 2016) ने अपने अध्ययन

में पाया है कि बदलते सामाजिक परिवेश में जब परिवार आकस्मिक रूप से किसी समस्या से घिर जाता है तो परिवार के सदस्यों में मतैक्य और एक-दूसरे के प्रति निष्ठा समाप्त होने लगती है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक सदस्यों में आम सहमति न होने से विवाद उत्पन्न होने लगता है। यह विवाद जब दिन-प्रतिदिन बढ़ता है, तो परिवार में विसंगति को जन्म देता है। ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर होकर अकेलापन और अलगाव महसूस करता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी-कभी आत्महत्या कर लेता है।

शोधकर्ता ने न्यूज़ कंटेंट के आधार पर पाया है कि समाज में बहुत से लोगों ने पारिवारिक स्तर पर पनप रही विसंगति से दुखी होकर आत्महत्या की हैं। अध्ययन के दौरान यह पाया गया है कि पारिवारिक समस्याएँ, गरीबी, कर्ज व डाँट-फटकार कुछ ऐसे कारण उभरकर सामने आए हैं जिनके नकारात्मक प्रभाव ने परिवार में अस्थिरता के माहौल को जन्म दिया है। जब लोग पारिवारिक सामंजस्य बनाने में सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। उदाहरण के तौर पर न्यूज़ कंटेंट के आधार आत्महत्या की चार प्रमुख घटनाओं को देख सकते हैं, जिनमें एक व्यक्ति विशेष ने पारिवारिक समस्या, गरीबी, कर्ज और डाँट -फटकार के कारण आत्महत्या की थी।

घटना 1: कर्ज देने वालों ने घर में लगाया ताला, कारोबारी ने जहर खाकर जान दी (अमर उजाला, 16 दिसंबर, 2020): यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से सम्बंधित है। इस घटना में जांच के बाद यह पाया गया कि कारोबारी ने बहुत लोगों से कर्ज ले रखा था। व्यापार में हानि होने से अब वह कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं था जबकि लोग उससे रोज अपने रुपये माँग रहे थे। कारोबारी ने जब लोगों के रुपये वापस नहीं किए तो लोगों ने उसके घर पर ताला लगा दिया। इससे आहत होकर कारोबारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

घटना 2: पिता की डाँट से नाराज युवक फंदे से लटका (अमर उजाला, 14 फरवरी, 2021): यह आत्महत्या की घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है। इस घटना में यह जानकारी मिली है कि एक परचून की दूकान चलाने वाले व्यक्ति ने अपने बेटे को किसी बात को लेकर डाँट दिया था। जिससे आहत होकर बेटे ने दुकान के अंदर फाँसी लगाकर जान दे दी।

घटना 3: भाई से विवाद के बाद किशोर ने फंदे से लटक कर दी जान, मचा कोहराम (अमर उजाला, 22 फरवरी, 2021): इस घटना में 17 वर्षीय बच्चे का अपने भाई से शाम को खाना खाते समय खाने को लेकर कोई विवाद हो गया था। परिजनों ने उस समय दोनों को समझा कर झगड़ा शांत करा दिया था लेकिन रात में उस १७ वर्षीय बच्चे ने कमरे में फाँसी लगाकर जान दे दी।

घटना 1: होटल में बैंक कैशियर ने लगाई फाँसी (अमर उजाला, 28 मार्च, 2021): इस घटना में पुलिस ने तफ्तीश करते हुए पाया कि पीड़ित व्यक्ति सुल्तानपुर का रहने वाला था। वह बैंक के किसी काम से लखनऊ आकर होटल में रुका था। पुलिस ने उस व्यक्ति के सुसाइड नोट में पाया कि वह इसलिए आत्महत्या कर रहा है कि "वह परिवार के किसी व्यक्ति की उम्मीदों में खरा नहीं उतरा है। अपनी आत्महत्या के लिए उसने स्वयं को जिम्मेदार ठहराया है।"
सामाजिक विसंगति के आधार पर आत्महत्या: समाज में सामाजिक विसंगति एक ऐसी स्थिति है जिसमें तीव्र सामाजिक परिवर्तन और अवांछित घटनाओं के कारण सामाजिक मानदंड एवं मूल्य कमजोर होकर अनेकों समस्याओं को जन्म देते हैं। ये समस्याएँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे समाज में विचलन की स्थिति को बढ़ावा देती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति विशेष जो इससे ग्रसति होता है इन समस्याओं से उभरने में असमर्थ होता है तो वह आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने पाया है कि बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश में कुल आत्महत्या में लगभग 21.43% आत्महत्याएं सामाजिक विसंगति के कारण होती हैं। शोधकर्ता ने सामाजिक विसंगति के आधार पर

आत्महत्या के अध्ययन में पाया कि जिन लोगों ने आत्महत्या की है वे उत्पीड़न (8.57%), यौन उत्पीड़न (7.62%) और सामाजिक बहिष्कार (5.24%) से ग्रसित थे। सामाजिक वैज्ञानिकों (मावरर, 1941; मैमोन और अन्य, 2010, को, 2022) ने भी अपने अध्ययनों में पाया है कि समाज में हो रहे तीव्र परिवर्तन व अवांछित घटनाएँ जब सामाजिक समूहों एवं संस्थाओं के मध्य असंतुलन को जन्म देती हैं तो अनेक सामाजिक समस्याएँ जन्म लेने लगती हैं। धीरे-धीरे ये समस्याएँ व्यक्ति विशेष के जीवन को नकारात्मकरूप से प्रभावित करने लगती हैं। इन समस्यायों से जब व्यक्ति निकल नहीं पाता है या इन समस्याओं का डर उसे हमेशा सताती हैं तो वह आत्महत्या कर लेता है।
शोधकर्ता ने न्यूज़ कंटेंट के आधार पर पाया है कि बदलते सामाजिक परिवेश में लोगों के मन से सामाजिक नियंत्रण का डर समाप्त हो रहा है, जिस वजह से समाज विरोधी तत्त्व निर्दोष लोगों को आये दिन परेशान करते रहते हैं, जिससे व्यथित होकर लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि 8.57% लोगों को समाज में प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी। अध्ययन में यह भी पाया गया कि समाज में महिलाओं को जिस तरह से यौन हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है, उस वजह से पीड़ित महिलाएँ आत्महत्या करने के लिए मजबूर होती हैं। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ है कि लगभग 7.62% महिलाओं ने उनके साथ हुई यौन हिंसा के कारण आत्महत्या की हैं, इसके अलावा लगभग 5.24% लोगों ने सामाजिक बहिष्कार के कारण आत्महत्या की हैं। उदाहरण के तौर पर न्यूज़ कंटेंट के आधार पर आत्महत्या की तीन प्रमुख घटनाओं को देख सकते हैं, जिनमें एक व्यक्ति विशेष ने यौन हिंसा, उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार के कारण आत्महत्या की थी।

घटना 1: दुष्कर्म के आरोपी ने फाँसी लगाकर जान दी, अदालत में आज होना था फैसला (अमर उजाला, 21 जनवरी, 2021): यह घटना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक गाँव की है जिसमें एक ५० वर्षीय व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप था, वह कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। परिवार के लोगों से पता चला कि व्यक्ति पर दुष्कर्म का झूठा आरोप पड़ोस की एक महिला ने लगाया था। इस झूठे मामले की वजह से उनको हर जगह अपमानित किया जाता था और उनसे कोई बात नहीं करता था। इससे वह बहुत दु:खी रहता था। इससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली।

घटना 2: युवक कर रहा था परेशान, युवती ने परीक्षा से पहले फाँसी लगाकर दी जान (अमर उजाला, 5 अप्रैल, 2021): यह घटना लखनऊ शहर से जुड़े इटौंजा ग्राम की है। इस घटना में पाया गया है कि लड़की को उसी केगाँव का लड़का अक्सर परेशान करता था जिसकी शिकायत कुछ दिन पहले पुलिस में की गयी थी। पुलिस उस लडके को समझा कर चली गयी थी, लेकिन वह लड़का नहीं माना और लड़की को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे आहत होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली।

घटना 3: ससुराल पक्ष द्वारा मुकदमें में फंसाये जाने से त्रस्त होकर एसएसबी के जवान ने आत्महत्या की (हिन्दुस्तान, 6 अक्टूबर, 2021): यह घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। इस घटना में एसएसबी के जवान की पत्नी की मृत्यु कोरोना काल में हो गयी थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उस व्यक्ति पर और उसके माँ-बाप पर दहेज़ उत्पीड़न के कारण मार डालने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया। ससुराल वालों ने उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जिससे परेशान हो कर उसने आत्महत्या कर ली ।

अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शोधकर्ता ने अपने शोध अध्ययन में पाया कि तेजी हुए परिवर्तनों ने सामाजिक एकीकरण और विनियमन को कमजोर किया है जिसके परिणामस्वरूप परिवार और समाज में एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। इस असंतुलन के कारण अलगाव और अकेलेपन ने परिवार व समाज में विसंगति को बढ़ाया है, जिसकी वजह से तीन प्रकार की आत्महत्याएँ जैसे व्यक्तिगत विसंगति के आधार

पर आत्महत्या, पारिवारिक विसंगति के आधार पर आत्महत्या और सामाजिक विसंगति के आधार पर आत्महत्या के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं।

ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में आत्महत्या की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। शोधकर्ता ने पाया है कि आत्महत्या शहरी लोगों (57.14%) एवं ग्रामीण (42.86%) दोनों के लिए एक उभरती हुई सामाजिक समस्या है, क्योंकि दोनों जगहों पर 40 प्रतिशत से अधिक आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। इसके पीछे का कारण व्यक्तिवाद और भौतिकतावाद की वृद्धि है, जो पारिवारिक संरचना एवं प्रकार्य (Function) में क्रमिक परिवर्तन के कारण परिवार और समाज में तेजी से पनप रहा है (जैन, 2008)। समकालीन समय में लोग भावनात्मक रूप से एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं, जिससे व्यक्ति पर किसी विशेष समस्या के आनेपर अकेला महसूस करता है तो कभी-कभी अकेलेपन के कारण वह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है (खान, 2004; जैन, 2008)। लेकिन सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव ने भारतीय परिवारों के स्वरूप और संरचना को प्रभावित किया है क्योंकि इन परिवर्तनों का परिवार पर व समाज की सामाजिक संरचना व मूल्य प्रणाली पर गलत प्रभाव पड़ा है (जमुना, 2000; शंकरदास, 2008)। इन परिवर्तनों ने व्यक्तिवादिता और भौतिकवादिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ परिवार की संरचना को प्रभावित किया है। इन परिवर्तनों ने भावनात्मक संबंधों को कमजोर किया है जो पहले परिवार के सदस्यों को एक साथ समायोजित करके रखते थे (खान, 2004)।

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों से उपजे इस माहौल ने सामाजिक एकीकरण और नियमन को कमजोर किया है, परिणामस्वरूप व्यक्ति के पारिवारिक व सामाजिक जीवन में विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है। जब ऐसी विषम परिस्थितियाँ समाज में उत्पन्न हुईं तो अनेकों समस्याएँ भी समाज के सम्मुख आ खड़ी हुई, जिनमें आत्महत्या एक प्रमुख समस्या है। आधुनिकीकरण व वैश्वीकरण के युग में तेजी से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का मानव तथा समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एक तरफ सकारात्मक प्रभाव ने समाज में बेहतर जीवन दिया है तो दूसरी ओर नकारात्मक प्रभाव ने सामाजिक एकीकरण व सामाजिक विनियमन को कमजोर किया है। इन सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के कारण कमजोर हो रहे सामाजिक एकीकरण और सामाजिक विनियमन ने समाज के सामने विसंगति जैसी स्थिति प्रस्तुत की है। आत्महत्या जैसी बढ़ती घटनाएँ इसी विषम परिस्थिति का परिणाम हैं। आज भारतीय समाज में होने वाली सभी आत्महत्याएँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तीव्र सामाजिक परिवर्तन से उत्पन्न विसंगतियों का कारण हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को इन परिवर्तनों के अनुकूल बनाने में असमर्थ होता है तो वह सामाजिक एकीकरण और सामाजिक विनियमन से दूर भागने लगता है, जो व्यक्ति को सूक्ष्म स्तर व बृहद्द स्तर पर समाज से बांधता है। ऐसे में व्यक्ति को इस विसंगति का एहसास होता है तो वह परिवार और समाज में अकेलापन व अलग-थलग महसूस करने लगता है। परिणामस्वरूप, उसके मन में आत्महत्या जैसे नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इसी तरह एक अध्ययन में पाया गया है कि समाज में विसंगति स्थिति निम्न स्तर के नियमन के साथ जुड़ी हुई है, जो कि तीव्र आर्थिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, जिससे समाज में तनाव और नाखुशी का माहौल बनता है। जिससे समाज में रोजमर्रा की जिंदगी में त्वरित नकारात्मक परिवर्तन होते हैं (क्रॉसमैन, 2020)। इन परिस्थितियों में एक व्यक्ति समाज से इतना अकेला और अलग-थलग महसूस करता है कि वह अपना जीवन समाप्त करने का विकल्प चुनता है (क्रॉसमैन, 2020)।

उपसंहार: शोधकर्ता ने अध्ययन में विषय-वस्तु विश्लेषण का उपयोग कर भारतीय समाज में आत्महत्या की प्रकृति के कारणों को समझने के लिए दुर्खीम के विसंगति सिद्धांत का प्रयोग किया है। शोधकर्ता ने भारतीय समाज में तीन प्रकार की आत्महत्याओं का विसंगति सिद्धांत के आधार पर 100 आत्महत्याओं का अध्ययन किया है। आत्महत्याओं के तीन विसंगति सिद्धांत के प्रकार इस तरह हैं; व्यक्तिगत विसंगति के आधार पर, पारिवारिक

विसंगति के आधार पर और सामाजिक विसंगति के आधार पर आत्महत्या। शोध के निष्कर्षों के अनुसार आत्महत्या एक सामाजिक घटना है जो समाज में विभिन्न परिवर्तनों के कारण उत्पन्न हुई विसंगति की परिस्थिति के कारण पनप रही है। अध्ययन से स्पष्ट है कि जिन लोगों ने निराशा, पारिवारिक समस्याओं, प्रेम संबंधों, गरीबी, उत्पीड़न, यौन हिंसा, सामाजिक बहिष्कार एवं गंभीर बीमारियों के कारण आत्महत्या की है उनका सम्बन्ध कहीं न कहीं विभिन्न परिवर्तनों के कारण उत्पन्न हुई विसंगतियों से है। अध्ययन में यह देखा गया है कि मौजूदा सामाजिक संरचना, मूल्य प्रणाली, संबद्धता, भागीदारी सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के कारण अप्रत्याशित रूप से प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त इन परिवर्तनों ने भावनात्मक लगाव व सामाजिक समर्थन को कमजोर किया है, जो एक-दूसरे को एक साथ जोड़ कर रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिणामस्वरूप परिवार तथा समाज में विसंगति उत्पन्न हुई, जिसने कई सामाजिक-मनोवैज्ञानिक समस्याओं जैसे अलगाव और निराशा को जन्म दिया है। इसके अलावा इन परिवर्तनों ने व्यक्ति के सामाजिक वातावरण के सूक्ष्म व बृहद् स्तर में आदर्शहीनता की स्थिति पैदा की है, जो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है।

समाज वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को आत्महत्या के मूलभूत कारणों का अध्ययन करना चाहिए तथा आत्महत्याओं की रोकथाम से संबंधित कार्यक्रम बनाकर आत्महत्या की घटनाओं को रोकने में समाज और देश की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा सरकार को प्रत्येक जिले में सामुदायिक विकास अधिकारी (Community Development Officer) के संरक्षण में "सामुदायिक आत्महत्या रोकथाम बोर्ड" (Community Suicide Prevention Board) की स्थापना करनी चाहिए। सी डी ओ ब्लॉक स्तर पर १० लोगों (ये लोग राजनीति, कानून, सिविल सोसाइटी, योगा, चिकित्सा, एवं पत्रकारिता क्षेत्र के होने चाहिए जिसमें एक मनोचिकित्सक को मुख्य रूप से सम्मिलित हो) की समिति बनानी चाहिए, इस समिति को व्यक्ति की समस्याओं को तीन स्तरों यथा; व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर अध्ययन करके उसकी समस्याओं का निदान करना चाहिए, तथा बोर्ड को समय-समय पर ब्लॉक स्तर पर आत्महत्या के रोकथाम से संबंधित अभियान चलाने चाहिए। इसके अतिरिक्त समय-समय पर योग शिविर लगाकर लोगों को मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

डॉ. अवनीश भाई पटेल
सहायक प्राध्यापक
एमिटी सामाजिक विज्ञान संस्थान
एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा
avanish_patel@yahoo.co.in

सन्दर्भ

गर्ग, एल. (2019, 10 सितंबर). आत्महत्या की समस्या दिन पर दिन विकराल होती जा रही है. *प्रभा साक्षी.* https://www.prabhasakshi.com/currentaffairs/world-suicide-prevention-day-2019

जोशी, आर. (2021). युवाओं में बढ़ती आत्महत्या. *परिवर्तन.* www.parivartanpatrika.in/parivartan-blog-2/yuvaon-me-badhti-aatmhatya-rajendra-joshi/

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (N.C.R.B.) (2020). भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएँ–वार्षिक प्रकाशन. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

शुक्ला, एस.डी. (2020, 16 जून). आत्महत्या कभी किसी समस्या का समाधान नहीं है। *साहित्य रचना.*

https://www.sahityarachana.com/2020/06/hindi-lekh-aatmhatya-kisi-samasya-ka-samadhan-kadapi-nahi-sushma-dixit-shukla.html

References

Armstrong, G. & Vijayakumar, L. (2018). Suicide in India: a complex public health tragedy in need of a plan, *The Lancet: Public Health*, 3 (10), 1-2. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(18)30142-7

Chauhan, A.D. 2016. Family disorganization – A main social problems in current scenario. *Journal Of Humanities and Social Science*, 21 (3), 16-18 doi: 10.9790/0837-2105031618

Cho, S. 2022. Theories explaining the relationship between neighbourhood stressors and depressive symptoms. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9, 1-6. https://doi.org/10.1057/s41599-021-01014-2

Crossman, A. (2020, January 6). The study of suicide by Emile Durkheim: A Brief Overview. *ThoughtCo*. https://www.thoughtco.com/study-of-suicide-byemile- durkheim-3026758.

Dandonda, R., Villa, A.B., Kumar, G.A. & Dandonda, L. (2017). Lessons from a decade of suicide surveillance in India: Who, why and how?. *International Journal of Epidemiology*, 46(3), 983–993. doi: 10.1093/ije/dyw113

Durkheim, E. (1951). *Suicide: A Study in Sociology*, Free Press: New York.

Elo, S. and Kyngas, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107-115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Ghosh, S. 2021, October 20. Data shows gender disparity in suicide death rates in Delhi. *The New Indian Express*. https://www.newindianexpress.com/cities/delhi/2021

Jain, U.C. 2008. Elder abuse: outcome of changing family dynamics. *Indian Journal of Gerontology*, 22 (3), 447-55.

Jamuna, D. (2000). Ageing in India: some key issues. *Ageing International*, 25 (4), 16-31.

Kumar, S., Verma, A.K., Bhattacharya, S. & Rathore, S. (2013). Trends in rates and methods of suicide in India. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*, 3, 75–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejfs.2013.04.003

Khan, A.M. (2004). Decay in family dynamics of interaction, relation and communication as determinant of growing vulnerability amongst elders. *Indian Journal of Gerontology*, 18 (2), 173-86.

Knipe, D. (2020, February 7). Suicidality in India: findings from a national cross sectional study. *The Mental Elf*.
https://www.nationalelfservice.net/mental-health/suicide/suicidality-india/
Maimon, D., Browning, C.R. & Gunn, J.B. 2010. Collective Efficacy, Family Attachment, and Urban Adolescent Suicide Attempts. Journal of Health and Social Behaviour, 51 (3), 307–324. https://doi.org/10.1177%2F0022146510377878
Mamun, M. A., & Griffiths, M. D. (2020). First COVID-19 suicide case in Bangladesh due to fear of COVID-19 and xenophobia: possible suicide prevention strategies. Asian Journal of Psychiatry, 51, 1–2.
Menon, V., Subramanian K, Selvakumar, N. & Kattimani, S. (2018). Suicide prevention strategies: An overview of current evidence and best practice elements. *International Journal of Advanced Medical and Health Research*, 5, 43-51. doi: 10.4103/IJAMR.IJAMR_71_18
Moore, M.D. 2019. Social disorganisation theory and Suicide. *International Social Science Journal*, 69 (2), 1-10. doi: 10.1111/issj.12202
Mowrer, E.R. 1939. A Study of Personal Disorganization. *American Sociological Review*, 4 (4), 475-487. https://doi.org/10.2307/2084318
Mowrer, E.R. 1941. Methodological problems in social disorganization. *American Sociological Review*, 6 (6), 839-852. https://doi.org/10.2307/2085764
Pandey, R. 1985. The aetiology of suicide in India today. *The Indian Journal of Social Work,* 45 (4), 429-439.
Patel, A.B. and Mishra, A.J. 2018. Shift in family dynamics as a determinant of weak social bonding: A study of Indian elderly. *The Indian Journal of Social Work*, 79 (1), 83-97.
Patel, A.B. 2021. A Phenomenological Content Analysis of Elder Abuse during COVID-19 Pandemic in India. *Gerontology and Geriatric Medicine*, 7, 1-8.
doi: 10.1177/23337214211067671
Ponnudurai, R. (2015). Suicide in India - changing trends and challenges ahead. *Indian Journal of Psychiatry*, 57(4),348-354. doi: 10.4103/0019-5545.171835
Radhakrishnan, R. & Andrade, C. (2012). Suicide: An Indian perspective. *Indian Journal of Psychiatry*, 54 (4), 304-319.
doi: 10.4103/0019-5545.104793
Rane, A. & Nadkarni, A. (2014). Suicide in India: a systematic review. *Shanghai Archives of Psychiatry*, 26 (2), 69-80. doi: http://dx.doi.org/10.3969/j.issn.1002-0829.2014.02.003

Ravi, S. 2015. *A reality check on suicides in India*. Brookings India IMPACT Series. Brookings Institution India Center.

Ritchie, H., Roser, M., & Ospina, E.O. 2015. *Suicide*. Our World in Data. https://ourworldindata.org/suicide

Shankardas, M.K. 2008. Critical understanding of prevalence of elder abuse and the combating strategies with specific reference to India. *Indian Journal of Gerontology*, 22 (3/4), 422-46.

Singh, A., Saya, G. K., Menon, V., Olickal, J.J., Ulaganeethi, R., Sunny, R., Subramanian5, S., Kothari, A. & Chinnakali, P. (2021). Prevalence of suicidal ideation, plan, attempts and its associated factors in selected rural and urban areas of Puducherry, India. *Journal of Public Health*, 43(4):846-856. doi: 10.1093/pubmed/fdaa101.

Sprey, J. 1966. Family disorganization: Toward a conceptual clarification. *Journal of Marriage and Family*, 28 (4), 398-406. https://www.jstor.org/stable/pdf/349535.pdf

Swain, P.K., Tripathy, M.R., Priyadarshini, S. & Acharya, S.K. (2021). Forecasting suicide rates in India: An empirical exposition. *PLoS ONE*, 16(7), 1-21. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255342

Victor, C. R. (2005). *The Social Context of Ageing*. London: Routledge Publications.

Walton, A.G. (2012 September 24). The gender inequality of suicide: Why are men at such high risk?. *Forbes*. https://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2012/09/24/

W.H.O. (2017). *Preventing suicide: a resource for media professionals*. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258814/

W.H.O. 2019. *Suicide in the world: Global Health Estimates*. https://apps.who.int/iris/handle/10665/326948

W.H.O. (2020). *Suicide*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide

संगणकीय विश्लेषण के लिए संस्कृत कृत प्रत्ययों का पुनर्वर्गीकरण

सुमित शर्मा एवं सुभाष चंद्र

सार- इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटलीकरण ने पारम्परिक शिक्षण विधियों में कई सकारात्मक बदलाव किए हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी ने शिक्षण में भी अपने आपको स्थापित किया है और शिक्षण तथा अध्ययन की कई प्रक्रियाओं को बदल दिया है। किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों और जिज्ञासुओं के पास विभिन्न डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे स्वाध्याय का दायरा और अवसर असीमित हो गए हैं। कक्षा की पारम्परिक पद्धतियों के साथ डिजिटल उपकरणों का संयोजन करने से शिक्षण और अध्ययन की प्रक्रिया प्रभावी और सुचारू हो जाती है। जानकारी तक सुविधाजनक पहुंच, अद्यतन सामग्री और बहुमाध्यामी (मल्टीमीडिया) शिक्षण मिलकर एक आभासी शिक्षण के वातावरण प्रदान करते हैं। आईटी के इस युग में सूचनाओं का डिजिटल आदान-प्रदान आम बात है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग छात्रों व शिक्षकों दोनों को सशक्त बनाता है। यद्यपि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कई आभासीय उपकरण उपलब्ध हैं तथापि संस्कृत पढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता बहुत सीमित है। वर्तमान में भी संस्कृत भाषा को पूरी तरह से आभासीय माध्यम से सीख पाना संभव नहीं है। यह डिजिटल युग में संस्कृत के पिछड़ने का मुख्य कारण है। हालाँकि विभिन्न संस्थानों द्वारा कई उपकरण विकसित किए गए हैं लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। संस्कृत पाठ्यक्रम में व्याकरण का मुख्य अंग है। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षण तक संस्कृत के पाठ्यक्रम में कृदन्तों को विभिन्न रूपों में शामिल किया जाता है। संस्कृत भाषा में कृदन्तों का विशिष्ट महत्व है क्योंकि नाम, क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वसर्ग, संबंधवाचक शब्द आदि शब्दों के स्थान पर कृदन्तों को प्रयोग किया जा सकता है। संस्कृत कृदन्तों की शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया को नवीनीकृत करने के लिए कृदन्त रूप के लिए एक ई-लर्निंग टूल विकसित किया जा रहा है। इसके माध्यम से संस्कृत में अध्यापन एवं स्वाध्याय को सरलता से प्रभावी रूप दिया जा सकता है। इस उपकरण का उपयोग कोई भी, कहीं भी, किसी भी समय निःशुल्क कर सकता है। यह संस्कृत-ई-लर्निंग टूल https://clsanskritduac.in पर उपलब्ध है। इस उपकरण के विकास के लिए पाणिनि की उदाहरण एवं नियम विधि तथा उत्सर्ग एवं अपवाद विधि का उपयोग किया गया है। इस पद्धति के माध्यम से यह उपकरण पाणिनि के नियम के अनुसार देवनागरी में किसी भी कृदन्त का विश्लेषण करता है एवं संपूर्ण व्युत्पत्ति प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही रूपसिद्धि प्रक्रिया में प्रयुक्त सभी सूत्रों का अर्थ और स्पष्टीकरण भी उपलब्ध करवाता है। कृदन्त में प्रयुक्त धातु और प्रत्यय की विशिष्टता भी प्रदान करता है। इस प्रणाली के विकास में हमें आभासीय विश्लेषण के नियम बनाने के लिए कृत प्रत्ययों को पुनः वर्गीकृत करना पड़ा। हालाँकि, इस पुनर्वर्गीकरण का उपयोग कक्षा शिक्षण में कार्यसाधकता की उन्नति के लिए किया जा सकता है। इस शोधपत्र का उद्देश्य संस्कृत कृदन्तों की अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कृत प्रत्ययों के इस पुनर्वर्गीकरण को अनुभवजन्य एवं सैद्धांतिक रूप से प्रदर्शित करना है।

विषयबोधक शब्द: डिजिटलीकरण, उच्च-शिक्षा, तकनीकि विकास, प्राचीन भारतीय साहित्य, कृदन्त, रूपसिद्धि, पुनर्वर्गीकरण, कृत्-प्रत्यय।

1. प्रस्तावना

वैश्वीकरण व आज के सूचना प्रौद्योगिकी युग में जहां पूरी दुनिया संयोजित है वहीं तकनीकि व्यवस्था के माध्यम से एक बटन दबाने मात्र से दुनिया के किसी भी कोने से समाचार उत्पन्न, साझा या प्राप्त किए जा सकते हैं। मशीन लर्निंग और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण मॉडल का उपयोग भाव विश्लेषण के लिए किया जाता है (Hassan, et al., 2021)। ज्ञान परंपराओं के आदान-प्रदान के माध्यम में भी बदलाव आया है। भारी-भरकम किताबों की जगह ई-पुस्तकों और आभासीय सामग्रियों ने ले ली है। सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग में भारतीय ज्ञान का डिजिटलीकरण करना तथा इसमें निहित जानकारी को वेब के माध्यम से प्रसारित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, "एक भारत श्रेष्ठ भारत" को सुगम बनाने के लिए "भारत की भाषा" नामक एक परियोजना शुरू की गई है। सीखने और सिखाने के लिए ऐसे उपयोगी ई-लर्निंग टूल विकसित करना आवश्यक है। अधिकांश भारतीय भाषाएँ देवनागरी में लिखी जाती हैं (पाण्डेय, 2021)। यह ई-लर्निंग लिपि अत्यन्त सरल, सुरुचिपूर्ण, याद रखने में आसान, पढ़ने में सुगम, अशुद्धियों से रहित है। इसके अलावा संस्कृत व्याकरणविदों द्वारा आविष्कृत यह लिपि वैज्ञानिकता, व्यापकता और ध्वन्यात्मक विशेषताओं की पूर्णता की दृष्टि से आधुनिक ध्वनिशास्त्र द्वारा प्रस्तावित कृत्रिम लिपि से बेहतर है। आइजैक टेलर (1883) का उपरोक्त कथन वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक है। एफ.एस. ग्रोन (1866) और महात्मा गांधी (1937) का मानना है कि मानव प्रतिभा द्वारा प्रदत्त सबसे वैज्ञानिक लिपि देवनागरी है। उपरोक्त विदेशी एवं भारतीय विद्वानों ने देवनागरी लिपि को बिना किसी पूर्वाग्रह, राजनीति अथवा क्षेत्रवाद को वैज्ञानिक एवं सुगम बताया है। संस्कृत भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह पंजाबी, गुजराती, हिंदी तथा बंगाली जैसी भाषाओं की पूर्वज है। संस्कृत से व्यापक उद्धरण लेना दक्षिण पूर्व एशिया की भाषाओं की एक विशेषता है, जिनका प्रारम्भिक विकास संस्कृत से बहुत प्रभावित था। हिंदू व बौद्ध दोनों ग्रंथों की भाषा के रूप में, संस्कृत को धार्मिक होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। जैसा कि कहा गया है कि इसके विलक्षण और विविध साहित्य में लिखे गये ग्रन्थों में विषयों की एक विशाल श्रृंखला शामिल हैं जिनमें; आहार, सौंदर्यशास्त्र, शासन कला, खगोल विज्ञान आदि सम्मिलित हैं। हालाँकि संस्कृत भाषा पर विशाल साहित्य उपलब्ध हैं फिर भी संस्कृत के डिजिटल माध्यम की मात्रा अन्य भाषा साहित्य की तुलना में बहुत कम है। संस्कृत अनुसंधान के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन ऐसी तकनीकों और उपकरणों का निर्माण हो रहा है जो ई-लर्निंग में सहायक हैं। आज के ई-लर्निंग युग में संस्कृत जगत् के उत्थान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की तत्काल आवश्यकता है। पिछले कुछ दशकों में अन्तर्विषयक क्षेत्रों में अनुसंधान एक तेजी से उभरता हुआ विषय है (Zhand, Shi, Huang, Yao, & Qiu, 2022)। प्राचीन भारत में विभिन्न विज्ञानों एवं प्रौद्योगिकी की बहुत समृद्ध ज्ञान परंपरा रही है। समृद्ध ज्ञान प्रणाली को संस्कृत भाषा में प्रलेखित किया गया था। जहां इस तथ्य से स्पष्ट है कि आज के डिजिटल युग में, पिछले कुछ वर्षों से संस्कृत भाषा में संगणकीय पहलू ने शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। वहीं, वैश्विक संक्रमण की आपात स्थिति के कारण सभी विषयों के लिए आभासीय शैक्षणिक सामग्री की मांग तेजी से बढ़ रही है। यद्यपि सभी विषयों के लिए आभासीय सामग्री उपलब्ध है लेकिन संस्कृत भाषा के लिए आभासीय सामग्री की बहुत कमी है। कई संस्थान संस्कृत को उस स्तर पर लाने के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी आज तक, कृदन्त पदों की आभासीय रूपसिद्धि प्रक्रिया के लिए कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं है, जहाँ कोई व्यक्ति आउटपुट के रूप में दिए गए कृदन्त पदों की पूरी रूपसिद्धि प्रक्रिया प्राप्त कर सके। ऐसी जानकारी विभिन्न उल्लेखनीय में उपयोगी हो सकती है, जैसे कार्यों जैसे सूचना पुनर्प्राप्ति, प्रश्न उत्तर और दत्त माइनिंग इत्यादि (Martinez- Rodriguez, Lopez-Arevalo, & Rios-Alvarado, 2022)। वर्तमान में, मशीनी अनुवाद, ई-लर्निंग, ई-शिक्षण आदि के लिए सिद्धान्तकौमुदी के कृत् प्रत्ययों से निष्पन्न पदों की संगणकीय पहचान, विश्लेषण और सूत्ररूपसिद्धि प्रणाली का विकास चल रहा है। यह शोध विषय एक नए चरण की शुरूआत

कर सकता है। इस प्रणाली के विकास में, हमने आभासीय विश्लेषण के संगणकीय नियम बनाने के लिए कृत् प्रत्ययों को पुनः वर्गीकृत किया, लेकिन इस पुनर्वर्गीकरण का उपयोग अधिगम और शिक्षण में भी किया जा सकता है।

2. समस्या एवं उद्देश्य

पिछले कुछ दशकों में, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों ने अपने अध्ययन में बड़े दत्तसेट और पद्धतियों का प्रयोग किया है (Mohammadi & Karami, 2022)। संस्कृत भाषा में लिखित ग्रन्थ पूर्णतया वैज्ञानिक परम्परा से सम्बद्ध है। संस्कृत अपनी व्याकरणिक संरचना में एक वैज्ञानिक भाषा है क्योंकि यह एक श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। उदाहरण के लिए, संस्कृत नामपद प्रणाली-जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शामिल हैं - में तीन लिङ्ग (पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग), तीन संख्याएं (एकवचन, द्विवचन और बहुवचन) और संबोधन के अतिरिक्त सात विभक्तियां (कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, सम्प्रदानवाचक, अपादानवाचक, संबंधवाचक एवं अधिकरणवाचक) होती हैं। विशेषणवाची पदों में संज्ञावाचक पदों के अनुसार विभक्तियां लगायी जाती हैं, और विभक्तियों के अनुसार सर्वनामों के भी विभिन्न रूप होते हैं: उदाहरण के लिए 'तत्' शब्द से तस्मै, तस्मात् और तस्मिन् (क्रमशः पुल्लिङ्ग-नपुंसकमूलक, सम्प्रदानवाचक, अपादानवाचक एवं अधिकरणवाचक)। इस संरचना के कारण, इसका व्याकरण बहुत जटिल है। लेकिन संस्कृत व्याकरण पाणिनि द्वारा सूत्रात्मक शैली में लिखा गया है। पाणिनिय व्याकरण एक आधुनिक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह व्यापक, वैज्ञानिक और व्यवस्थित है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा में, पाणिनि ने कई साल पहले संगणकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं की अवधारणा की नींव रखी थी। इसी कारण, पाणिनि को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं का जनक कहा जा सकता है। किंतु पाणिनीय व्याकरण को आज तक बहुत ही पारम्परिक तरीके से पढ़ाया जाता रहा है।

3. प्रक्रिया की दृष्टि से कृत्-प्रत्ययों का वर्तमान वर्गीकरण

आचार्य पाणिनि ने कृत्-प्रत्ययों को अर्थ के आधार पर तीन प्रकार से वर्गीकृत किया है। संस्कृत में तीन वाच्य होते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। कृत् प्रत्यय प्रत्यय किन अर्थों में होता है इसका विवेचन पाणिनि ने अपनी अनूठी उत्सर्ग एवं अपवाद विधि के माध्यम से किया है। सामान्य नियम है कि कृत्-प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं।[1] तदनन्तर अपवाद सूत्र है- **तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः[2],** जिसका अर्थ है कि कृत्य प्रत्यय (तव्यत्, तव्य, अनीयर्, केलिमर्, यत्, क्यप्, ण्यत्)[3], क्त प्रत्यय तथा खलर्थ में विहित प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में ही विहित होंगें। इस आधार पर पाणिनि ने कृत् प्रत्ययों का अर्थ के आधार पर कुल तीन विभाजन किए हैं। साथ ही साथ प्रक्रिया की दृष्टि से भी कृत्य, खलर्थ, निष्ठा आदि अनेक विभाजन किए हैं। इसी आधार पर प्रक्रिया ग्रन्थकारों ने भी प्रक्रिया के आधार पर कृत्-प्रत्ययों को कुल चार वर्गों में विभाजित किया है- *1. कृत्यप्रकरण, 2. पूर्वकृदन्त, 3. उणादि प्रकरण, 4. उत्तरकृदन्त* (भट्टोजिदीक्षित, 2011) /इस विभाजन से प्रक्रिया में बहुत अधिक सरलता तो नही होती परन्तु प्रकरण की दृष्टि से थोड़ी सुगमता अवश्य होती है। कृदन्तों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि इस प्रत्यय के अधिगम प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के कोई अच्छा प्रयास नहीं हुआ है। अतः इसके पुनर्विभाजन की आवश्यकता अत्यन्त तर्कसंगत प्रतीत होती है। प्रत्यय के विहित होने पर जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, उस आधार पर कोई वर्गीकरण प्राप्त नहीं होता है। कृत्-प्रत्ययों के संगणकीय विश्लेषण के लिए किया गया यह पुनर्वर्गीकरण संस्कृत कृदन्तों के

[1] कर्तरि कृत् (अष्टाध्यायी 3/4/67)

[2] अष्टाध्यायी 3/4/70

[3] कृत्याः (अष्टाध्यायी 3/1/95)

अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया के लिए एक अभिनव विधि प्रदान करेगा। इस शोधपत्र का उद्देश्य संस्कृत कृदन्तों की प्रक्रिया पर प्रकाश डालने के लिए इस पुनर्वर्गीकरण को प्रदर्शित करना है।

4. कृत्-प्रत्ययों का पुनर्वर्गीकरण

कृत् प्रत्ययों की प्रक्रिया समझना थोड़ा जटिल है । विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक नए वर्गीकरण की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम कृदन्त प्रक्रिया का संगणन करना चाहते हैं तो भी एक नए वर्गीकरण की आवश्यकता है। संस्कृत भाषा में क्रियापदों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं- तिङ् और कृत्, जिनका वर्णन अष्टाध्यायी (पाण्डेय, 2017) के तीसरे अध्याय में किया गया है। पाणिनि ने इन प्रत्ययों को दो भागों में विभाजित किया; सार्वधातुक और आर्धधातुक जो प्रत्यय तिङ् या शित् (शकार अनुबन्ध से युक्त) हो वे सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं।[4] इनसे भिन्न सभी प्रत्यय आर्धधातुक कहलाते हैं।[5] सार्वधातुक प्रत्यय तो कृत्-प्रत्ययों में बहुत कम दिखाई देते हैं, जिनके होने पर शप् आदि विकरण होते हैं। आर्धधातुक प्रत्यय होने पर ये कार्य नहीं होता है लेकिन हमने विश्लेषण के संगणकीय नियम बनाने के लिए विभिन्न कारकों के आधार पर कृत् प्रत्ययों का पुनर्वर्गीकरण किया क्योंकि अष्टाध्यायी में 100 से अधिक कृत् प्रत्यय हैं। प्रत्येक प्रत्यय के आधार पर मूल क्रिया में कुछ परिवर्तन होते हैं, इसलिए पाणिनि ने इस प्रक्रिया के लिए अनेक सूत्र लिखे।

पाणिनि ने प्रत्येक भिन्न प्रत्यय से होने वाले परिवर्तनों को समझाने के लिए कई सूत्र लिखे हैं। अतः ये परिवर्तन ही इस पुनर्वर्गीकरण का आधार हैं। लेकिन उन परिवर्तनों से पहले, इन कृत्-प्रत्ययों के उपयोग के लिए कई नियम हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रत्यय का उपयोग प्रत्येक क्रिया मूल के साथ नहीं किया जा सकता है (दीक्षित, 2011)। अत: कृत्-प्रत्ययों को पुनः वर्गीकृत करने का यह भी एक प्रमुख मानदंड है। क्रिया मूल के आधार पर पुनर्वर्गीकरण नीचे दिया गया है:

4.1 सभी धातुओं से लगने वाले कृत् प्रत्यय

प्रक्रिया की दृष्टि से पाणिनि ने सभी धातुओं से विहित होने वाले निम्नलिखित 41 कृत्-प्रत्ययों का उल्लेख किया है-

तव्यत्, तव्य, अनीयर्, केलिमर्, यत् , क्यप्, ण्यत्, ण्वुल्, तृच्, णिनि, अच्, अण्, ड,
क्विप्, मानिन्, वनिप्, विच्, क्वनिप्, क्त, क्तवतु, कानच्, क्वसु, शतृ, शानच्, चानश्,
तृन्, तुमुन्, घञ्, णच्, इनुण्, क्तिन्, इञ्, ण्वुच्, अनि, ल्युट, खल्, क्तिच्, क्त्वा, णमुल्,
इक्, श्तिप्

उपर्युक्त प्रत्यय किसी भी धातु से लगकर नए पद का निर्माण करते हैं।

4.2 हलादि/हलन्त धातुओं से लगने वाले कृत् प्रत्यय

हल् अर्थात् व्यञ्जन वर्ण। हल् जिसके आदि में हो, वो हलादि धातु कहलाती है। विशेषकर हलादि धातुओं से युच् प्रत्यय का विधान करने के लिए आचार्य पाणिनि ने "अनुदात्तेतश्च हलादेः[6]" सूत्र पढा है। इसी प्रकार हल् जिसके अन्त में हो, वो हलन्त धातु कहलाती है। केवल हलन्त धातुओं से होने वाला कोई प्रत्यय तो प्राप्त नहीं होता

[4] तिङ्शित्सार्वधातुकम् (अष्टाध्यायी 3/4/113)
[5] आर्धधातुकं शेषः (अष्टाध्यायी 3/4/114)
[6] अष्टाध्यायी 3/2/149

है किन्तु सभी धातुओं से होने वाले घञ् और ण्यत् प्रत्ययों को हलन्त धातुओं से विहित करने के लिए आचार्य पाणिनि ने "हलश्च[7]" और "ऋहलोर्ण्यत्[8]" सूत्र पढ़े हैं।

4.3 अजादि/अजन्त धातुओं से लगने वाले कृत् प्रत्यय

अच् अर्थात् स्वर वर्ण। अच् जिसके आदि में हो, वो अजादि धातु कहलाती है। केवल अजादि धातुओं से होने वाला कोई प्रत्यय तो प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार अच् जिसके अन्त में हो, वो अजन्त धातु कहलाती है। केवल अजन्त धातुओं से होने वाला कोई प्रत्यय तो प्राप्त नहीं होता है किन्तु सभी धातुओं से होने वाले यत् प्रत्यय को अजन्त धातुओं से विहित करने के लिए आचार्य पाणिनि ने "अचो यत् [9]" सूत्र पढा है।

4.4 कुछ विशिष्ट धातुओं से लगने वाले कृत् प्रत्यय

अन्य सभी प्रत्यय कुछ विशेष क्रियामूलों में जोड़े जाते हैं जिनका वर्णन पाणिनि ने प्रत्यय विधायक सूत्रों में ही किया है। उदाहरणार्थ; पाघ्राध्माधेट्दृशः शः[10], ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः[11] आदि।

क्रिया मूल में प्रत्यय जुड़ने के बाद होने वाले परिवर्तनों के आधार पर कृत प्रत्ययों को पुनः वर्गीकृत किया गया है। इन परिवर्तनों को परिभाषित करने के लिए पाणिनि ने प्रत्ययों में कुछ अतिरिक्त ध्वनियाँ जोड़ीं, जो वास्तव में पदों में दिखाई नहीं देतीं हैं लेकिन वे उस विशेष प्रत्यय के संयोजन के बाद होने वाले परिवर्तनों को परिभाषित करते हैं। इसे अनुबंध व्यवस्था कहा जाता है। अनुबंध व्यवस्था के आधार पर प्रत्ययों का विभाजन निम्नलिखित है:

णित्/ञित् प्रत्यय

वे प्रत्यय जहाँ ण्/ञ् का प्रयोग अनुबंध के रूप में किया जाता है, णित्/ञित् प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों को क्रियामूल के साथ जोड़ने पर निम्न तीन प्रकार के परिवर्तन होते हैं-

- यदि क्रिया मूल आ के अलावा किसी अन्य स्वर ध्वनि के साथ समाप्त हो रहा है तो इसे वृद्धि (आ/ऐ/औ)[12] से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस परिवर्तन के लिए पाणिनिय सूत्र अचो ञ्णिति[13] है।
- यदि क्रिया मूल आ ध्वनि के साथ समाप्त हो रहा है तो क्रिया मूल के अन्त में य् व्यञ्जन जुड जाएगा।[14]
- यदि क्रिया मूल किसी व्यञ्जन के साथ समाप्त हो रहा है तथा उससे पूर्व कोई ह्रस्व अ वर्ण हो तो उसे भी वृद्धि (आ/ऐ/औ) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

कित्/गित्/ङित् प्रत्यय

वे प्रत्यय जहाँ क्/ग्/ङ् का प्रयोग अनुबंध के रूप में किया जाता है, कित्/गित्/ङित् प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों को क्रियामूल के साथ जोड़ने पर दो प्रकार के अधोलिखित परिवर्तन होते हैं।

---

[7] अष्टाध्यायी 3/3/121
[8] अष्टाध्यायी 3/1/124
[9] अष्टाध्यायी 3/1/97
[10] अष्टाध्यायी 3/1/137
[11] अष्टाध्यायी 3/1/140
[12] वृद्धिरादैच (अष्टाध्यायी 1/1/1)
[13] अष्टाध्यायी 7/2/115
[14] आतो युक् चिण्कृतोः (अष्टाध्यायी 7/3/33)

- यदि क्रिया मूल आ ध्वनि के साथ समाप्त हो रहा है, तो उस आ ध्वनि का लोप हो जाएगा।[15]
- इसके अतिरिक्त किसी भी क्रियामूल में कित्/गित्/ङित् प्रत्यय के संयुक्त होने पर गुण[16] और वृद्धि का निषेध हो जाता है।

इनसे भिन्न किसी भी आर्धधातुक प्रत्यय के संयुक्त होने पर निम्नलिखित दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं-

- यदि क्रिया मूल इक् (इ/उ/ऋ/लृ) से अन्त हो रहा है तो उसे गुण (अ/ए/ओ) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- यदि क्रिया मूल किसी व्यञ्जन के साथ समाप्त हो रहा है तथा उससे पूर्व कोई लघु वर्ण है तो उसे भी गुण (अ/ए/ओ) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. परिचर्चा, निष्कर्ष एवं भावी सम्भावनाएं

संगणकीय विश्लेषण को सुगम बनाना उक्त वर्गीकरण का मुख्य लक्ष्य है, किन्तु इस वर्गीकरण का प्रभाव केवल यहां तक सीमित नहीं हैं। इस वर्गीकरण के सदुपयोग से कक्षा शिक्षण को भी अधिक सुरुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। पाणिनिय व्याकरण को इस दृष्टि से पढ़ाने पर वर्तमान प्रोग्रामिंग भाषाओं के साथ इसकी समानता पूर्णतया दृष्टिगोचर होती है। इससे छात्रों को भी "संगणकीय संस्कृत" नामक इस अन्तर्विषयक क्षेत्र में कार्य करने हेतु इच्छा जागृत होगी।

इस प्रकार के विभाजन का उपयोग करके हम बहुत आसानी से कृत्-प्रत्ययों से संबंधित सुदृढ संगणकीय नियम बना सकते हैं, लेकिन पाणिनीय व्याकरण में अनुबन्ध व्यवस्था केवल कृदन्त पदों में ही कार्यान्वित नहीं हैं, अपितु सम्पूर्ण व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने इसका प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ कृत्-प्रत्ययों में ही बहुत से अनुबन्ध वैदिक स्वर विधान के लिए लगाए गए हैं। उस दृष्टि से भी कृत्-प्रत्ययों का पुनर्वर्गीकरण हो सकता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण पाणिनीय व्याकरण को संगणकीय आधार पर विश्लेषित करके अध्ययन-अध्यापन में प्रयोग किया जा सकता है।

संदर्भ

1. Ehsaan Mohammadi, & Amir Karami. .(2022) Exploring research trends in big data across disciplines: A text mining analysis. *Journal of Information Science,* (1)*28*, -44 .56
2. F. S. Grown. .(1866) Some objections to the new modern style of official Hindustani. *J.A.S.B.*, .178-177
3. Issac Taylor. (1883). The Alphabet (Edition. 2). New Delhi: Asian Educational Services.

[15] आतो लोप इटि च (अष्टाध्यायी 6/4/64)

[16] अदेङ्गुणः (अष्टाध्यायी 1/1/2)

4. Jose L. Martinez- Rodriguez, Ivan Lopez-Arevalo, & Ana B. Rios-Alvarado. .(2022) Minning information from sentences through Semantic Web data and Information Extraction tasks. *Journal of Information Science, (1)48*, .20-3

5. Mahatma Gandhi. (3 July 1937). Harijan Sevak.

6. Saeed-Ul Hassan, Aneela Saleem, Saira Hanif Soroya, Iqra Safder, Sehrish Iqbal , Saqib Jamil, . . . Raheel Nawaz. .(2021) Sentiment analysis of tweets through Altmetrics. *Journal of Information Science,* (6)*47*, .726-712

7. Wenyu Zhand, Shunshun Shi, Xioling Huang, Peijja Yao, & Yilei Qiu. .(2022) The distinctiveness of author interdisciplinarity: A Long-neglected issue in research on interdisciplinarity. *Journal of Information Science, (1)48*, .105-90

8. गोपालदत्त पाण्डेय (संपा.). (2017). अष्टाध्यायी मलू. चौखाम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी.

9. दीक्षित, प. (2011.(*अष्टाध्यायी सहजबोध तृतीय भाग.कृदन्त प्रकरणम् :* दिल्ली.प्रतिभा प्रकाशन :

10. भट्टोजिदीक्षित. (2011). वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी श्रीधरमुखोल्लासिनी हिन्दी व्याख्या समन्विता. (गोविन्दाचार्य , & ल. शर्मा, Eds.) वाराणसी: चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन.

11. सुशील कुमार पाण्डेय .देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है .(2021) . *भाषा*, .19-17

स्वतंत्रोत्तर भारत की शिक्षा नीतियों में निहित भाषा संबंधी विमर्श

शुभम कुमार पति[17] एवं ऋषभ कुमार मिश्र[18]

स्वतंत्र भारत में भाषा, शिक्षा एवं अस्मिता का संबंध एक महत्वपूर्ण अकादमिक विमर्श के रूप में उभरा है। इसके मूल में उपनिवेशक की भाषा (अंग्रेजी) और भारतीय भाषाओं के बीच द्वंद्व को व्याख्यायित करने का लक्ष्य रहा है। भाषा, शिक्षा और अस्मिता के संबंध की समस्या इस कारण पैदा हुई। औपनिवेशिक शासन के दौरान उपनिवेशकों ने अपनी सत्ता को स्थापित और मजबूत करने के लिए दृश्य और अदृश्य तरीके से अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अपने विचारों, विश्वासों, रीति-रिवाजों की श्रेष्ठता एवं वर्चस्व स्थापित किया। इस प्रक्रिया में उपनिवेशक समुदाय ने भाषा को एक ऐसे हथियार के रूप में प्रयुक्त किया जो उपनिवेशित संस्कृति पर प्रहार करने और उपनिवेशक की सांस्कृतिक अस्मिता को स्थापित करने में उपयोगी सिद्ध हो। इसी कारण स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रता उपरांत उपनिवेशवादी मानसिकता से मुक्ति के लिए भारतीय भाषाओं की ओर सम्पूर्ण वापसी की माँग की गई। यहाँ 'वापसी' का अर्थ भारतीय भाषाओं का उपयोग ज्ञानार्जन की भाषा, संपर्क भाषा, प्रतिष्ठित भाषा और मानक भाषा के रूप में करने से है। इसके समांतर उदारवादी चिंतकों में ऐसा भी समूह रहा जो औनिवेशिक भाषाओं को व्यावहारिक विकल्प के रूप में देखता है। इस समूह का मानना है कि औपनिवेशिक भाषाओं का उपयोग अंतरराष्ट्रीय संवाद एवं संबंध स्थापित करने व सामाजिक संवर्धन के लिए हो सकता है। इस मत के पक्षधर भारतीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं। वे वैश्वीकरण और बाजार के दबाव के सहारे अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। इसमें वे इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लेते कि यदि साम्राज्यवादी भाषाओं का उपयोग स्वंत्रता के बाद भी हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वह समाज अभी भी उपनिवेशिक साम्राज्यवाद की सांस्कृतिक और भाषा के प्रभाव में है। यह संबंधित देश की मूल संस्कृति व भाषा का विनाश कर रही है (थिन्गो, 1986)। उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्रों में बुद्धिजीवियों तथा सत्ता के प्रतिनिधियों व अन्य ताकतवरों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा वास्तव में एक वर्चस्ववादी हथियार है (फैनन, 1952)। इस हथियार का उपयोग वे अपने कमजोर प्रतिद्वंदियों की अस्मिता, उनकी भावना, उनमें बदलाव व उन्हें अपने अधीन व नियंत्रित करने के लिए करते हैं। इसके द्वारा शोषित समूह में अपने नाम, अपनी भाषा, अपने परिवेश, अपने संघर्ष की विरासत, अपनी एकता, अपनी क्षमताओं और अंततः अपने आप में विश्वास को खत्म करने की ओर अग्रसर किया जाता है। परिणामस्वरूप यह समूह अपनी भाषा और संस्कृति को विस्मृत करने तथा अपने अतीत को 'गैर-उपलब्धि वाली बंजर भूमि' के रूप में देखने लगता है एवं उससे से दूरी बनाने के लिए प्रेरित होता है। अंततः ऐसा समूह अपनी भाषा व संस्कृति के बजाय दूसरों की भाषा व संस्कृति को श्रेष्ठ मानने लगता है। यह हीनता उनमें स्वराज बोध को पनपने ही नहीं देता।

स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीतियों में भाषा की प्रस्तुति

[17] शिक्षाशास्त्र अध्येतामहाराष्ट्र ,महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ,
[18] अस्सिस्टेंट प्रोफेसरअंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली .आर .बी .डॉ ,एजुकेशन स्टडीज़ स्कूल ऑफ़ ,

स्वतंत्र भारत में शिक्षा से संबंधित नीतियों में भी उपर्युक्त विवेचित द्वन्द्व देखे जा सकते सकते हैं। यद्यपि ये नीतियाँ भारतीय भाषाओं की शिक्षा और इनके माध्यम से शिक्षा के प्रति सचेत थी, तथापि भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के बीच चुनाव, प्राथमिकता का प्रश्न बना रहा है। वस्तुतः शिक्षा नीतियों की भाषा से संबंधित संस्तुतियां भाषाई व औपनिवेशीकरण के वृहद्तर एजेंडे व नव उपनिवेशवाद के दबाव को समझने का माध्यम है। शिक्षा नीतियों की भाषा संबंधित संस्तुतियों का एक एक प्रमुख संदर्भ 'त्रिभाषा सूत्र' है। इसे पहली बार 1957 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा सुझाया गया और 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा इसका समर्थन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में दस्तावेजीकृत किया गया। इसके अनुसार विद्यालय स्तर पर भाषा शिक्षण के एक पैटर्न का अवलोकन किया जा सकता है- प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा (L1) में गैर-हिंदी भाषी राज्यों में बाकी दो भाषाएँ हैं- राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी (L2) व विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी (L3) तथा हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी (L2) तथा संविधान की आठवीं अनुसूची (L3) में सूचीबद्ध आधुनिक भारतीय भाषाओं में से कोई एक। हालाँकि इस नीति को सैद्धांतिक रूप से अधिकांश राज्यों ने स्वीकार किया लेकिन इसका कार्यान्वयन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। त्रिभाषा सूत्र को शिक्षा जगत के साथ-साथ भारतीय समाज में भाषा संबंधी द्वन्द और विरोधाभासों के समाधान के रूप में प्रस्तावित किया गया था। समाधान के लिए यह आवश्यक था कि हिंदी तथा गैर-हिंदी भाषियों द्वारा समर्थित भाषाओं को समान रूप से शिक्षा नीति में स्थान और बल मिले। परन्तु भारतीय संविधान अनुच्छेद 351 को उद्धरित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करने का अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया- "हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संविधान के अनुच्छेद 351 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार काम करेगी...गैर-हिन्दी राज्यों में, शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी का उपयोग करने वाले कॉलेजों तथा उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए"। इस विचार ने त्रिभाषा सूत्र के प्रति संदेहात्मक दृष्टि पैदा की। इसे तमिलनाडु जैसे गैर-हिंदी भाषी राज्य ने पुनः केंद्र की ओर से हिंदी प्रेम की तरह लिया। तमिलनाडु द्विभाषा सूत्र (तमिल और अंग्रेजी) पर ही अडिग रहा। कालांतर में इस दौड़ में पुडुचेरी और त्रिपुरा भी शामिल हो गए। वस्तुतः त्रिभाषा सूत्र का लक्ष्य था कि भारतीय भाषाओं के संवर्धन द्वारा सामूहिक अस्मिता को समायोजित करना, राष्ट्रीय एकता की पुष्टि करना एवं प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है। दुर्भाग्य से त्रिभाषा सूत्र प्रारंभिक रूप में बहुभाषिकता के महत्व को साकार करने में असमर्थ रहा। इसका प्रमुख कारण भाषा संबंधी तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियाँ और कक्षा में व्यावहारिक रूप से इस सूत्र का क्रियान्वयन न होना रहा। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य विद्यार्थियों में बहुभाषिकता और बहुसंस्कृतिवाद को सकारात्मक रूप से पोषित करना था। बहुभाषा के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषा के रूप में कई विकल्प मौजूद थे। पूरे भारत में त्रिभाषा नीति का एक समान क्रियान्वयन नहीं है, अपितु सामान्यतः पहली भाषा प्राथमिक स्तर पर तथा दूसरी एवं तीसरी भाषा माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जाती है। चौधरी (2013) ने भारतीय भाषाओं में पदानुक्रम को आधार बनाकर शिक्षा नीतियों में भाषा संबंधी प्राविधानों को समझने का प्रयास किया है। इस पदानुक्रम के शीर्ष पर आधिकारिक संघीय भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी हैं। इसके बाद आधिकारिक राज्य भाषाएँ हैं और फिर वैसी भाषाएँ हैं जिनका संघीय या राज्य स्तर पर कोई प्राथमिक या आधिकारिक भाषा नहीं है अपितु उसे दस लाख से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। अंत में छोटे समूह वक्ता वाली एवं जनजातीय भाषाएँ हैं, जिनका अधिकारिक काम-काज में कोई स्थान नहीं है। कुछ भाषाओं के संदर्भ में इन्हें सरकारों द्वारा विशेष प्राविधान के

अंतर्गत संरक्षण भी प्राप्त है। इस वर्ग को ध्यान में रखते हुए चौधरी (2013) का विचार उल्लेखनीय है। इनके अनुसार सरकारों द्वारा प्रायः मातृभाषा की संकीर्ण परिभाषा को ही स्वीकार करके नीतियाँ बनायी जाती हैं। इसकी व्यापक परिभाषा यह है कि बिना लिखित परंपरा वाली कोई भी भाषा स्वचालित रूप से क्षेत्रीय भाषा की बोली मानी जाती है। इसका प्रयोग भी मातृभाषा की तरह करना चाहिए। ऐसा होने से इन भाषाओं का स्वाभाविक संरक्षण और संवर्धन होगा।

उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाएं

उच्च शिक्षा में अनुदेशन के रूप में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में शिक्षा नीतियों के विचार हमेशा से अस्पष्ट रहे हैं (नाईक एवं नूरुल्लाह, 2000)। चूँकि उच्च शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगारपरक भी बनाना है, इसलिए रोजगार के अवसरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी उच्च शिक्षा की संरचना निर्धारित की जाती है। इस संदर्भ में अंग्रेजी बनाम भारतीय भाषाओं का विवाद एक पृथक आयाम का निर्माण करता है। वैश्विक स्तर पर अकादमिक जगत में अंग्रेजी का बोलबाला है, इसीलिए अधिकांश उच्च शिक्षा में अंग्रेजी, अकादमिक अनुदेशन की भाषा के रूप में व्याप्त है (शॉ, 2018)। जयराम (1993) ने अपने शोध पत्र 'दी लैंग्वेज क्वेश्चन इन हायर एजुकेशन: ट्रेंड्स एंड इश्यूज' में कर्नाटक के विश्वविद्यालयों के कुछ निर्णयों और उनके परिणामों को रेखांकित किया है। इन्होंने पाया कि यद्यपि सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में किसी स्थानीय भाषा को एक विषय/पेपर के रूप में पाठ्यक्रम में अनिवार्य या वैकल्पिक रूप में चयन के आधार पर जोड़ा गया, लेकिन उच्च शिक्षा का विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम में सीखी गयी भाषाओं का न तो संवाद के रूप में कभी उपयोग कर पाए और न ही इसके मूल विषय या अनुशासन में कोई प्रासंगिता थी। पट्टनायक (1981) को उद्धृत करते हुए जयराम (1993) ने बताया है कि समाज-भाषाविज्ञान के दृष्टिकोण से वर्तमान शिक्षा, विद्यार्थियों को एकभाषी बनाती है। शिक्षा का स्तर जितना ऊँचा होता चला जाएगा, विषय के रूप में भाषा की माँग उतनी घटती जाएगी और भाषा की कमी का संचयी प्रभाव होता जाएगा। अर्थात् विषय और भाषा के माध्यम से विद्यार्थी अपनी मातृभाषा से दूर होता चला जाता है जिससे उसके सृजनात्मक स्तर और भाषाई अस्मिता पर प्रभाव पड़ता है।

भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में शिक्षा नीतियों का अनुशीलन बताता है कि इन नीतियों में विद्यालयों को 'भाषा की प्रयोगशाला' की तरह देखा गया है। इस प्रयोगशाला में एक ओर भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम से ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में स्थापित करने का लक्ष्य है, तो दूसरी ओर व्यावहारिक एवं व्यावसायिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी के मोहजाल में फंसे रहने की विवशता है। यह प्रवृत्ति एशक्रॉफ्ट तथा अन्य (2013) एवं शाकिब (2011) की स्थापना को पुष्ट करती है कि दीर्घकाल तक उपनिवेशवाद का दंश झेल चुके राष्ट्रों की शैक्षिक नीतियां सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्प्राप्ति के रूप में देशज/मातृ भाषाओं को अपनाना चाहती हैं लेकिन इसे वे अंतरराष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की कीमत पर नहीं कर सकती। इस कारण इन राष्ट्रों में अंग्रेजी जैसी औपनिवेशिक भाषा की प्रासंगिकता बनी रहती है। भारत की शिक्षा नीतियों का अनुशीलन यह भी बताता है कि राष्ट्रीय भाषा के आशावादी दृष्टिकोण से 'हिंदी' को 'प्रतिष्ठित भाषा' के रूप में व्यापकता प्रदान करने का प्रयास किया गया जिसे दक्षिण भारत में विरोध का सामना करना पड़ा। भारत की शिक्षा नीतियों का गहन अध्ययन करने से

यह पता चलता है कि स्थानीय भाषाओं, देशज भाषाओं को सामूहिक रूप से संबोधित किया गया है (मातृभाषा के रूप में भी) जबकि हिंदी, संस्कृत, तमिल (कभी-कभी), तथा अंग्रेजी को विशिष्ट रूप से संबोधित किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थानीय भाषा तथा मातृभाषा के मुद्दे को स्थानीय या राज्य के हवाले छोड़ दिया गया है। अर्थात् नीतियों ने यह माना कि भारत में भाषाई विमर्श में विरोध तथा द्वन्द इन्हीं भाषाओं के मध्य है। समग्र रूप से सामाजिक एवं राजनीतिक परिपेक्ष्य में यह माना गया कि भारत में अंग्रेजी सांस्कृतिक अधिग्रहण के रूप में स्थापित औपनिवेशिक भाषा है। चूंकि अंग्रेजी भाषा में रोजगार की संभावनाएं अधिक हैं इसीलिए शिक्षा नीतियों ने भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा में उपयोग करने के लिए केवल 'सुझाव' ही दिए हैं, उनके क्रियान्वयन या समकालीन परिस्थिति पर कोई समालोचनात्मक टिप्पणी नहीं मिलती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और भारतीय भाषाएं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने भारतीय भाषाओं के संदर्भ में सकारात्मक माहौल बनाने का कार्य किया है। इस नीति ने त्रिभाषा सूत्र को जारी रखते हुए माना है कि इस सूत्र में तभी लचीलापन आएगा जब राज्यों पर भाषाओं की बाध्यता नहीं थोपी जाएगी। इससे बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिलेगा। इस नीति की संस्तुति है कि विद्यालय स्तर पर तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएँ भारतीय होनी चाहिए। सरकारी तथा गैर-सरकारी विद्यालयों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के सन्दर्भ में यह सुझाव दिया गया है कि 'जहाँ तक संभव हो' इसे कम से कम ग्रेड 5 या ग्रेड 8 अथवा उससे भी आगे इनका उपयोग शिक्षा के माध्यम के रूप में हो तथा इसके बाद घर या स्थानीय भाषा को एक विषय के रूप में 'जहाँ तक संभव हो' पढ़ाया जाता रहेगा।

यह नीति प्रस्तावित करती है कि "सभी भाषाओं को सभी छात्रों को उच्चतर गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा। एक भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है" (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 20)। प्रस्तावित नीति का यह मानना है कि विज्ञान तथा गणित की उच्चतम गुणवत्ता वाली द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों और शैक्षिक सामग्रियों का व्यापक रूप से निर्माण किया जाएगा ताकि विद्यार्थी दोनों विषयों (स्थानीय/ मातृभाषा और अंग्रेजी) में सीखने तथा बोलने में सक्षम हो सकें। इस नीति ने 'दी लैंग्वेज ऑफ इंडिया' नामक कलात्मक परन्तु गैर-मूल्यांकन परियोजना को माध्यमिक स्तर पर प्रारंभ करने का सुझाव भी दिया है। जिसमें छात्र अधिकांश रूप से भारतीय भाषाओं की एकता तथा भाषाओं के समृद्ध प्रभाव तथा अंतर को जानेंगे। इस नीति में संस्कृत को त्रिभाषा के मुख्यधारा विकल्प के साथ विद्यालय स्तर से उच्च शिक्षा तक समृद्ध विकल्प के रूप में पेश करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस नीति की संस्तुति है कि संस्कृत के साथ अन्य शास्त्रीय भाषाएँ, तमिल, तेलगु, कन्नड़, ओड़िया, मलयालम, पाली, प्राकृत और फारसी को भी विद्यालय में विकल्प के रूप में कम से कम दो वर्ष सीखने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे साथ ही, विश्व संस्कृति को जानने के लिए माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा के रूप में कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी सीखने के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

हमारे समाज की बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक प्रकृति यह स्पष्ट करती है कि हमें राष्ट्रीय एकजुटता, सांस्कृतिक एकीकरण और सामाजिक क्षेत्र में गतिशीलता के लिए एक से अधिक भाषाओं की आवश्यकता है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय भाषाओं के लिए एक संभावना के साथ उपस्थित है। इस नीति के मूल में यह आधारभूत मान्यता निहित है कि विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में 'सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्प्राप्ति' के लिए किसी एक भाषा के प्रति आग्रह वास्तव में औपनिवेशिक शासन द्वारा एक भाषा को प्रसारित करने की रणनीति की ही नकल करना है। इसे ध्यान में रखते हुए यह नीति मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा द्वारा संज्ञानात्मक सुगमता का मार्ग प्रशस्त करती है। यह नीति भारतीय भाषाओं को वर्तमान तकनीकी प्रगति के साथ कदमताल करने के लिए समर्थ बनाने की आस जगाती है। यह नीति भाषाई उपनिवेशवाद से मुक्ति की चेतना के साथ वैचारिक स्वराज के लिए भारतीय भाषाओं को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने का माध्यम बन सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

एशक्रॉफ्ट, बी., ग्रिफ़िथ्स, जी., और टिफ़िन, एच. (2013) पोस्ट-कोलोनियल स्टडीज: की कॉन्सेप्ट्स, रूटलेज

चौधरी, ए. (2013). लैंग्वेज कोम्प्लेक्सिटी एंड दी 'थ्री लैंग्वेज फार्मूला': लैंग्वेज एंड एजुकेशन इन इंडिया. जे. बॉर्न और ई. रीड (संपादक), वर्ल्ड इयरबुक ऑफ एजुकेशन 2003: लैंग्वेज एजुकेशन (प्रथम संस्करण, 231-243),रूटलेज, (मूल कार्य 2005 में प्रकाशित)

जयराम, एन. (1993), दी लैंग्वेज क्वेश्चन इन हायर एजुकेशन: ट्रेंड्स एंड इश्यूज. हायर एजुकेशन, 26(1), 93-114.

थिन्गो, एन. डब्ल्यू. (1986). डीकोलोनाएजिंग दी माइंड,पोर्ट्समाउथ एन. एच. ज. करी

नाइक, जे.पी., एंड्रयू, वी., और नुरुल्ला, एस. (2000). ए स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन इन इंडिया: 1800-1973. मैकमिलन पब्लिशर्स इंडिया.

फैनन, एफ. (1952), ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क्स. ग्रोव प्रेस

शिक्षा मंत्रालय (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. दिल्ली

शाकिब, एम.के. (2011), दी पोजीशन ऑफ़ लैंग्वेज इन डेवेलपमेंट ऑफ़ कॉलोनाईजेशन. जर्नल ऑफ लैंग्वेजेज एंड कल्चर, 2(7), 117-123.

भारतीय ज्ञान परंपरा की पृष्ठभूमि में उपनिषद कालीन शिक्षा के लक्ष्य एवं उनकी वर्तमान में उपयोगिता का अध्ययन

डॉ. ललित मोहन जोशी

सारांश

वर्ष 2020 में भारत में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सूत्रपात हुआ। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रचलित शिक्षा पद्धति को भारतीय आदर्शों एवं मूल्यों पर स्थापित करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। यह कार्य तभी संभव है जब एक बार पुन: भारतीय ज्ञान परंपरा का अन्वेषण कर, उस प्राचीन गौरवशाली शिक्षा व्यवस्था के मूल्यवान पक्षों की सहायता से वर्तमान शिक्षा पद्धति में व्याप्त दोषों को दूर कर भारतीयता पर आधारित शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ किया जाय। इस कार्य हेतु सर्वप्रथम प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विविध पक्षों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक प्रतीत होता है। "उपनिषद" भारतीय ज्ञान परंपरा एवं दर्शन की वह अमूल्य निधि हैं जिनके अध्ययन से प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पक्षों का बोध होता है। उपनिषदों में मानव जीवन के विविध पक्षों एवं अंतिम वास्तविकता के संदर्भ में गहन चिंतन किया गया है। अधिकांश उपनिषदों की पृष्ठभूमि में गुरु एवं शिष्य के मध्य हुए वार्तालाप का वर्णन प्राप्त होता है। उनके इस वार्तालाप से तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के विविध पक्षों का बोध भी होता है। उपनिषदों में जीव, जगत, सृष्टि, विश्व, ब्रह्मांड एवं परमसत्ता के संदर्भ में एक सुव्यवस्थित, संगठित एवं तार्किक व्याख्या प्राप्त होती है। यही कारण है कि न केवल भारतीय अपितु पाश्चात्य विद्वानों द्वारा भी उपनिषदों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है एवं उन पर शोध भी किया गया है। उपनिषद कालीन शिक्षा व्यवस्था में ऐसे अनेक शाश्वत मूल्य निहित हैं जो प्रत्येक समय एवं स्थान हेतु आवश्यक प्रतीत होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्राचीन भारत में ज्ञानार्जन जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित नहीं था अपितु यह आत्मज्ञान एवं मुक्ति हेतु किया जाता था। प्रस्तुत शोधपत्र में दार्शनिक शोध विधि का प्रयोग करते हुए उपनिषद कालीन शिक्षा प्रणाली में निहित शिक्षा के लक्ष्यों एवं उनकी वर्तमान में उपयोगिता का अध्ययन करने का प्रयास किया गया।

प्रस्तावना

वेद भारतीय ज्ञान परंपरा के आदि स्रोत हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रारंभ में केवल एक ही वेद ऋग्वेद था जिससे क्रमशः शेष तीन वेदों; यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद का प्रादुर्भाव हुआ। विषय की दृष्टि से वेदों का विभाजन तीन भागों; कर्मकांड, उपासनाकांड तथा ज्ञानकांड के अंतर्गत किया जाता है। इनमें से उपनिषदों को ज्ञानकांड के अंतर्गत स्थान प्रदान किया गया है। वेदों का सार एवं सर्वश्रेष्ठ भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत की संज्ञा भी प्रदान की गई है। विद्वत्जनों द्वारा उपनिषदों को उस चिरप्रदीप्त ज्ञानदीप की संज्ञा प्रदान की गई है जो आदिकाल से अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रसार कर रहा है। उपनिषदों के महत्व का विवेचन इस तथ्य से भी पुष्ट होता है कि प्रस्थानत्रयी की संज्ञा से विभूषित श्रृंखला में वर्णित ब्रह्मसूत्र तथा श्रीमद्भगवद्गीता दोनों, अंततः उपनिषदों पर ही आश्रित हैं।

उपनिषदों के संबंध में जन सामान्य की भ्रमपूर्ण अवधारणा यह है कि ये धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें मात्र धार्मिक प्रकरणों पर ही चर्चा की गई है। परंतु यह उचित नहीं है, वास्तविकता यह है कि उपनिषदों का दार्शनिक एवं शैक्षिक महत्व उनके धार्मिक पक्ष से भी कई गुना अधिक है। डॉ. राधाकृष्णन ने उपनिषदों के दार्शनिक पक्ष की महत्ता को इंगित करते हुए स्वीकार किया है कि भारतीय दर्शन का मूल स्रोत उपनिषद ही हैं। मैक्समूलर तथा शॉपनहावर जैसे

विद्वानों ने भी उपनिषदों में निहित दर्शन को प्रखर मेधा के परिणाम के रूप में स्वीकार किया है। दर्शन के साथ ही उपनिषद, शैक्षिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि इस कथन के पक्ष में तर्क देना हो तो यह सरलता से कहा जा सकता है कि जहां एक ओर मुंडक, मांडूक्य, केन एवं ईशावास्य जैसे उपनिषदों में विद्या के अर्थ एवं स्वरूप के विषय में व्यवस्थित रूप से विचार किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मांडूक्योपनिषद एवं छान्दोग्य उपनिषद जैसे अनेक उपनिषदों की पृष्ठभूमि, गुरु-शिष्य के मध्य हुए प्रश्नोत्तर एवं वार्तालाप पर आधारित है। अत: भारतीय ज्ञान परंपरा एवं शिक्षा व्यवस्था को उचित रूप से जानने के लिए उपनिषदों का अध्ययन आवश्यक प्रतीत होता है।

उपनिषद का अर्थ

उपनिषद शब्द की उत्पत्ति "उप" एवं "नि" उपसर्गों के साथ "सद्" धातु में क्विप प्रत्यय के प्रयोग से मानी जाती है। उप शब्द का अर्थ समीप तथा नि का तात्पर्य निष्ठा है। सद् धातु को तीन अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है जो कि क्रमशः विसरण (विनाश) अवसादन (शिथिल करना) तथा गति (ज्ञान और प्राप्ति) हैं। इस आधार पर उपनिषद को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है।

"शिष्य का गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना जिससे उसकी अविद्या का नाश हो, कर्म बंधन शिथिल हों, जिससे वह ब्रह्म की प्राप्ति कर सके। "

कुछ विद्वानों द्वारा उपनिषद को इस प्रकार भी परिभाषित किया गया है –

"उप सामीप्येन, नि नितरां प्राप्नुवन्ति परं ब्रह्म यया विद्यया सा उपनिषद। "

अर्थात जिस विद्या के द्वारा परब्रह्म का सामीप्य एवं तादात्म्य प्राप्त किया जाता है, वह उपनिषद है।
आदि शंकराचार्य ने उपनिषद को इस प्रकार परिभाषित किया है –
"उपनिषद वह विद्या है जो मनुष्य के अज्ञान का अंत कर उसे ब्रह्म की प्राप्ति कराती है।"

उपनिषदों में निहित शिक्षा का स्वरूप –

ईशावास्योपनिषद में शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है –

विद्यां चाविद्यां च यस्द्वेदोभयँ सह
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। (ईशा.उप. 11)

अर्थात जो व्यक्ति अविद्या (लौकिक / व्यवहारिक विद्या) तथा विद्या (परा /आध्यात्मिक विद्या) दोनों को एक साथ जानता है, वह अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति करता है।

केनोपनिषद में भी शिक्षा के संबंध में इसी प्रकार के विचार प्राप्त होते हैं –

विद्यया विन्दते अमृतम् (केन उप॰ 2/4)

अर्थात विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है।

ईशावास्य उपनिषद तथा मुंडक उपनिषद में शिक्षा के दो प्रकारों क्रमशः विद्या-अविद्या एवं परा-अपरा विद्या का उल्लेख प्राप्त होता है। इनमें से अविद्या तथा अपरा विद्या से तात्पर्य लौकिक/ सांसारिक विद्या से है, जो इस संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है। विद्या एवं परा विद्या से तात्पर्य उस विद्या से है जो व्यक्ति को जन्म-मृत्यु संबंधी समस्त बंधनों से मुक्त करती है।

उपनिषदों में निहित शिक्षा के लक्ष्य

पृथक-पृथक उपनिषदों में जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को क्रमशः मोक्ष प्राप्ति, ब्रह्मज्ञान एवं आत्मज्ञान के रूप में निर्धारित किया गया है। इन सभी के पीछे मूल भाव यह है कि मनुष्य इस भौतिक जगत की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करते हुए, जन्म-मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सके। इस हेतु उपनिषदों में आत्मानुभूति को आवश्यक माना गया है। तैत्तिरीयोपनिषद में वर्णित पंचकोषों की अवधारणा आत्मानुभूति की प्राप्ति का सर्वाधिक उपयुक्त एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि पंचकोषों की अवधारणा को ही उपनिषद कालीन शिक्षा के लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित पंचकोषों का शैक्षिक लक्ष्यों के संदर्भ में संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है।

1.अन्नमय कोश

अन्नमय कोष जीवन के भौतिक एवं शारीरिक पक्ष से संबंधित है। मनुष्य का शरीर अन्न से निर्मित है और आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है। अत: इस कारण उपनिषद के ऋषियों ने अन्न को ब्रह्म माना है। इस संदर्भ में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य मनुष्य के जीवन के शारीरिक एवं भौतिक पक्ष का विकास करना निर्धारित किया जा सकता है। स्वयं तथा परिवारजनों के भोजन, वस्त्र तथा आवास की उपलब्धता को इस उद्देश्य में समाहित किया जा सकता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भोजन, वस्त्र तथा आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा का प्रारंभिक लक्ष्य होना चाहिए।

2.प्राणमय कोश

प्राणमय कोष, प्राण अर्थात जीवन ऊर्जा से संबंधित है। सृष्टि के समस्त जीवधारी इस ऊर्जा की उपस्थिति में ही अपने विविध कार्यों का संपादन करने में समर्थ होते हैं। इस ऊर्जा के अभाव में जीवित प्राणियों के शरीर के विविध तंत्र, अवयव एवं इंद्रियाँ क्रियाशील नहीं हो पातीं। इस दृष्टिकोण से शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीव जगत के ज्ञान को शिक्षा के द्वितीय लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

3.मनोमय कोश

यह कोष ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और अंतःकरण का समुच्चय है। इस कारण इसे अनुभव, विचार, स्मृति, कल्पना एवं संवेगों से संबंधित माना जा सकता है। इस आधार पर ज्ञानात्मक एवं भावात्मक विकास को उपनिषद कालीन शिक्षा के तृतीय लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

4. विज्ञानमय कोश

विज्ञानमय कोष "विवेक युक्त बुद्धि " से संबंधित है, जो मनुष्य को उस क्षमता से युक्त करता है जिससे कि वह विविध प्रकार की अच्छी दिखाई देने वाली वस्तु अथवा परिस्थितियों में से उसका चयन करने में समर्थ होता है,

जो वास्तव में उसके लिए शुभ होती हैं। अन्य शब्दों में विज्ञानमय कोष विवेक युक्त बुद्धि से संबंधित है जो मनुष्य को "श्रेयस" अर्थात वास्तविक सुख एवं "प्रेयस" अर्थात आभासी सुख के मध्य अंतर कर सकने की क्षमता प्रदान करती है। इस आधार पर विवेक युक्त बुद्धि का विकास उपनिषद कालीन शिक्षा के चतुर्थ लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

5.आनंदमय कोश

यह औपनिषदिक शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य है। इस स्थिति में पहुंचने पर मनुष्य के व्यक्तित्व का रूपांतरण इस प्रकार हो जाता है कि ज्ञाता तथा ज्ञेय के मध्य का पार्थक्य समाप्त हो जाता है। यह मनुष्य की वह मुक्त अवस्था है, जहां उसे उचित अथवा अनुचित का भेद करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु वह सहज रूप से ही इनमें अंतर करने में सफल हो जाता है। यह अवस्था वह है जहाँ सद्गुण सहज रूप से ही व्यवहार का अंग बन जाते हैं। इस अवस्था में मनुष्य के किए गए समस्त कार्य अनिवार्य रूप से शुभ ही होते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक विकास को उपनिषद कालीन शिक्षा व्यवस्था का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है।

पंचकोषों के अतिरिक्त उपनिषदों में वर्णित श्लोकों के आधार पर भी उपनिषद कालीन शिक्षा के कुछ अन्य लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं जो कि इस प्रकार हैं।

ज्ञान की प्राप्ति

उपनिषद वैदिक साहित्य के ज्ञानकांड के अंतर्गत आते हैं अतः इन में ज्ञान प्राप्ति पर विशेष बल दिया गया है। कठोपनिषद में ज्ञान प्राप्ति का आह्वान करते हुए यह कहा गया है।

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या
दुर्गं पथस्तस्य कवयो वदंति। **(कठोप ० 1 /3/14)**

अर्थात -उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान की प्राप्ति करो। तत्व ज्ञानीजन ज्ञान के इस मार्ग को छुरे की धार के समान तीक्ष्ण एवं कठिन बताते हैं।

कर्मशीलता

जनसामान्य में उपनिषदों के संदर्भ में यह भ्रमपूर्ण अवधारणा प्रचलित है कि उपनिषद मात्र धार्मिक ग्रंथ हैं जो मनुष्य को लौकिक जगत के कर्मों से विमुख कर सन्यास की ओर प्रवृत्त करते हैं। परंतु वास्तविकता इसके सर्वथा विपरीत है। ईशावास्योपनिषद का दूसरा ही मंत्र कर्म करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से युक्त जीवन जीने का उपदेश देता है जो कि इस प्रकार है।

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतँ समा:
एवं त्वयि नान्यथेयोऽअस्ति न कर्म लिप्यते नरे। **(ईशा . उप. 2)**

अर्थात कर्म फल की चिंता किए बिना शुभ कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने से ही कर्म के बंधन से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने के इसी सकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन शुक्ल यजुर्वेद में इस प्रकार प्राप्त होता है –

पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् श्रुणुयाम
शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना: स्याम शरदः शतम्। (शु० य० 36/24)

अर्थात हम सौ वर्ष तक जीवित रहें, हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सौ वर्षों तक कार्य करती रहें, सौ वर्ष तक हम सुनने की क्षमता से युक्त रहें अर्थात ज्ञान का संचय करते रहें और इतने ही वर्षों तक हम अदीन रहें अर्थात दीन-हीन अवस्था में न रहें, स्वस्थ रहें।

ज्ञान एवं कर्म का समन्वय

उपनिषदों में ज्ञान एवं कर्म का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उपनिषदों में यह माना गया है कि ज्ञान एवं कर्म पृथक-पृथक होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। ईशावास्योपनिषद के निम्नलिखित मंत्र से भी इसकी पुष्टि होती है।

अन्धतमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाँ रताः। (ईश उप 9)

अर्थात जो व्यक्ति केवल अविद्या अर्थात कर्म में ही रत रहता है वह तो अंधकार में प्रवेश करता है, उससे भी अधिक अंधकार में वह व्यक्ति प्रवेश करता है जो केवल विद्या अर्थात ज्ञान की प्राप्ति में ही रत रहता है।

तत्पश्चात ईशावास्योपनिषद के ही अगले मंत्र में ज्ञान एवं कर्म के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए यह कहा गया है कि, जो व्यक्ति ज्ञान एवं कर्म दोनों को एक साथ जानता है वह अविद्या अर्थात कर्म से मृत्यु को पार कर विद्या अर्थात ज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति करता है।

सत्यानुसरण

उपनिषदों में पृथक-पृथक स्थानों पर सत्य की महिमा का वर्णन एवं उसका अनुसरण करने का उपदेश प्राप्त होता है। कुछ उपनिषदों में सत्य को ब्रह्म के प्रमुख लक्षण के स्वरूप में व्यक्त किया गया है यथा-

सत्यं ज्ञानमनंतम ब्रह्म। (तैत्तिरीय उप०1/2/1)

अर्थात् ब्रह्म, सत्य, ज्ञान एवं अनंत है। इस स्थान पर सत्य शब्द नित्य सत्ता का बोधक है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्म नित्य (सत्य) है जो सदा विद्यमान रहता है। ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप है क्योंकि उसमें अज्ञान का लेशमात्र भी शेष नहीं रहता। ब्रह्म, आनंद है क्योंकि वह देश काल की सीमा से परे है।

ईशावास्य उपनिषद के पन्द्रहवें मंत्र में ब्रह्म को सत्य स्वरूप मानते हुए उसकी प्राप्ति हेतु यह प्रार्थना की गई है-आदित्य मंडल स्थित सत्य अर्थात ब्रह्म का मुख स्वर्णमयी ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषन, भरण-पोषण

करने वाले परमेश्वर, सत्य की उपासना करने वाले मुझ सत्यधर्मा को अपने सत्य स्वरूप का दर्शन कराने के लिए उस आवरण को हटाने की कृपा करें। सत्य की महिमा का उत्कृष्ट वर्णन करते हुए मुंडक उपनिषद में यह कहा गया है कि सत्य की ही विजय होती है असत्य की नहीं, सत्य से ही वह मार्ग प्रशस्त होता है जिसका अनुसरण कर ज्ञानीजन उस धाम को प्राप्त होते हैं जहां वह सत्य का परम निधान निवास करता है। इस प्रकार उपनिषदों में सत्य लक्षण को ब्रह्म के स्वरूप एवं प्राप्ति के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः सत्यानुसारण को भी उपनिषद कालीन शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

व्यक्तिगत, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों के पालन का समावेश

उपनिषद कालीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य व्यक्तिगत, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों के पालन के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित समापवर्तन संस्कार में दिए जाने वाले अंतिम उपदेश में इसका व्यवस्थित वर्णन प्राप्त होता है। यह संस्कार विद्यार्थियों के अध्ययन की अवधि पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया जाता था, जिसमें गुरु द्वारा अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया जाता था।

इस उपदेश में जहां एक ओर सत्य बोलने, धर्म का पालन करने, स्वाध्याय करने, देव, गुरु एवं पितृ ऋण चुकाने, शुभ कर्मों को करने जैसे व्यक्तिगत कर्तव्यों के पालन का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी ओर गुरुजनों के शुभ आचरणों का अनुसरण करने, निंदनीय कर्म न करने, श्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा एवं सम्मान करने, श्रद्धापूर्वक एवं अभिमान रहित होकर दान करने जैसे नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों के पालन करने का निर्देश भी प्राप्त होता है। इस उपदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि उपनिषद काल में शिक्षा वास्तविक अर्थों में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में विद्यमान थी।

नैतिक तथा चारित्रिक विकास

उपनिषदों में नैतिक-चारित्रिक विकास को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। उपनिषदों में ज्ञान प्राप्त करने का वास्तविक अधिकारी उसे माना गया है जो नैतिक तथा चारित्रिक गुणों से युक्त हो। कठोपनिषद में वर्णित यम नचिकेता संवाद से इसकी पुष्टि होती है। जब नचिकेता, यम से आत्मज्ञान का रहस्य जानने संबंधी प्रश्न करते हैं तब यम, नचिकेता की पात्रता को निर्धारित करने हेतु उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं। परंतु नचिकेता उन प्रलोभनों को अस्वीकार कर देते हैं। नचिकेता की नैतिक–चारित्रिक दृढ़ता से प्रसन्न होकर यम उन्हें आत्मज्ञान का रहस्य बताते हैं। उपनिषदों में आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु आत्मसंयम को आवश्यक माना गया है, इस संबंध में कठोपनिषद के इस श्लोक का वर्णन करना आवश्यक प्रतीत होता है।

आत्मानं रथिनमं विद्धि: शरीरम् रथमेव तु

बुद्धिं तु सारथिं विद्धिः मन: प्रग्रहमेव च। **(कठो . 1/3/3/4)**

अर्थात - शरीर को रथ के समान मानना चाहिए तथा आत्मा को रथी अर्थात् रथ के स्वामी के समान मानना चाहिए ,बुद्धि को सारथी के समान मानना चाहिए और मन को उस लगाम के समान मानना चाहिए जो कि इस रथ को खींचने वाले अश्व रूपी इंद्रियों को नियंत्रित करती है। कठोपनिषद में यह भी कहा गया है कि जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हैं , जिसका चित्त शांत नहीं है, वह आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इससे यह स्पष्ट होता है आत्मज्ञान हेतु नैतिक एवं चारित्रिक विकास आवश्यक है।

मोक्ष की प्राप्ति

उपनिषदों का अंतिम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है विविध उपनिषदों में इस अवस्था का वर्णन पृथक-पृथक रूप में किया गया है। कठोपनिषद में मोक्ष का वर्णन इस प्रकार किया गया है –

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थहः

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यय ब्रह्म समुश्नते। (कठो ० 2/3/15)

अर्थात जिस समय जीवित रहते हुए ही हृदय की संपूर्ण ग्रंथियाँ अर्थात अविद्याजनित वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, और जब यह शरीर ही मेरा अस्तित्व है, यह मेरा धन है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ जैसी भ्रांतियाँ दूर हो जाती हैं, तत्क्षण ही वह मनुष्य अमर हो जाता है यही संपूर्ण वेदांत का आदेश है।

इसके अतिरिक्त कठोपनिषद में यह भी कहा गया है कि जिस समय मनुष्य के हृदय की संपूर्ण कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं, उस समय वह मर्त्य अर्थात नाशवान अमर हो जाता है और ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है। उपनिषदों के मतानुसार मोक्ष प्राप्ति हेतु मृत्यु आवश्यक नहीं है। जीवित रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मोक्ष प्राप्ति के उपरांत मुक्तात्मा, सांसारिक एवं दैहिक तृष्णाओं के प्रति आसक्त नहीं होता। वह अपने जीवन के व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए कर्म तो अवश्य करता है परंतु इस अवस्था में उसे जीवन के सुख-दुख, मान–अपमान, लोभ-मोह इत्यादि प्रभावित नहीं कर पाते। इस अवस्था में मुक्त आत्मा को शुभ कर्म करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना होता अपितु शुभ कर्म तो उसके व्यवहार के सहज अंग बन जाते हैं। इस प्रकार आसक्ति का अनासक्ति में रूपांतरण ही मोक्ष है।

उपनिषद कालीन शिक्षा के लक्ष्यों की वर्तमान में उपयोगिता

उपनिषद कालीन शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि तत्कालीन शिक्षा के लक्ष्य विस्तृत एवं व्यापक थे। उपनिषद कालीन शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण इस प्रकार किया गया था जिससे कि मनुष्य के व्यक्तित्व के समस्त पक्षों का संतुलित विकास हो सके। उपनिषद कालीन शिक्षा के लक्ष्यों की वर्तमान में उपयोगिता को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है -

शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में उपयोगिता

विगत कुछ वर्षों से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल न हो पाने के कारण भारत में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्यों में वांछित स्तर की स्पष्टता और व्यापकता का अभाव है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान, मानव जीवन के भौतिक पक्ष तक ही सीमित रह गया है। विद्यार्थी, अभिभावक और समाज के लिए शिक्षा का लक्ष्य मात्र अर्थोपार्जन तक सीमित होकर रह गया है तथा नैतिक-चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास का स्थान भोग विलास युक्त जीवन ने ले लिया है। किंतु यह भी एक स्वयंसिद्ध तथ्य है कि भौतिक आवश्यकताओं कोई की सीमा नहीं होती और न ही इनका कभी अंत होता है। वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था की सफलता इससे निर्धारित की जाने लगी है कि उसे प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति आर्थिक रूप से कितना समृद्ध होता है। शिक्षा को अर्थोपार्जन एवं भोग विलास युक्त जीवन जीने तक सीमित करने के कारण जहां एक ओर शिक्षा के वास्तविक अर्थ एवं स्वरूप को क्षति पहुंची है

तो वहीं दूसरी ओर इससे प्रवेश परीक्षाओं एवं रोजगार संबंधी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का परीक्षा से पहले ही सार्वजनिक होना, नकल तथा भ्रष्टाचार जैसी दुष्प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। वर्तमान स्थिति को देखकर प्रतीत होता है कि सामाजिक, नैतिक-चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास जैसे लक्ष्य मात्र सैद्धांतिक पक्ष तक ही सीमित रह गए हैं। इनकी ओर न तो किसी का ध्यान है और न ही इनकी प्राप्ति के लिए कोई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य एक दिवास्वप्न बन कर रह जाता है। स्थिति तब और अधिक गंभीर हो जाती है जब इन भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति के लिए युवा वर्ग भ्रष्टाचार तथा अन्य अनैतिक साधनों का आश्रय लेने लगता है।

शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त इन समस्याओं को दूर करने में उपनिषद कालीन शिक्षा सहायक सिद्ध हो सकती है। उपनिषद कालीन शिक्षा के लक्ष्य व्यापक एवं स्पष्ट थे। शिक्षा के लक्ष्य जीवन के भौतिक पक्ष तक ही सीमित नहीं थे अपितु नैतिक–चारित्रिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास को भी स्वयं में समाहित करते थे। इनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि जीवन के भौतिक पक्ष का विकास आवश्यक तो है परंतु यह जीवन का एकमात्र एवं अंतिम लक्ष्य नहीं है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य वैयक्तिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन के मध्य एक उत्कृष्ट समन्वय स्थापित करने में निहित है, जहाँ मानव अपनी अंतिम वास्तविकता का साक्षात्कार करते हुए अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकता है। यदि इन लक्ष्यों की मूल भावना को वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाहित कर दिया जाए तो इससे व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की अनेक समस्याओं का अंत हो सकता है तथा सही अर्थों में एक सभ्य, सुसंस्कृत, एवं सहनशील समाज की स्थापना हो सकती है।

नीति निर्माताओं हेतु उपयोगिता

किसी भी देश की शैक्षिक नीति के निर्धारण अथवा संशोधन का दायित्व इस हेतु नियुक्त नीति निर्माताओं का होता है। नीति निर्माताओं द्वारा शैक्षिक नीति का निर्धारण करते समय शिक्षा के अर्थ एवं स्वरूप, शिक्षा के लक्ष्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ, गुरु-शिष्य संबंध एवं अनुशासन व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण पक्षों पर गंभीरता पूर्वक नीति बनाई जाती हैं। यह कार्य अत्यधिक जटिल एवं संवेदनशील प्रकृति का है। नीति निर्माताओं के समक्ष सर्वाधिक जटिल कार्य शिक्षा के अर्थ, स्वरूप एवं लक्ष्यों के निर्धारण से संबंधित है इसलिए कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था अंततः नैतिकता पर ही निर्भर करती है। उपनिषद कालीन शिक्षा इस दिशा में भी सहायक सिद्ध होती है।

उपनिषद कालीन शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप एवं लक्ष्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन शिक्षा का स्वरूप विस्तृत एवं व्यापक अर्थ से युक्त था। उपनिषद काल में शिक्षा को इस भौतिक जगत के कर्मों को विधिपूर्वक करने के साथ-साथ व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराते हुए समस्त बंधनों से मुक्त करने के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। इसी के अनुरूप तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य भी विस्तृत एवं व्यापक थे। यही कारण था कि उस समय भारतवर्ष ने जीवन के विविध क्षेत्रों, विशेष रूप से ज्ञान-विज्ञान एवं दर्शन के क्षेत्र में शेष विश्व की तुलना में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए विश्वगुरु के पद को सुशोभित किया था। इस प्रकार उपनिषद कालीन शिक्षा का अर्थ, स्वरूप एवं इसके लक्ष्यों की व्यापकता, नीति निर्धारकों को व्यवस्थित एवं संतुलित शिक्षा नीति का निर्माण करने में सहायता प्रदान कर सकती है।

विद्यार्थियों हेतु उपयोगी

उपनिषदों की शिक्षा वर्तमान में विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। वर्तमान में शिक्षा को अर्थोपार्जन तक सीमित कर दिए जाने से, अधिकांश अभिभावक अपने पाल्यों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश

दिलाते हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की तुलना में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कहीं अधिक होती है। अनेक विद्यार्थी रुचि न होने पर भी परिवारजनों के दबाव में इन परीक्षाओं में प्रतिभागी बनते हैं। विविध कारणों से अनेक बार इन परीक्षाओं में असफल होने पर विद्यार्थी अत्यधिक तनाव एवं अवसाद ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी मन:स्थिति अधिक समय तक रहने से विद्यार्थियों में अनेक प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास होने लगता है।

उपनिषद कालीन शिक्षा में निहित पंचकोषों की अवधारणा, ज्ञान एवं कर्म का समन्वय तथा अपने वास्तविक स्वरूप का बोध जैसे संप्रत्यय, विद्यार्थियों की नकारात्मक मनोवृत्ति को दूर कर उनमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। इसके साथ ही उपनिषद कालीन शिक्षा के लक्ष्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का संतुलित विकास करने में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

अभिभावकों हेतु उपयोगिता

अभिभावकों एवं अन्य हितधारकों को यदि उपनिषद कालीन शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति जागरूक किया जाए तो वे भी शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझते हुए अपने पाल्यों पर अपनी इच्छाओं को थोपने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि विद्यार्थी भी उपनिषद कालीन शिक्षा व्यवस्था में निहित माता–पिता, गुरु तथा विद्वत जनों को देवतुल्य समझने जैसे उपदेशों को आत्मसात कर सकें तो यह भी पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों को मधुर एवं सुदृढ़ बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण पक्षों का विद्यालयी शिक्षा में समावेश एवं उनका अध्यापन

पूर्वोक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में पंचकोषों की अवधारणा के साथ-साथ ज्ञान प्राप्ति, कर्मशीलता, ज्ञान एवं कर्म का समन्वय, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, व्यक्तिगत नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों के पालन का समावेश जैसे अति महत्वपूर्ण पक्षों का वर्णन किया गया है। इन विविध पक्षों को वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित करने से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। इससे यह प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्यों को भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित आदर्शों के अनुकूल बनाया जाए। एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने वास्तविक स्वरूप को जानने, मानवोचित, कार्य करने एवं जीवन जीने की कला सीखने की ओर प्रेरित करना होना चाहिए। यदि इन आदर्शों को शिक्षा के उद्देश्यों में भली-भांति सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हीं के अनुरूप पाठ्यचर्या का निर्धारण कर उपयुक्त विषयों, पाठ्य सामग्री एवं क्रियाकलापों के माध्यम से इन उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सकती है, यथा; कहानी एवं कविताएं सभी विद्यार्थियों को विशेष रूप से प्रिय होती हैं अतः भाषा की पुस्तकों में विद्यार्थियों की अवस्था के अनुरूप जातक कथाओं, यम-नचिकेता संवाद एवं सुभाषितानि सार संग्रह के श्लोकों को सम्मिलित कर लिया जाए तो इसके माध्यम से जहां एक ओर विद्यार्थी अपने देश के महान साहित्य एवं संस्कृति से अवगत हो सकेंगे, वहीं दूसरी ओर उनके माध्यम से महत्वपूर्ण मूल्य एवं आदर्शों को भी आत्मसात कर सकेंगे। इसके साथ ही विद्यालयों में विविध अवसरों पर आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक क्रियाकलापों में नाटकों के माध्यम से भी इन आदर्शों का प्रचार-प्रसार किया सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित चलचित्रों के प्रदर्शन, इस विषय पर व्याख्यानों तथा इससे संबंधित पुस्तक मेलों के आयोजन एवं प्रार्थना सभा में प्रेरक प्रसंग के रूप में दिए जाने वाले संक्षिप्त व्याख्यानों से भी भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित महान आदर्श एवं मूल्यों का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। इसमें ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उपर्युक्त सभी प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब सेवारत अध्यापकों को उक्त

आदर्शों तथा मूल्यों की प्राप्ति हेतु संवेदनशील एवं जागरूक बनाया जाए। यदि सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की पाठ्यचर्या में भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित पाठ्यवस्तु को सम्मिलित कर दिया जाए तो इस लक्ष्य की प्राप्ति भली-भांति संभव हो सकती है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से उपनिषद कालीन शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि जहां एक ओर ये लक्ष्य पंचकोषों के रूप में विशिष्ट तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक अनुक्रम में व्यवस्थित हैं तो वहीं दूसरी ओर समग्र दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर इनमें वैयक्तिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास का उत्कृष्ट समन्वय भी दिखाई देता है। लक्ष्य की स्पष्टता साध्य की प्राप्ति का महत्वपूर्ण निर्धारक है जो कि उपनिषद कालीन शिक्षा व्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि शिक्षा के लक्ष्यों के संदर्भ में उपनिषद कालीन शिक्षा व्यवस्था एवं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की तुलना की जाए तो ज्ञात होता है कि वर्तमान शिक्षा के लक्ष्य उपनिषद कालीन शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्यों के समान संगठित, क्रमबद्ध, व्यवस्थित तथा व्यापक नहीं हैं। वर्तमान में शिक्षा के लक्ष्य अधिक संकुचित हो चुके हैं। इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है कि वर्तमान की शिक्षा केवल व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित रह गई है। परंतु खेद का विषय यह है कि वर्तमान में शिक्षित होने के उपरांत भी बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी जीविकोपार्जन करने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनसे नागरिक-सामाजिक कर्तव्यों के पालन एवं मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य आत्मानुभूति की प्राप्ति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यही कारण है कि वर्तमान में विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षा व्यवस्था से संबंधित समस्त हितधारक शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। यह स्थिति किसी भी राष्ट्र की प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। भ्रष्टाचार, व्यभिचार आर्थिक तथा नैतिक अपराध इसी परिस्थिति के दुष्परिणाम हैं। वर्तमान में देशवासी इन्हीं दुष्परिणामों का सामना कर रहे हैं। इससे समाज में तनाव, अवसाद, सहनशीलता में कमी इत्यादि नकारात्मक मनोवृत्तियाँ प्रदर्शित हो रही हैं। यह परिस्थिति उन्हें अंततः मादक द्रव्यों के सेवन, अपराध एवं आत्महत्या करने की ओर प्रेरित कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत होती है जिसके लक्ष्य सुस्पष्ट, क्रमबद्ध तथा व्यापक हों जो कि मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराते हुए उसे जीवन जीने के उचित दृष्टिकोण को प्रदान कर सकें।

उक्त परिस्थिति एवं समस्याओं के समाधान में उपनिषद कालीन शिक्षा व्यवस्था में वर्णित शिक्षा के लक्ष्य सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यद्यपि आज की जटिल सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में उपनिषद कालीन शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्यों को उनके मूल रूप में लागू नहीं किया जा सकता परंतु उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हुए वर्तमान में शिक्षा के लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण अवश्य किया जा सकता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि विद्यार्थी, अभिभावक एवं समाज को इस बात का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि शिक्षा किन लक्ष्यों के निमित्त प्राप्त की जानी चाहिए। इसके साथ ही उपनिषद कालीन शिक्षा के लक्ष्यों के आलोक में वर्तमान शिक्षा के उद्देश्यों की संकुचितता को दूर करना भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है। उपनिषद कालीन शिक्षा के लक्ष्य भली-भाँति स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा केवल मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने तक ही सीमित नहीं है अपितु यह व्यक्ति को नागरिक-सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने, उचित प्रकार का आचरण करने एवं मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात आत्मानुभूति की ओर प्रवृत्त करती है। इस प्रकार उपनिषद कालीन शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक करते हुए उसे उसकी अपरिमित शक्तियों एवं जीवन जीने के स्वस्थ दृष्टिकोण से अवगत कराती है।

संदर्भ

ईशादि नौ उपनिषद शांकरभाष्यार्थ (सम्वत् 2067), गीता प्रेस गोरखपुर, पृष्ठ 24, 89, 219, 238।

ईशावास्योपनिषद (1997), गीता प्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ 32-37।

केन उपनिषद (सम्वत् 1992), गीताप्रेस गोरखपुर, पृष्ठ 54-133।

कठोपनिषद (सम्वत् 2008), गीताप्रेस गोरखपुर, पृष्ठ 37-54।

कल्याण उपनिषद अंक (सम्वत् 2068), गीता प्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ 168, 220।

गुप्ता, एस० पी० (2010), भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं , पुस्तक भवन इलाहाबाद, पृष्ठ 16।

तैत्तिरीय उपनिषद (1993), गीता प्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ 112-138 ।

राधाकृष्णन, सर्वपल्ली (1986),भारतीय दर्शन भाग -1, राजपाल एंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ 111-128।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ 4-24।

शर्मा, श्रीराम (2005), 108 उपनिषद, युग निर्माण योजना , गायत्री तपोभूमि मथुरा उत्तर प्रदेश, पृष्ठ 354।

शुक्लयजुर्वेद संहिता (1929,) संपा० वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पणशीकर, पांडुरंग जावजी, निर्णय सागर प्रेस, बंबई, पृष्ठ 585।

भाषा, मस्तिष्क एवं शिक्षण : आरंभिक पड़ताल

डॉ. पतंजलि मिश्र

सारांशिका

भाषा का मस्तिष्क से बेहद गहरा संबधं है। संज्ञानात्मक विज्ञान ऐसी कई चीज़ों की गहराई से पड़ताल कर रहा है जिसे शिक्षक हमेशा भाषा सीखने के बारे में सहज अनुभव एवं ज्ञान से जानते हैं। वर्ष 1990 के दशक को "मस्तिष्क के दशक" के रूप में चिह्नित किया गया । शोधकर्ताओं ने सक्रिय रूप से नई जानकारी का अध्ययन और प्रसार करना शुरू किया जो हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। पिछले दशक में छोटे बच्चों की भाषा के प्रारंभिक प्रसंस्करण की जांच करने वाले तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान में विस्फोट हुआ है। "मानव शिक्षा एक विशिष्ट सामाजिक प्रकृति और एक प्रक्रिया को मानती है जिसके द्वारा बच्चे अपने आसपास के लोगों के बौद्धिक जीवन में विकसित होते हैं।" (वायगोत्सकी 88). भाषा, मस्तिष्क और शिक्षण के बीच संबंध अध्ययन का एक जटिल और बहुआयामी क्षेत्र है जिसमें यह समझना शामिल है कि भाषा मस्तिष्क में कैसे संसाधित होती है और यह ज्ञान कैसे प्रभावी शिक्षण प्रथाओं को सूचित कर सकता है। यह शोध पत्र भाषा, मस्तिष्क, समझ एवं शिक्षण के संबंधों की आरंभिक पड़ताल करने का एक प्रयास है।

मुख्य शब्द : संज्ञान, भाषा, मस्तिष्क, समझ, मस्तिष्क

हैलिडे के अनुसार, “भाषा अर्थ निर्माण करने का मूलभूत संसाधन, आदर्श माध्यम है” (हैलिडे 93)। भाषा एक ऐसा सशक्त उपकरण है जिसका उपयोग; विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। भाषा का उपयोग किसी को हंसाने या रुलाने जैसी भावनात्मक अभिव्यक्तियों के लिए भी किया जा सकता है। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है, भाषा अभिव्यक्ति और संचार का प्राथमिक उपकरण है। लोग भाषा का उपयोग कैसे करते हैं? वे अनजाने में किन शब्दों और वाक्यांशों को चुनते हैं व जोड़ते हैं, हमें स्वयं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं । जैसे ही हम पैदा होते हैं, हम अपने पर्यावरण के साथ संवाद करना सीख जाते हैं। अपने विचारों और भावनाओं का आदान-प्रदान करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावनाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसमें आमने-सामने बातचीत, टेलीफोन पर या विडीयो कॉल के माध्यम से सीधे बोले गए संवाद सम्मिलित हैं। इसमें व्हाटसएप, फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से लिखित संदेश भी शामिल हैं। इन सभी प्रकार के संचार के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा का उपयोग छोटे बच्चों द्वारा बहुत कम उम्र से किया जाता है और उनकी भाषा क्षमताएँ तेजी से विकसित होती हैं। लेकिन मनुष्य भाषा को समझना कैसे सीखते हैं और भाषा अधिग्रहण में पहला कदम क्या हैं? एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है ? क्या हमारे मस्तिष्क में कुछ पूर्व शर्ते हैं जो भाषा का समर्थन करती हैं? सबसे महत्त्वपूर्ण बात, भाषा क्यों महत्त्वपूर्ण है? वस्तुतः भाषा को समझने और उत्पन्न करने की क्षमता का हमारे लिए एक बड़ा लाभ है क्योंकि सूचनाएं हमें बहुत तेज़ी व सटीक रूप से आदान-प्रदान करने की अनुमति देती है। यह हमें इस जानकारी को सदियों तक आगे बढ़ाने की भी अनुमति देता है, जब हम इसे लिखते हैं और संरक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के मन्त्र कई सैकड़ों साल पहले रचे गए थे और हम अभी भी इसे पढ़ सकते

हैं। हम बात करने के बारे में भी बात कर सकते हैं, या लेख लिख सकते हैं जो हमें यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि यह प्रबल क्षमता हमारे दिमाग द्वारा कैसे संभव बनाई जाती है। भाषा की क्षमता हमारे पास उपलब्ध सबसे अद्भुत क्षमताओं में से एक है। भाषा सीखना एक प्राकृतिक परिघटना है; यह बिना किसी हस्तक्षेप के भी होता है। भाषा के माध्यम से संचार का विकास एक सहज प्रक्रिया है। न्यूरोबायोलॉजिस्ट डॉ. लिस एलियट लिखते हैं: "भाषा के सहज होने का कारण यह है कि यह काफी हद तक मस्तिष्क में कठोर रूप से बंधी होती है। जैसे हम खाने और देखने के लिए तंत्रिका सर्किट विकसित करते हैं, वैसे ही हमारे मस्तिष्क ने एक परिष्कृत ध्वनि तंत्र के साथ मिलकर तेजी से समझने, विश्लेषण करने, रचना करने और भाषा का निर्माण करने के लिए एक जटिल तंत्रिका सर्किट विकसित किया है" (एलियट)। हालाँकि, हम यह भी जानते हैं कि बच्चे के वातावरण में दिए गए अनुभव भाषा के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। यह प्रकृति और पालन-पोषण (Nature-Nurture) की परस्पर क्रिया है जिसके परिणामस्वरूप हमारी संवाद करने की क्षमता विकसित होती है, लेकिन भाषा सीखने की प्रक्रिया मस्तिष्क की संरचना से आरम्भ होती है

मन के रहस्यों को उजागर करना: भाषा के तंत्रिका विज्ञान की यात्रा

मानव मन अद्वितीय और रहस्यमयी स्थल है जो अनगिनत विचारों और अभिव्यक्तियों का घर है। इस रहस्यमय स्थान की गहराईयों में प्रवेश करने का माध्यम है भाषा। इस यात्रा में, हम भाषा के तंत्रिका विज्ञान की ओर बढ़ते हैं, जो मानव मन की गुत्थियों को समझने का कारगर तरीका प्रदान करता है। हाल के दशकों में ही तंत्रिका विज्ञान के बढ़ते क्षेत्र ने हमें भाषा अधिग्रहण, प्रसंस्करण और उत्पादन के रहस्यों को जानने के लिए मस्तिष्क की आंतरिक कार्यप्रणाली में झाँकने की अनुमति दी है। इस अन्वेषण के मूल में मस्तिष्क के विशेष क्षेत्रों की खोज निहित है जो भाषा की सिम्फनी को व्यवस्थित करते हैं। तंत्रिका विज्ञानी हमें बताते हैं कि एक बच्चा लाखों मस्तिष्क कोशिकाओं के साथ पैदा होता है, जिनकी उसे आवश्यकता होती है। प्रत्येक मस्तिष्क कोशिका में शाखाओं वाले उपांग होते हैं, जिन्हें डेंड्राइट कहा जाता है, जो अन्य मस्तिष्क कोशिकाओं के साथ संबंध बनाने के लिए पहुंचते हैं। वे स्थान जहाँ मस्तिष्क की कोशिकाएँ जुड़ती हैं, सिनैप्स कहलाती हैं। जब विद्युत संकेत मस्तिष्क कोशिका से मस्तिष्क कोशिका तक गुजरते हैं, तो वे कोशिकाओं के बीच सिनैप्स को पार करते हैं।

जब सिनैप्स को बार-बार उत्तेजित किया जाता है, तो तंत्रिका कनेक्शन का वह पैटर्न मस्तिष्क में "हार्ड-वायर्ड" हो जाता है। यह एक कुशल, स्थाई मार्ग बन जाता है जो संकेतों को जल्दी और सटीक रूप से प्रसारित करने की अनुमति देता है। हाल के वर्षों में मस्तिष्क-इमेजिंग तकनीक में प्रगति ने इस प्रक्रिया की पुष्टि की है। नई तकनीक ने हमें यह देखने की अनुमति दी है कि जिस बच्चे के मस्तिष्क को उचित रूप से उत्तेजित किया गया है, उसके मस्तिष्क में शारीरिक अंतर होते हैं | जबकि उस मस्तिष्क में भी शारीरिक अंतर होता है, जिसमें उत्तेजना की कमी होती है। जो संबंध बार-बार अनुभवों से उत्तेजित नहीं होते, वे नष्ट हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। यह वास्तव में "इसका उपयोग करो या इसे खो दो" वाली स्थिति है। हम जानते हैं कि जन्म के बाद मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच संबंधों का पुनर्गठन बच्चे के पर्यावरण द्वारा प्रदान किए गए अनुभवों से अत्यधिक प्रभावित होता है। माता-पिता बच्चे के संज्ञान, भाषा,और सामाजिक- भावनात्मक विकास को प्रभावित करने

में अमूल्य भूमिका निभाते हैं। अपने बच्चे को बार-बार सकारात्मक अनुभव प्रदान करने के माध्यम से माता-पिता अपने बच्चे के मस्तिष्क के विकास पर स्थायी प्रभाव डालते हैं।

वास्तव में भाषा मस्तिष्क में कहाँ स्थित है? यह सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुसंधान ने दो प्राथमिक "भाषा केंद्रों" की पहचान की है, जो दोनों मस्तिष्क के बाईं ओर स्थित हैं। ये ब्रोका का क्षेत्र है, जिसे भाषण उच्चारण की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाओं का काम करती है| ब्रोका का क्षेत्र, जो फ्रन्टल लोब में स्थित है, भाषा के उत्पादन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह एक संवाहक की भूमिका अदा करता है जो भाषण के लिए आवश्यक जटिल गतिविधियों का आदेश देता है। वर्निक का क्षेत्र, जिसकी मुख्य भूमिका भाषण को "डिकोड" करना है। यदि किसी व्यक्ति को मस्तिष्क की चोट का अनुभव हुआ है जिसके परिणामस्वरूप इनमें से किसी एक क्षेत्र को हानि हुई है, तो इससे उनकी बोलने और जो कहा गया है उसे समझने की क्षमता कम हो जाएगी। हालाँकि, अतिरिक्त शोध से पता चलता है कि अधिक भाषाएँ सीखना-और उन्हें अच्छी तरह से सीखना मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालता है| पारंपरिक "भाषा केंद्रों" से अलग मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों के आकार और गतिविधि को भी बढ़ाता है (मोर्टनशन)। स्वीडन में लुंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक अध्ययन में पाया गया कि प्रतिबद्ध भाषा के विद्यार्थियों ने हिप्पोकैम्पस, सीखने और स्थानिक नेविगेशन से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्र, साथ ही सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कुछ हिस्सों, या मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत में वृद्धि का अनुभव किया। इसके अतिरिक्त मेडिकल न्यूज टुडे द्वारा कवर किए गए एक अध्ययन में यह सुझाव देने के लिए साक्ष्य मिले कि हम जितनी अधिक भाषाएँ सीखते हैं, खासकर बचपन के दौरान, हमारे दिमाग के लिए नई जानकारी को संसाधित करना और बनाए रखना उतना ही आसान होता है। ऐसा लगता है कि भाषा-सीखने से मस्तिष्क कोशिकाओं की तेजी से नए संबंध बनाने की क्षमता बढ़ जाती है।

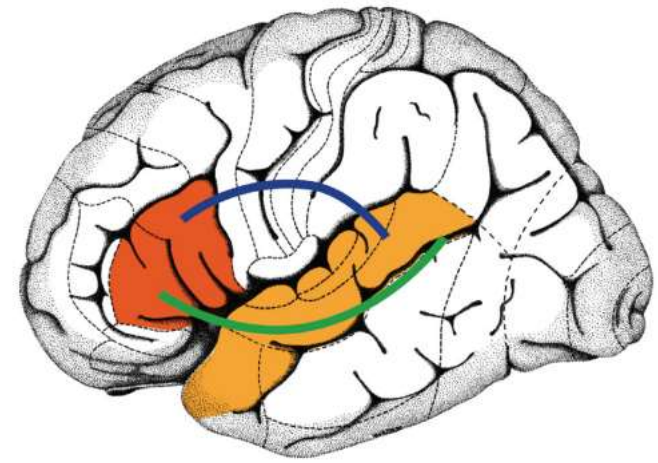

चित्र 1 : (बाएं तरफ से लिया गया मस्तिष्क का एक चित्र) मस्तिष्क के दो क्षेत्रों को लाल और नारंगी रंग में दर्शाया (हाइलाइट) गया है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो भाषण और भाषा के प्रसंस्करण में शामिल हैं। नीली और हरी लाइनें उन संबंधों को दर्शाती हैं जो दो क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और भाषा क्षेत्रों का एक नेटवर्क बनाते हैं। ऊपरी तंत्रिका संबंध (नीला) और निचला तंत्रिका संबंध (हरा)

स्रोत : https://kids.frontiersin.org/articles/10.3389/frym.2014.00014#ref1 से दिनांक 18.02.2024 को 10:30 PM पर सन्दर्भ लिया लिया गया |

भाषा, मस्तिष्क और शिक्षण के बीच संबंध एक गतिशील और विकासशील क्षेत्र है। शैक्षिक व्यवहार में तंत्रिका विज्ञान की अंतर्दृष्टि को एकीकृत करने से अधिक प्रभावी और अनुकूलित भाषा निर्देश में योगदान मिल सकता है। सहायक और प्रेरक शिक्षण वातावरण बनाने के लिए इस ज्ञान का लाभ उठाने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीखने को भी सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार की गतिविधि के रूप में समझा जाता है, चाहे वह औपचारिक या अनौपचारिक संदर्भ में हो। यह किसी न किसी तरह से किसी व्यक्ति के ज्ञान या कौशल को बढ़ाती है। भाषा और सीखने के संबंध को तीन तरीकों से देखा जाता है: भाषा सीखना, भाषा के बारे में सीखना और भाषा के माध्यम से सीखना। बोलना, लिखना और पढ़ना दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है, जहां भाषा अभिव्यक्ति और संचार का प्राथमिक उपकरण है। लोग भाषा का उपयोग कैसे करते हैं। यह अध्ययन करने से कि वे अनजाने में कौन से शब्द और वाक्यांश चुनते हैं और जोड़ते हैं, हमें स्वयं को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिल सकती है |

भाषा विज्ञान के विद्वान यह निर्धारित करने का प्रयास करते हैं कि हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं, उसमें अद्वितीय और सार्वभौमिक क्या है, इसे कैसे अर्जित किया जाता है और समय के साथ इसमें कैसे बदलाव आते हैं। वे भाषा को एक सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक घटना मानते हैं। भाषा में ध्वन्यात्मक, व्याकरणिक, रूपात्मक, शब्दार्थ और व्यावहारिक घटक होते हैं। मनुष्य की भाषण (Speech) और भाषा (Language) की क्षमता ने नेटिविज़्म (चॉम्स्की) और सीखने (स्किनर) के प्रबल समर्थकों द्वारा प्रकृति बनाम पोषण पर शास्त्रीय वाद-विवाद का प्रणयन किया। हालाँकि हम इन तर्क-वितर्कों से ठीक से परिचित हैं और शिशुओं, उनकी जन्मजात प्रवृत्तियों और प्राकृतिक भाषा के संपर्क में आने पर सीखने की उनकी अविश्वसनीय क्षमताओं (कुहल, 831) के बारे में बहुत सारे आंकड़ों से अवगत हैं। सैद्धांतिक रूप से, संज्ञानात्मक विकास और सीखने में भाषा की प्रमुख भूमिका के सन्दर्भ में विभिन्न आयाम हैं। पहला आयाम शैक्षिक ज्ञान के निर्माण की सामूहिक प्रक्रिया से संबंधित है (चाहे विद्यार्थियों के बीच या शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच)। इस प्रक्रिया में अपनी प्रकृति से तर्कसंगत तर्क को सम्मिलित करने का प्रयास होना चाहिए। यद्यपि अधिकांश शिक्षा ज्ञान और कौशल के प्रसारण और अधिग्रहण पर केंद्रित है, लेकिन ऐसे कई शिक्षकों/शिक्षिकाओं को ढूंढना आश्चर्यजनक होगा जिन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके विद्यार्थियों को यह सीखना चाहिए कि किसी भी दावे का समर्थन करने के लिए तर्क कैसे तैयार किए जाएं, जो राय, विश्लेषण, समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं। वे जो प्रस्तुत करते हैं वह सही है और केवल वैकल्पिक दावे मात्र नहीं हैं। जबकि तर्क कभी-कभी अन्य संचार माध्यमों (जैसे गणितीय संकेतन का उपयोग और विज्ञान या संगीत में भौतिक प्रदर्शन द्वारा) के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, भाषा अनिवार्य रूप से सभी विषयों में सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट विषयों में दक्षता प्राप्त करने में विषय समुदायों के विशेष प्रवचनों का उपयोग करना सीखना शामिल है साथ ही वे प्रवचन केवल शब्दजाल नहीं हैं, अपितु विद्वता और पूछताछ को आगे बढ़ाने के लिए निर्मित किए गए उपकरण हैं। वे कार्यात्मक भाषा की किस्में या शैलियाँ हैं। ऐसी शैलियाँ उन तरीकों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनसे व्यक्तिगत सोच को विचारकों के विशिष्ट समुदायों के मानक नियमों के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है। उन समुदायों में पूर्ण प्रवेश के लिए उपयुक्त शैलियों में प्रवाह आवश्यक है। जैसा कि लेम्के ने कहा है कि विज्ञान के विद्यार्थी को

विज्ञान का धाराप्रवाह वक्ता बनने की आवश्यकता है। यही बात किसी भी अन्य विषय पर लागू होती है और बहुत सी गैर-शैक्षणिक गतिविधियों पर भी लागू होती है। यदि इन विधाओं तक बच्चों की पहुंच सुनिश्चित नहीं की जाती है तो व्यापक शैक्षिक अवसरों तक उनकी पहुंच अनिवार्य रूप से सीमित हो जाएगी। स्थितीय शिक्षा जो लोगों को अभ्यास के समुदायों में शामिल होने में सक्षम बनाती है, उसका लगभग हमेशा एक भाषाई आयाम होता है, भले ही ऐसी प्रक्रियाओं के अध्ययन में इसे उजागर नहीं किया गया हो |

भाषा के माध्यम से संचार का विकास एक सहज प्रक्रिया है। भाषा एक दूसरे के साथ बातचीत करने का हमारा सबसे आम साधन है और बच्चे यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से आरम्भ करते हैं। न्यूरोबायोलॉजिस्ट डॉ. लिस एलियट लिखते हैं: "भाषा के सहज होने का कारण यह है कि यह काफी हद तक मस्तिष्क में कठोर रूप (Hard Wired) से बंधी होती है। जैसे हम खाने और देखने के लिए तंत्रिका सर्किट विकसित करते हैं, वैसे ही हमारे मस्तिष्क ने एक परिष्कृत ध्वनि तंत्र के साथ मिलकर तेजी से समझने, विश्लेषण करने, रचना करने और भाषा का निर्माण करने के लिए एक जटिल तंत्रिका सर्किट विकसित किया है" (एलियट)

संज्ञान और भाषा

संज्ञान और भाषा, मानव मस्तिष्क और सामाजिक संबंधों में महत्वपूर्ण प्रतिबिम्बित होते हैं। यह दोनों ही अवस्थाएं मानव संज्ञान, समझ और अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक होती हैं। संज्ञान मानव मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, अनुभव, और सूचना पर संविचार किया जाता है। यह मानव जीवन के हर पहलुओं को प्रभावित करता है और व्यक्ति को उसके आस-पास के वातावरण को समझने में मदद करता है। संज्ञान का मतलब है- जागरूकता, ध्यान, और स्वास्थ्यी बुद्धिमत्ता। यह सत्य है कि हम सदा सर्वदा शब्दों में नहीं सोचते लेकिन शब्दों के बिना हमारी सोच अत्यंत सीमित हो जाती है। संज्ञान और भाषा के संबंध में कहा जा सकता है कि संज्ञान वह आधारभूत इकाई है जिसमें भाषा का अस्तित्व होता है या जिसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा संज्ञान की युक्तियां सफलतापूर्वक संचालित होती हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि भाषा एवं संज्ञान का आपस में अन्योन्याश्रित संबंधित है। संज्ञान भाषा के माध्यम से होता है और भाषा संज्ञान को व्यक्त करने का एक साधन है। भाषा का सही उपयोग संज्ञान की समृद्धि और सुधार में सहायता कर सकता है और संज्ञान भी भाषा के माध्यम से आपसी संबंध और साझा करने का एक जरूरी हिस्सा बनता है। संज्ञान नामक युक्ति सभी प्राणियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। अतः कहा जा सकता है कि उन सभी के पास उद्दीपन और अनु क्रियाओं के लिए निर्मित भाषा जैसी संकेत व्यवस्था होती है। संकेत व्यवस्था का सर्वोत्तम रूप मानव भाषा के रूप में निकल कर सामने आता है। अतः जब हम संज्ञान और भाषा की बात करते हैं तो मूलतः मानव संज्ञान को केंद्र में रखकर ही करते हैं।

भाषा के संबंध में संज्ञान की स्थिति को 'भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, भाषा बोधन और भाषा उत्पादन' आदि में संज्ञान की भूमिका की दृष्टि से देखा जा सकता है। इनमें भाषा अर्जन की दृष्टि से संज्ञान की भूमिका पर अनेक विद्वानों द्वारा काम किया गया है। जिनमें पियाजे का नाम उल्लेखनीय है, उनके द्वारा बताए गए भाषा विकास के चरणों और संज्ञान को हम आगे देखेंगे। भाषा अर्जन में संज्ञानात्मक युक्तियों की विशेष भूमिका होती है। बिना संज्ञानात्मक युक्तियों का प्रयोग किए मानव शिशु द्वारा भाषा अर्जन संभव नहीं है। एक ओर संज्ञान भाषा अर्जन को संभव बनाता है तो दूसरी ओर भाषा संज्ञान की सभी युक्तियों को अपने सर्वोच्च रूप में कार्य करने के लिए संकेतों की व्यवस्था प्रदान करती है। अतः भाषा और संज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

भाषा अधिगम की दृष्टि से संज्ञान पर विचार किया जाए तो हम जानते हैं कि भाषा अधिगम भाषा अर्जन के बाद की प्रक्रिया है। छोटे बच्चे सर्वप्रथम अपने समाज या परिवेश से अपनी मातृभाषा का अर्जन कर लेता है और उनमें वह सुनना तथा बोलना स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। जब औपचारिक रूप से भाषा शिक्षण किया जाता है तो वह अपनी मातृभाषा या प्रथम भाषा के संदर्भ में लेखन और पठन कौशलों का विकास करता है तथा अपनी भाषा क्षमता में विविध ज्ञान क्षेत्रों में अभिवृद्धि करता है। अतः भाषा अधिगम के माध्यम से संज्ञानात्मक युक्तियों की क्षमता का परिमार्जन होता है अर्थात वह अपने प्रारंभिक रूप से अधिक सक्षम हो जाती हैं। संज्ञान का मूल आधार बाह्य संसार के ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बोधन और उनके प्रति अनुक्रिया से है। भाषा इसमें एक नई परत प्रदान कर देती है जहां बाह्य संसार के अनुभव के आधार पर मन में एक अमूर्त आर्थी संसार (semantic world) निर्मित हो जाता है। इस आर्थी संसार को हम संज्ञानात्मक संसार (cognitive world) भी कह सकते हैं। वर्तमान में तकनीकी अनुप्रयोग के क्षेत्र में इस संसार को विश्लेषण करने के विभिन्न प्रयास किए गए हैं जिन्हें हम ज्ञान निरूपण/प्रतिरूपण (Knowledge Representation) के नाम से जानते हैं। भाषा अपने प्रतीकों की व्यवस्था और अमूर्त संकल्पनाओं के माध्यम से जो संसार निर्मित करती है उससे हमें यह सुविधा हो जाती है कि कोई व्यक्ति स्वयं से संबंधित अपने विचारों भाव या सूचनाओं को भाषाई प्रतीकों की ध्वन्यात्मक व्यवस्था में बांधकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। भाषाई प्रतीकों की व्यवस्था के इसी समस्या को संरचना की दृष्टि से वाक्य कहते हैं। वाक्य ध्वनि प्रतीकों का वह सबसे छोटा व्यवस्थित समुच्चय है जिसमें कम से कम एक सूचना रहती है। इस स्तर पर संज्ञान का काम (श्रोता की दृष्टि से) उन प्रतीकों में छुपी सूचना को स्पष्ट (डिकोड) करना और वक्ता की दृष्टि से मन में उठने वाले विचारों, भावों या सूचनाओं को ध्वनि प्रतीकों में इनकोड करना होता है। अतः इन दोनों में ही संज्ञान की आधारभूत भूमिका होती है। बिना संज्ञान के इनमें से किसी भी प्रक्रिया का संपन्न होना संभव नहीं है।

जीवन के पहले तीन वर्षों में बच्चे का मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है। यह समय उस अद्वितीय अवसर को दर्शाता है जब बच्चा नए अनुभवों के प्रति सबसे अधिक सकारात्मक रूप से आसक्त होता है और वह एक नई भाषा सीखने के लिए अपने चरम पर होता है। आप अपने बच्चे को नई चीज़ें और गतिविधियों से अवगत कराकर उनके भाषा विकास को बढ़ावा देने में सहायता कर सकते हैं। दैनिक गतिविधियों में उनको शामिल करने से उनके भाषा कौशल में भी सुधार होती है क्योंकि इससे उन्हें सप्ताह में केवल एक या दो बार के बजाय पूरे दिन अधिक भाषा से संबंधित होने का अवसर मिलता है। पुस्तकें पढ़ना, गीत गाना, बोर्ड गेम खेलना और बाहर समय बिताना जैसी गतिविधियाँ बच्चों की शब्दावली और मौखिक संवाद कौशल में सुधार करने में सहायता करती हैं। अपने बच्चे को उत्तेजक गतिविधियों में शामिल करने से उनके भाषा कौशल पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। आप जानते हैं कि एक बच्चे का भाषा कौशल स्कूल और जीवन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिर केवल अच्छा बोलने के बारे में ही नहीं है बल्कि दूसरों को समझने और उनके साथ बातचीत करने के बारे में भी है। अपने बच्चे को उत्तम संवाद करना सीखने में सहायता करने के लिए उनसे वार्तालाप करें और सुनिश्चित करें कि आप इतना धीरे बोलें कि वे आपकी बात दोहरा सकें। खुला और निरंतर संचार आपके बच्चे के संवाद कौशल का समर्थन करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा अपने बच्चे से बात करते समय सकारात्मक भाषा का प्रयोग अवश्य करें।

सन्दर्भ :

- एलियट, एलव्हाट्स गोइंग ऑन इन देरे . .? हाउ द ब्रेन एंड माइंड डेवेलप इन द फर्स्ट फाइव इयर्सबैंटम बुक्स ., .1999
- ब्रोवर, जेफ्रंटियर्स ऑफ़ यंग माइंड्स ".हाउ आवर ब्रेन कम्युनिकेट्स :द ब्रेन एंड लैंग्वेज" . ., कोल2 ., 2014, https://kids.frontiersin.org/articles//10.3389frym.#2014.00014ref1 से को 2024 फरवरी 12 लिया गया।.
- हैलिडे, एम टुवर्ड्स ए लैंग्वेज बेस्ड थ्योरी ऑफ़ लर्निंग . .के .ए ., लिन्गुइस्तिक्स एंड एजुकेशन ,1993 5, -93 .116
- हुल्म, एमटॉवर्ड्स ए" . .के .ए . लैंग्वेजलिंग्विस्टिक्स एंड एजुकेशन ".बेस्ड थियोरी ऑफ लर्निंग-, कोल5 ., 1993, पृ.116-93 .
- चोम्स्की, एनलैंग्वेज ".रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर" . ., कोल35 ., 1959, पृ.58-26 .
- कुहल, पीनेचर रिव्यू ".क्रैकिंग द स्पीच कोड :अर्ली लैंग्वेज ऐक्विसिशन" . .के .ज न्यूरोसाइंस, कोल5 ., 2004, पृ.843-831 .
- एलियट, एलव्हाट्स गोइंग ऑन इन देरे . .? हाउ द ब्रेन एंड माइंड डेवेलप इन द फर्स्ट फाइव इयर्सबैंटम बुक्स ., .1999
- पैडॉक, सी. मेडिकल ".लैंग्वेज लर्निंग बूस्ट्स ब्रेन प्लास्टिसिटी एंड अबिलिटी टू कोड न्यू इन्फोर्मेशन" .न्यूज़ टूडे, 2016, https://www.medicalnewstoday.com/articles/312708Skinner से 2024 फरवरी 13 कोलिया गया।
- स्कीनर ,बीक्रॉफ्ट्स-सेंचुरी-एपलटन .संचयी रिकार्ड . .एफ., .1959
- मार्टेंसन, जे., एरिक्सन, जे., बोडामर, एन.सी., लिंडग्रेन, एम., जोहानसन, एम., न्यबर्ग, एल., और लोवडेन, एम ".ए न्यूरोइमेजिंग स्टडी :रिलेटेड ब्रेन एरियाज़ आफ़्टर फ़ोरन लैंग्वेज लर्निंग-ग्रोथ ऑफ़ लैंग्वेज" .(2012) . साइंसडाइरेक्ट, 2012, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053811912006581?via=ihub से को 2024 फरवरी 16लिया गया।

भारतीय भाषाओं में शिक्षा एवं तकनीकी शब्दावली का महत्व

डॉ. सूर्य कुमारी पी.

लेख-सार

भारत पर सदियों से यूरोप का प्रभाव पड़ने लगा। इसी सिल-सिले में भारतीय भाषाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का भी आरंभ हो चुका था। यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार के क्रम में भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की संरचना के अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। शब्दावली की विकास प्रक्रिया में मुख्यतः संस्कृत के तत्सम शब्दों के ग्रहण से लेकर अंग्रेजी से गृहीत शब्दों तक का विश्लेषण करना जरूरी हो गया है।

भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद हर एक प्रणाली या शासन में अंग्रेजी विकसित हुई है। स्वतंत्रता से पूर्व के युग में हिन्दी का प्रयोग साधारण जनसंपर्क के संदर्भों में ही होता था। स्वतंत्रता के बाद संस्थानों और कार्यालयों में भी हिन्दी का प्रयोग होने लगा। स्वतंत्र भारत में राष्ट्र निर्माण के लिए पहली बार सन् 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गयी जिसमें में तमाम प्रावधानों के साथ-साथ 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन पर बल, त्रिभाषा सूत्र का निर्माण, संस्कृत के अध्ययन की जरूरत प्रमुख बिन्दुओं पर ध्यान दिया गया है।

प्रस्तावना

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के विषय तथ्यपरक (factual) होते हैं और पारिभाषिक शब्दावली में शब्दार्थ की सूक्ष्मता होती है अर्थात् पारिभाषिक शब्द विषय की गहनतम संकल्पना को व्यक्त करता है। इसी प्रक्रिया को हम अर्थ के स्तर पर भाषिक विस्तार (Extension) भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए वृक्ष, नदी, मनुष्य, गाय इत्यादि सामान्य शब्द हैं। इन्हीं शब्दों का प्रयोग सहज शब्दावली में प्रयोग होता है तो उनका एक अर्थ होता है, परन्तु जब विज्ञान में प्रयुक्त होता है तो वैज्ञानिक उसे अपने अनुसार सूक्ष्म अर्थ देते हैं। इसी प्रक्रिया में सामान्य शब्दों को नए अर्थ दिए जाते हैं जैसे कार्य, भौतिकी, अनुक्रिया, रसायन, वृद्धि, विकास, प्राणिशास्त्र, सांख्यिकी, गणित आदि। वैज्ञानिक शब्दावली के सन्दर्भ में कहा गया है कि उसके शब्द विषय के प्रसंग में पारिभाषित और एकार्थी होते हैं। पारिभाषिक शब्द किसी संकल्पना, वैज्ञानिक विचार अथवा वैज्ञानिक प्रक्रिया का बोध कराते हैं। इसीलिए हर पारिभाषिक शब्द अपने विषय-क्षेत्र में विशिष्ट या सूक्ष्म अर्थ का द्योतक होता है।

विज्ञान की भाषा **तथ्यपरक** संदर्भों की भाषा होती है जिसमें कार्य-कारण संबंध होता है, वह मूर्त भाषा होती है, जिस में तथ्य और कथ्य अर्थात् सूचना की प्रधानता के कारण इसकी अभिव्यंजना शैली में जटिलता नहीं होती। पारिभाषिक शब्दावली की स्पष्टता और सटीकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

विज्ञान की भाषा विषयपरक होने के कारण वर्णनात्मक होती है। इसमें वैज्ञानिक नियम का विवेचन और विश्लेषण होते हैं, जिसमें सार्वभौमिकता का गुण निहित होता है। इसमें किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में सूचना का विवरण संप्रेषित किया जाता है।

अकादमिक दृष्टि से विज्ञान शब्द के अंतर्गत ज्ञान क्षेत्र की सभी शाखाएँ आ जाती हैं।....शिक्षा के आधुनिक संदर्भों में अपनाई जाने वाली वैज्ञानिक पद्धतियों के कारण सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान को भी विज्ञान के अंतर्गत स्वीकार किया जा रहा है।]

शिक्षा का महत्व

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया है। विशेषकर मातृ-भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अनिवार्य करने की बात की गयी है, इसके साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की बात कही गयी है।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया है। विशेषकर मातृ-भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अनिवार्य करने की बात की गयी है, इसके साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की बात कही गयी है।
3. भारतीय भाषाओं की प्रगति तभी संभव होगी, जब प्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जोड़ा जाएगा। भारतीय भाषाओं को रोजगार की दृष्टि से अभी भी अंग्रेजी वाला स्थान प्राप्त नहीं है। इस बात को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समझाया गया है और बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोजगार के मानदंडों की अर्हता में शामिल किया गया है जो भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
4. भारत में अंग्रेजी को रोजगार दिलाने में सहायक भाषा के रूप में जाना जाता है लेकिन सिर्फ इस भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने से ही सफलता प्राप्त की जयकार कर रहे हैं।
5. अंग्रेजी के अलावा यह गौरव जब भारतीय अन्य भाषाओं को मिलेगा तो भारतीय भाषाओं के प्रति उत्पन्न हुआ वह संकट स्वतः ही अपने आप ही दूर हो जाएगा।
6. त्रिभाषा सूत्र को सिर्फ पाठशालाओं तक ही सीमित न रखते हुए इसे विद्यालयों में भी त्रिभाषा सूत्र के तहत विकल्प के रूप में स्थान देने पर समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों जैसे गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नाट्य-शास्त्र आदि

शिक्षा के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना तथा व्यक्ति के भौतिक व मानसिक सामर्थ्य को विकसित करते हुए निर्णयात्मक ज्ञान प्राप्त करना है। स्थूल रूप से ज्ञान की व्यापकता के इन्हीं बिंदुओं को दृष्टि में रखते हुए मौलिकता और सृजनात्मकता विकास के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षित करने के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 में भारतीय भाषाओं के परिप्रेक्ष्य का निर्धारण किया गया है।

भारत में विज्ञान के विकास में वैज्ञानिक-पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया लम्बी परम्परा से चली आ रही है। भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में ऐसा पहला व्यवस्थित प्रयत्न शिवाजी के समय में हुआ था, जब उनकी आज्ञा से रघुनाथ पंत ने राज-काज के लिए संस्कृत के आधार पर 1500 मराठी भाषिक शब्दों की रचना व संग्रह राज कोष के रूप में किया था। मराठी में सन् 1853 से ही वैज्ञानिक साहित्य का प्रकाशन आरंभ हो गया था। सन् 1917 तक इसमें बड़ी संख्या में वैज्ञानिक पुस्तकों और तदनुरूप वैज्ञानिक शब्दावली की रचना हो चुकी थी। इस संदर्भ में स्वीकार किया गया था कि पारिभाषिक शब्दों के निर्माण या चयन में बोल-चाल की भाषा में आम लोगों की भाषा यानी प्रचलित शब्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को शास्त्रीय, नवनिर्मित,

कृत्रिम शब्दों में नहीं बदलना चाहिए। रसायनिक तत्वों, संकेतों, स्थिराकों, गणित के संकेतों, सूत्रों आदि के नाम वही मान लेने चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रचलित हैं।

आधुनिक युग विज्ञान व तकनीकी का युग है। अनुसंधान एवं आविष्कारों के क्रमिक विकास में यह आज भी वैज्ञानिक प्रगति व ज्ञान की वृद्धि के लिए अत्यन्त आवश्यक है। एक भाषा से दूसरी भाषा में ज्ञान के रूपान्तरण की आवश्यकता है। इस रूपान्तरण में शब्दावली, व शब्दकोश निर्माण-कार्य प्रमुख हो जाता है। 'साहित्य' एक व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत सिर्फ कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, ही नहीं इनके साथ-साथ विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र भी इसमें निहित होते हैं। जैसे चिकित्सा-साहित्य। इसके अलावा भौतिकी (Physics), रसायनिकी (Chemistry), वनस्पति विज्ञान (Botany), प्राणिविज्ञान (Zoology), भूविज्ञान (Geology), अभियांत्रिकी (Engineering), प्रौद्योगिकी (Technology), आयुर्विज्ञान (Medical science) आदि अनेक विज्ञान के विषय भी इसके अंतर्गत-होते हैं।

भारत में स्वतंत्रता के बाद अपनी भाषाओं का अर्थात् नवीन सामाजिक दायित्वों के लिए विस्तार करने की आवश्यकता है। हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का आधार अंग्रेजी शब्दावली को बनाया गया है। ऐसी शब्दावली बनाते समय हिन्दी में उपलब्ध मानक शब्द समूहों का चयन किया गया, शब्दों को विषयानुसार अर्थ दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर नए शब्दों का निर्माण भी किया जाता है।

हिन्दी के तकनीकी शब्द को अंग्रेजी में 'Technology' कहते हैं। प्रत्येक भाषा में तकनीकी शब्द का अलग अर्थ है वैसे "मूल अंग्रेजी 'ज्मवीदपबंस' ग्रीक भाषा के 'Technical' का अर्थ है- 'कला' या 'कला विषयक' 'Techne' से तात्पर्य है। 'कला' तथा 'शिल्प', ग्रीक भाषा में 'Tektor' शब्द का अर्थ –'निर्माण करने वाला (निर्माता)' अर्थात् 'बढ़ाई के अर्थ में प्रयुक्त होता है'। लैटिन भाषा में 'Texerre' शब्द का अर्थ है- 'बुनना या बनाना'। इस सन्दर्भ में 'तकनीकी शब्द अर्थ वह है जो किसी निर्मित विचार को व्यक्त करता है।" पारिभाषिक शब्द किसी न किसी विषय से अनिवार्य जुड़ा रहता है उसी विषय से उस क्षेत्र के संबद्ध अर्थ को समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए 'रेखांकित चैक' (crossed check) अर्थात् 'जिसकी बाईं ओर ऊपर दो समानांतर रेखाएँ खींची हों' व 'जिसके बीच लिखा हो, भुगतान उसी के खाते में हो जिसके नाम से चैक काटा गया है'। अतः प्रत्येक पारिभाषिक शब्द वे तकनीकी शब्द हो या वैज्ञानिक शब्द बिना पारिभाषिक के नहीं समझे जा सकते हैं, इन शब्दों को ही पारिभाषिक शब्द कहते हैं। मूलतः अधिकांश शब्द पारिभाषिक बनने से पहले सामान्य या गैर तकनीकी अर्थों में प्रचलित होते रहते हैं। प्रायः बाद में भी होते रहते हैं। जैसे –

सामान्य शब्द		पारिभाषिक शब्द
Memory (स्मृति)	-------	स्मृति (कम्प्यूटर में)
Mouse (चूहा)	--------	माउस (कम्प्यूटर में एक उपकरण)
Energy (शक्ति)	-------	ऊर्जा (भौतिकी)

पारिभाषिक शब्द मूलतः सूक्ष्मीकरण की ओर होते हैं। हर पारिभाषिक शब्द अपने विषय क्षेत्र में एक नियत तथा एक निश्चित अर्थ का बोध कराता है। तकनीकी भाषा में मूलतः शब्द गूढ़ या विशिष्ट चिह्न आदि भाषायी युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे –गणित में 'is equal to के लिए =', 'विलोम के लिए X' कार्यालयी

टिप्पणी में भी इस प्रकार से कई प्रकार के चिह्न मिलते हैं। जैसे – N.A (for Necessary action) आ.का. के लिए (आवश्यक कार्यवाही के लिए) आदि।

तकनीकी शब्द के लिए 'प्रौद्योगिकी' शब्द को प्रयोग में लाया गया। 'प्रौद्योगिकी' का संबंध विज्ञान से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं के अनुप्रयुक्त रूपों से है। विज्ञान में सिद्धांतों के बल पर कुछ प्रक्रियाओं, कार्य विधियों और प्रणालियों पर आधारित क्रियात्मक और व्यवहारोपयोगी कार्यों को साकार किया जाता है। इसी प्रकार यदि देखा जाये तो 'तकनीकी' शब्द 'Technique' के लिया रखा गया है। लेकिन प्रयोग की दृष्टि से 'तकनीकी' शब्द के आगे अनेक शब्द गठित नहीं कर सकते। इसलिए प्रचलन की दृष्टि से 'प्रौद्योगिकी' शब्द को प्रयोग में लाया गया। इससे अनेक शब्द गठित किए जा सकते हैं। जैसे-

प्रौद्योगिकी - Technology

प्रौद्योगिकी विज्ञ - Technologist

प्रौद्योगिकी कुशलता - Technical Skill

प्रौद्योगिकी मानक - Technical Standard

प्रौद्योगिकी भंडार - Technical Store

प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण - Technical Training

इस संबंध में सांस्कृतिक परंपरा का ध्यान रखते हुए कभी-कभी अधिकतम आवृत्त पर होते हुए कुछ शब्दों को छोड़ना पड़ा, जैसे 'लॉ' के लिए प्रचलित 'कानून' शब्द। 'कानून' शब्द के लिए विधि शब्द अत्यन्त अनुकूल है और बोलचाल में प्रचलित भी हैं।

Law - विधि

Legal - वैध

Legalist - विधि परायण

इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरणों से यह ज्ञात होता है कि पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का कार्य पुनरीक्षण एवं समन्वय के आधार पर किया गया है। विज्ञान में सिद्धांतों के बल पर कुछ-कुछ प्रक्रियाओं, कार्यों और प्रणालियों पर आधारित क्रियात्मक और व्यवहारोपयोगी कार्यों को साकार किया जाता है। इस क्रियात्मक और व्यवहारोपयोगी पक्ष या इस से संबंधित ज्ञान को प्रौद्योगिकी के अंतर्गत स्वीकार किया जा सकता है।

तकनीकी शब्दावली का प्रारंभ

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और चिंतन जिस मूल भाषा में होता है उस भाषा में उसे व्यक्त करने वाले पारिभाषिक शब्द वहाँ के देश-काल और संस्कृति के अनुरूप सहज रूप से विकसित होते हैं परंतु ज्ञान-विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार देश-काल की सीमाओं को पार करके विश्व भर में होता है। 1947 में भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में प्रशासन और शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी के स्थान पर स्वदेशी भाषाओं को अपनाने की मांग तेजी से होने लगी है। केन्द्र सरकार के प्रशासनिक कार्यों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1)

के अनुसार संघ की राज भाषा हिन्दी है जो कि एक सफल संपर्क भाषा भी है। उधर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं की सार्थकता एवं महत्व को अनुभव करते हुए शिक्षा-शास्त्रियों ने हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं को स्नातक तथा कुछ विषयों में स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू किया।

27 अप्रैल 1960 में माननीय राष्ट्रपति की ओर से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना का आदेश दिया। फलस्वरूप 1961 में आयोग की स्थापना अमल में आयी। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 'वैज्ञानिक, तकनीकी शब्दावली और प्रशासनिक शब्दावली' के निर्माण का कार्य बहुत तेजी से शुरु हुआ जिसमें केन्द्र सरकार ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। सन् 1952 में केन्द्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली बोर्ड के तत्वावधान का आरंभ किया। वर्ष 1961 में बना आयोग शिक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अधीन कार्य करता है, लेकिन 1 अक्तूबर 1961 से आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। आयोग की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गयी।

1. राष्ट्रपति के उपर्युक्त आदेश के अनुच्छेद 3 में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करते हुए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में अब तक किए गए कार्य का पुनरीक्षण करना।

2. हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के निर्माण तथा समन्वय से संबंधित सिद्धांत निर्धारित करना।

3. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में राज्यों में विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए गए कार्य का समन्वय करना।

4. नवनिर्मित शब्दावली का प्रयोग करते हुए विज्ञान की मानक पाठ्य पुस्तकें तैयार करना।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान हिन्दी के अध्ययन और अध्यापन व आधारभूत अनुसंधान तथा अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान और भाषा शिक्षण का अखिल भारतीय अध्ययन केन्द्र है। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान का कार्यभार भारत के शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन) द्वारा गठित केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण मंण्डल नामक स्वायत्त संस्था करती है। इस संस्थान के अंतर्गत हिन्दी प्रशिक्षण विधियों का विकास, हिन्दी भाषा और साहित्य में अनुसंधान, शिक्षा सामग्री के निर्माण, अन्य भाषाओं के साथ-साथ तुलनात्मक अध्ययन आदि के क्षेत्र में विगत 38 वर्षों से कार्य हो रहा है। उसी प्रकार प्रकाशन के क्षेत्रों में इसी संस्थान द्वारा शब्दकोश, व्याकरण, विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए बहु भाषीय पाठ्यक्रम, टेपबद्ध पाठ्यक्रम, विभिन्न मंत्रालयों की आवश्यकतानुसार तकनीकी पुस्तकें हिन्दी में तैयार की जाती हैं।

मौलिक तथा तकनीकी हिन्दी पुस्तकें- विज्ञान, कृषि, युद्ध नीति, मत्स्य विज्ञान, युद्ध कौशल, मौलिक विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, स्वास्थ्य चिकित्सा, लेजर, सिंचाई, प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रानिकी रेडियो संग्रह, जीव विज्ञान, आदि विषयों पर राजभाषा विभाग के मई 1979 के आदेशानुसार संबंधित मंत्रालयों, विभागों तथा बोर्डों द्वारा सरल, सुबोध तथा सहज भाषा में तैयार कराई जाती हैं। इन सभी प्रकार की पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कार देने का भी प्रावधान है।

पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का जो कार्य हिन्दी में हुआ है वह अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली को रूपांतरित करते हुए किया गया है। अर्थात् अनुवाद के माध्यम से ही हिन्दी में अंग्रेजी की संकल्पनाओं के

अनुकूल शब्द देकर हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया गया है। पारिभाषिक शब्दावली की प्रक्रिया में अधिकांश संस्कृत शब्दावली के ग्रहण को प्रमुखता दी गई है। अंग्रेजी के शब्दों के लिप्यंतरण, अनुकूलन और स्वीकार्यता के लिए हिन्दी की लोक शब्दावली तथा उर्दू के प्रचलित शब्दों को अपनाने का प्रावधान भी रखा गया है। इस प्रकार हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित कुछ संप्रदाय अथवा विचारधाराएँ प्रचलित हैं । राष्ट्रीयतावादी, अंतर्राष्ट्रीयतावादी, लोकवादी तथा समन्वयवादी विचारधारा पर हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली को देखते हुए अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण का कार्य किया है। इन सभी संप्रदायों के विचारों पर ध्यान देने से हमें यह बात स्पष्ट होती है कि हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली के विकास में उसके विशिष्ट स्वरूप का भी योगदान और स्थान रहा है।

रसायन-विज्ञान के सैद्धान्तिक विवेचन का स्पष्ट प्रमाण हमें वेदों से ही मिलने लगता है। रसायन विज्ञान के विकास की दृष्टि से 16वीं शताब्दी का समय भारतीय रसायन का स्वर्ण युग था। आइन-ए-अकबरी (सन् 1590 ई.) में भारतीय रसायन विज्ञान की उत्कृष्ट उपलब्धियों का उल्लेख है। जिनमें विभिन्न पदार्थों के घनत्व निकालने की पद्धतियों, सुगन्धित तेलों, द्रव्यों आदि के तैयार करने की विधियों काँच, साबुन, शोरा बनाने की विधियों का उल्लेख है। रसायन विज्ञान की भाषा यानी प्रत्येक सूत्र एवं समीकरणों के साथ उनकी शब्दावली को निर्मित किया जाता है। बाद में रसायनिक अभिक्रियाओं को हिन्दी में ही लिखा गया है। वर्ष 1930 में हिन्दुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित श्री देवीदत्त अरोड़ा की पुस्तक 'चर्म बनाने के सिद्धांत' में रसायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने वाले समीकरण हिन्दी में ही लिखे गए हैं किंतु सुविधा के लिए कहीं हिन्दी व अंग्रेजी समीकरण साथ-साथ दिए गए हैं।

भारतीय भाषाओं में हिन्दी और तेलुगु दो भिन्न परिवारों की भाषाएँ हैं। तेलुगु दक्षिण भारत की चार भाषाओं में प्रमुख भाषा है। इस भाषा को 'इटालियन आफ द ईस्ट' कहा गया है। ये चार भाषाएँ द्रविड़ परिवार की भाषाएँ हैं। तेलुगु भाषा आंध्र प्रांत के लोगों की मातृ भाषा है। इस भाषा की साहित्य परंपरा का परिचय अनुवाद के द्वारा अन्य भारतीय भाषाओं में भी पहुँच रहा है साथ में पाश्चात्य भाषाओं में भी अनुवाद द्वारा भारतीय संस्कृति भारतीयता पहुँच रही है।

अतः उनकी प्रकृति भंडार, शैली, वाक्य-रचना, मुहावरे, कहावतें, छंद, अलंकार इत्यादि की दृष्टि से भिन्न है। हिन्दी व्यंजनांत भाषा है जबकि तेलुगु स्वरांत भाषा है। इन परिवारों में सर्वनाम, सामान्य पारिवारिक शब्द समान होते है। जैसे- नेनु (ते) मैं (हिं) ओकटि (ते) एक (हिं) अम्मा (ते) माँ (हिं) आदि। तेलुगु भाषा पर संस्कृत भाषा का अधिक प्रभाव है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। इतना ही नहीं संस्कृत की तरह इसमें समास प्रधानता भी दृष्टिगत होती है। कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि तेलुगु के प्राचीन काव्यों में पद्य की पूरी पंक्ति की पंक्ति या कई पंक्तियाँ एक ही समास में दृष्टिगत होती है। इस में सुविधा यह है कि तत्सम शब्दों में विसर्ग हटाकर 'डु','मु','वु', 'लु' प्रथमा विभक्ति चिह्नों को जोड़कर उन्हें तेलुगु का शब्द बनाया जाता है। जैसे- चल्, पढ्, देख, सुन्, तेलुगु में नडुचु, चदुवु, चूडु, विनु हैं अर्थात् प्रत्येक शब्द का अंत स्वर के साथ होता है। तेलुगु वर्णमाला में देवनागरी वर्णमाला की अपेक्षा कुछ वर्णों की अधिकता है अतः हिन्दी में उनका प्रयोग करना पड़े तो कुछ विशेष चिह्नों को काम में लाना पड़ेगा। हिन्दी में 'ऋ' मात्रा है जबकि तेलुगु में दीर्घ रूप भी है। इसी प्रकार जहाँ हिन्दी में 'ए' और 'ऐ' है वहाँ तेलुगु में 'ए''ऎ''ऐ' हैं। इसी प्रकार 'ओ''ऒ''औ' हैं।

अंग्रेजी, तेलुगु के अलावा हिन्दी के साथ-साथ भारत की अन्य भाषाएँ यानी हर क्षेत्र के अपने राज्य की भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में त्रिभाषा सूत्र में अपनाया गया। अन्य उदाहरण- अंग्रेजी शब्द 'Weeping' के लिए व्यवहारिक हिन्दी भाषा में 'रोना', 'शोक', 'कुल होना' शब्दों का प्रयोग होता है। शोक शब्द का प्रयोग तब किया जाता है, जब किसी व्यक्ति का देहान्त होने पर उसका परिवार शोक में डूबा हुआ हो। तेलुगु में रोना, चेमर्चटम् और कार्चडम् के अर्थ में प्रचलित है। यहाँ पर कार्चडम् शब्द का प्रयोग भरे हुए घड़े से किसी द्रव पदार्थ को गिराने के कार्य के अर्थ में किया जाता है। लेकिन इसी शब्द को रसायन-शास्त्र में प्रयोग किया गया तो स्रवन अर्थ प्रचलित हो गया यानी रसायन का कार्य होने के बाद आने वाली उष्मा को स्रवन कहा जाता है उसी अर्थ को ही प्रचलन में लाया गया है।

तकनीकी शब्दावली का महत्व

आज का युग मुख्यतः विज्ञान का युग है। इस वैज्ञानिकता एवं वैश्वीकरण के दौर में हम अपने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। इसी वजह से कुछ शब्दावलियाँ ऐसी है जिनको अध्यापक स्वयं ही ठीक से नहीं समझ रहे हैं तो विद्यार्थियों की समझ से तो और भी दूर हैं। किसी भी विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए उसकी पारिभाषिक शब्दावली का विशेष महत्व है। शब्दावली जितनी सरल होगी, उसको उतनी आसानी से समझा जा सकता है और किसी विशिष्ट विषय को समझाने का कार्य पारिभाषिक शब्दावली के बिना दुरूह ही नहीं बल्कि असंभव भी है। कुछ उदाहरणों से यह बात अधिक स्पष्ट होगी।

रसायन कोश के पहले शब्द अंग्रेजी के ऐबरेशन शब्द का अनुवाद 'विपथन' है। यह शब्द कठिन नहीं है, 'पथ' से बनाया है, जिसे बोलचाल में इस्तेमाल न भी किया जाए पर हर कोई समझता है। विपथ कम लोगों की समझ में आएगा। 'विपथन' हिन्दी के अधिकांश अध्यापकों को भी समझ नहीं आएगा। जब कि अंग्रेजी में ऐबरेशना हाई स्कूल पास छात्रों को समझ में आता है। इसी जगह अगर 'भटकना' से शब्द बनाया गया होता मसलन 'भटकन' तो अधिक लोगों के पल्ले पड़ता है। वैसे ही तेलुगु में 'विपथन' और 'अपमार्ग' अर्थ आता है। आम भाषा में 'अपमार्ग' का अर्थ है, गलत रास्ता लेकिन यहाँ पर वह अर्थ ठीक नहीं बैठता। इसलिए यहाँ पर 'विपथन' अर्थ ही सही है। शब्द महज ध्वनियां नहीं होते। हर शब्द का अपना एक संसार होता है जब वे अपने संसार के साथ हम तक नहीं पहुंचते, तब वे न केवल अपना अर्थ खो देते हैं अपितु हमारे लिए तनाव का कारण भी बनते हैं। खास तौर पर बच्चों के लिए गंभीर समस्या बनते हैं। अंग्रेजी में हर शब्द का अपना इतिहास है।

रसायनिक शब्दावली के निर्माण में अर्थ और शब्द कई रूपों में विकसित होते हैं। शब्द अनेक अर्थ के साथ विस्तृत होते हैं तो कहीं संकुचित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ- सामान्य भाषा में अर्थ विस्तार: अर्थ के उत्कर्ष-अपकर्ष की स्थिति से रहित अर्थ विस्तार को सामान्य अर्थ विस्तार कहा जाता है। संस्कृत का "तैल" शब्द मूलार्थ में तिल के तेल को द्योतित करता था, धीरे-धीरे इसका इतना अर्थ विस्तार हो गया कि सरसों, बादाम, मछली सभी से निकलने वाले पदार्थ को तेल कहा जाता है।

रसायनिक शब्दावली में व्याकरणीय एवं शब्दकोशीय रूप-स्वरूप से आगे भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप उसका सृजनात्मक स्वरूप (Creative form) होता है। अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद के क्षणों में व्याकरण के स्तर पर, अर्थ के स्तर पर और सृजनात्मक प्रतिभा के स्तर पर भी भेद होता है।

रसायन-शास्त्र में अर्थ संकोच का उदाहरण- अंग्रेजी के 'Overcooling' शब्द के लिए हिन्दी और तेलुगु दोनों भाषाओं में अतिशीतलता शब्द का प्रयोग होता है। किन्तु रसायन-शास्त्र में अतिशीतलन शब्द का अर्थ बर्फ़ को गरम करना यानी सिर्फ यहाँ बर्फ को गरम करना ही नहीं बल्कि बर्फ को (-डिग्री) में गरम करने की प्रक्रिया को अतिशीतलन के अर्थ लिया जाता है। यहाँ पर शब्द का अर्थ संकोच हो गया है। 'Over cooling' शब्द कहने से सभी लोग अतिशीतलता के अर्थ के रूप में ही समझ सकते हैं लेकिन उसकी प्रक्रिया को नहीं।

इसके अलावा अंग्रेजी के 'Base' शब्द को हिन्दी में 'क्षारक' शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। Base-A Compound Capable of reacting With acids to form Salts. 'Base' के लिए रघुवीर ने 'पीठ' शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन यह प्रयोग में 'Bench' के लिए रूढ़ है। जैसे न्यायपीठ, विद्यापीठ, और शारदा पीठ। इसलिए अर्थ की दृष्टि से यह 'Base' के लिए ठीक नहीं है। इसके लिए 'क्षारक' शब्द को ही अपनाया इसमें अर्थ सुबोधित है। अर्थ की दृष्टि से यह 'Base' के लिए ठीक है, वह शब्द ही प्रयोग में प्रचलित हो रहा है। तेलुगु में 'क्षार' का अर्थ है 'आधारं' के रूप में है, इसका अर्थ कोई क्षार जिस के बिना कोई खड़ा नहीं हो सकता है उसी को आधार कहा जाता है।

अंग्रेजी के 'Body' – पिंड, वस्तु, काय –शरीरम्/व्यवस्थ है। हिन्दी के 'पिंड' शब्द के लिए तेलुगु भाषा में कहा जाए तो 'किसी आदमी का देहांत होने के बाद पिंड प्रदान' कार्य के अर्थ में किया जाता है। वहीं 'पिंड' शब्द को रसायन की प्रक्रिया में उपयोग करते समय वहाँ पूरी रसायन व्यवस्था के बारे में जानकारी देनेवाले अर्थ में प्रयोग करते हैं।

अंग्रेजी के 'Reaction' – हिन्दी में अभिक्रिया और तेलुगु में चर्या के रूप में प्रयोग करते हैं । यहाँ पर 'Reaction' शब्द के लिए आम भाषा में 'प्रतिकार' करने के अर्थ में आता है। तेलुगु में इसका अर्थ बदला लेना है। वहीं इस शब्द को **'चिकित्सा-शास्त्र'** में देखा जाए तो कोई दवाई खाने के बाद शरीर पर होने वाली प्रतिक्रिया 'रिएक्शन' के रूप में प्रयोग करते हैं। **रसायन-शास्त्र** में दो समीकरणों के बीच में परस्पर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में इसका अर्थ निकलता है। लेकिन रसायन-शास्त्र में यहाँ पर तेलुगु भाषा में समीकरणों के बीच में कार्य करने के अर्थ में उपयोग करना सटीक है।

अंतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर शोध अध्ययन और लेखन का कार्य हो रहा है। इसी कारण अंग्रेजी और विश्व की अन्य विकसित भाषाओं में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी साहित्य की रचना हो रही है। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग-प्रसार हो रहे हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग लोगों की सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय शब्दावली बना रहा है ताकि पाठक एक ही स्थान पर बैठकर सभी भाषाओं में समकक्षता प्राप्त कर सकें। यह विषयवार शब्दावलियाँ तैयार करता है।

इस 21वीं सदी में तथ्यों को समझने और समझाने के लिए तकनीकी शब्दावली विकसित की गई है, जिसके माध्यम से हमें तथ्यों को समझने में मदद मिल रही है। तकनीकी शब्दावली को आधिकाधिक प्रचार-प्रसार में लाने के लिए उसमें अन्य भाषाओं के आम बोल-चाल के शब्दों के सरलतम रूप को आत्मसात करने की आवश्यकता है। शब्दावली में सरलता और समानता स्थापित करके छात्रों में आसानी से समझ विकसित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विकास तत्व, दर्शन के अंग रूप में हुआ। किन्तु मध्यकाल तक पहुँचते - पहुँचते ये वैज्ञानिक और तकनीकी विषय स्वतंत्र रूप प्राप्त कर चुके थे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक साहित्य की बात की जाए तो अन्य विदेशी भाषाओं की तुलना में वैज्ञानिक साहित्य अत्यन्त सीमित है। खासकर हिन्दी में विज्ञान विषयक शब्दावली विकास के क्रम में धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच गयी है।

भारत एक विशाल गणतंत्र राज्य है। इसमें विविध धर्म, जाति संस्कृति के लोग रहते हैं। यहाँ भिन्न-भिन्न भाषा में परिवारों की भाषाएँ बोली जाती हैं। भारत का कोई भी प्रदेश एक भाषिक प्रदेश नहीं हैं। बहु भाषाई समाजों में संप्रेषण के लिए राज्य और राष्ट्र के स्तर पर संपर्क भाषाओं की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता आन्दोलन के समय से भी हिन्दी संपर्क की भाषा थी। हिन्दी के साथ-साथ भारत की अन्य भाषाएँ यानी हर क्षेत्र के अपने राज्य की भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में त्रिभाषा सूत्र में अपनाया गया। किसी भी विषय की पारिभाषिक शब्दावली का बड़ा महत्व है। सहज भाषा (Natural language) की तुलना में वैज्ञानिक, तकनीकी या आर्थिक विषय के वर्णन में यह विशेषता होती है कि विशिष्ट विषय (specialized subject) को समझने-समझाने का काम पारिभाषिक शब्दावली के बिना सम्भव नहीं है।

भारतीय साहित्य जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही उसका सांस्कृतिक इतिहास भी। रसायन के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्वर्गीय आचार्य प्रफुल्लचन्द्रराय ने अध्ययन का आरंभ किया था। उनकी रचना 'हिन्दी की केमिस्ट्री' एक अमर कृति है। रसायनशास्त्र का क्षेत्र अति व्यापक है। हर एक भाषा के शब्द का इतिहास अलग रहता है, तो एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सटीक शब्दावली का निर्माण के काम बहुत मुश्किल है। इसके लिए रसायन शब्दावली को प्रचलन में लाना और नवीन शब्दावली का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है।

डॉ. सूर्य कुमारी पी.
हिन्दी विभाग, मानविकी संकाय
हैदराबाद विश्विद्यालय हैदराबाद-500046
Mobile:No. -9652425545.
Email- suryakumariharshita@gmail.com

संदर्भ ग्रंथ

1. रसायन मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी), वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, पश्चिमी खण्ड-7, रामाकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110066.
2. रसायन मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी-तेलुगु), वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, हैदराबाद विश्वविद्यालय में संपन्न कार्य शिविर में विकसित,9th to 13 september 2014.
3. हिन्दुस्तान समाचार, संपादकीय पृष्ठ, लखनऊ, नगर संस्करण, 28 जुलाई 2011.
4. हिन्दुस्तान समाचार, संपादकीय पृष्ठ, लखनऊ, नगर संस्करण, 23 अक्तूबर 2017.
5. https://www.loknitikendra.com/new-education-policy-and-indian-languages/

भारतीय सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

डॉ. जयशंकर शुक्ल

शोध सारांशिका:

भारतीय संस्कृति; अपने समृद्ध इतिहास, भिन्नता, गहरी धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया भर में यह महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो भारतीय विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय संस्कृति; विविधता, आदर्शों और त्रैतीयकता का प्रतीक है एवं लाखों लोगों के लिए मानवता के आदर्शों का प्रतीक है। इसकी रक्षा, प्रोत्साहन तथा विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका गहरा प्रभाव है। भारतीय संस्कृति उसके सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों एवं मूल्यों का प्रतीक है। इसका मूल्य हमारे धार्मिक-आध्यात्मिक जीवन में गहरा गूंथा हुआ है। इसे समृद्ध विरासत का दरजा प्राप्त है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भारतीय संस्कृति का अत्यधिक महत्व है। शिक्षा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति के मूल्यों, धार्मिकता व ऐतिहासिक धरोहर को प्रत्यारोपण करते हैं। यह संस्कृति; छात्रों को नैतिकता, सामाजिक सद्भावना, समाज में योगदान करने की भावना सिखाती है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्य; छात्रों की समझ को सशक्त, समाज निर्माण में सहयोगी व मदद करने तथा उन्हें अपने अनुसार रुचिकर रूप से विकसित करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं।

बीज शब्द: संस्कृति के मूल्य, धार्मिकता, ऐतिहासिक धरोहर, प्रत्यारोपण, नैतिकता, सामाजिक सद्भावना, शिल्प, रीति-रिवाज, ध्वन्यात्मक अभिव्यक्तियां, अवशेष, सत्यापन, भारतीय बोलियां, निकट लेखन, प्रायोगिक लेखन, कारीगरी, संगीत, सिद्धांत, परियोजनाएं सुरक्षा, उन्नति और प्रसार।

1. अध्ययन का उद्देश्य:

1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस संकल्प की पड़ताल करना कि भारतीय बोलियों, निकट लेखन, प्रायोगिक लेखन, कारीगरी, संगीत, सिद्धांत आदि में ठोस कार्यालय और परियोजनाएं देश भर में स्थापित और विकसित किया जाएगा।

1.2 भारतीय बोलियों, निकट लेखन, प्रायोगिक लेखन, कारीगरी, संगीत, सिद्धांत आदि में क्षेत्रों में दोहरी डिग्री से चार साल की बी.एड. होगी।

1.3 डिग्री पाठ्यक्रमों का क्रमागत सुनियोजित विकास शामिल होगा।

1.4 ये प्रभाग और परियोजनाएं, विशेष रूप से, अत्यधिक योग्य भाषा प्रशिक्षकों के साथ-साथ शिल्प कौशल, संगीत, तर्क और रचना के शिक्षकों की एक बड़ी इकाई को बढ़ावा देने में सहायता करेंगी।

1.5 उक्त संकल्पों से इस रणनीति को पूरे देश में लागू करने की उम्मीद की जाएगी।

1.6 तर्क और रचना के शिक्षकों की एक बड़ी इकाई को बढ़ावा देने की तुरंत आवश्यकता होगी.

1.7 इन क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

2 तर्क:

2.1 प्रस्तुत शोध पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह स्थापित करना कि कला संस्कृति के प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है।

2.2 सामाजिक चरित्र, सचेतनता को आगे बढ़ाने और शैक्षणिक नेटवर्क में सुधार करना।

2.3 इसके साथ-साथ, मानवीय अभिव्यक्तियाँ लोगों की मानसिक, आविष्कारशील क्षमताओं को उन्नत करना।

2.4 आविष्कारशील क्षमताएं व्यक्तिगत आनंद को उन्नत करने के लिए जानी जाती हैं।

2.5 लोगों की संतुष्टि/समृद्धि, घटनाओं का मानसिक परिवर्तन और सामाजिक व्यक्तित्व इस बात के महत्वपूर्ण कारण हैं।

2.6 युवाओं की देखभाल व स्कूली शिक्षा से लेकर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों को सभी प्रकार की भारतीय अभिव्यक्तियाँ क्यों दी जानी चाहिए।

3 अनुसंधान क्रियाविधि:

3.1 नमूना: नीति दस्तावेज़ और दिशानिर्देश।

3.2 उपकरण: संबद्ध गुणात्मक दस्तावेजों का विश्लेषण।

3.3 डिज़ाइन: वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक साहित्य समीक्षा।

3.4 अध्ययन : मुख्य रूप से निष्कर्षों के लिए फॉर्म दस्तावेज़ों में पहले से मौजूद दत्त का उपयोग करता है/आशय।

4. प्राथमिक स्रोत:

4.1 शिक्षा एवं शैक्षणिक आधार ग्रंथ।

4.2 अनुवाद एवं मूल हिंदी साहित्य।

5. उद्देशिका एवं परिचय

भारतीय संस्कृति 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' और 'वसुधैव कुटुम्बकम' के तर्क के आलोक में जनसामान्य का मार्गदर्शन करती है। भारत को वास्तव में अत्यधिक प्रभावशाली (माइंड ब्लोइंग) एवं असाधारण भारत' बनाती है। भारत संस्कृति में ज्ञान का एक समृद्ध भंडार है जो इसके; शिल्प, विद्वानों के कार्यों, रीति-रिवाजों, ध्वन्यात्मक अभिव्यक्तियों, अवशेषों, सत्यापन योग्य और सामाजिक उत्सव स्थलों आदि में परिलक्षित होता है। सार्वजनिक प्रशिक्षण रणनीति 2020 में कहा गया है कि भारत की इस सामाजिक समृद्धि की सुरक्षा, उन्नति और प्रसार देश की सबसे बड़ी जरूरत होनी चाहिए क्योंकि यह देश की जीवनशैली के साथ-साथ इसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है।

भाषा निर्विवाद रूप से संस्कृति और कला से जुड़ी हुई है। किसी भाषा को बोलने वाले लोग दुनिया को जिस तरह से समझते हैं, वह मूल रूप से उस भाषा की संरचना से प्रभावित होता है, क्योंकि अलग-अलग भाषाओं में दुनिया के बारे में अलग-अलग दृष्टिकोण होते हैं। हमारी भाषाएँ हमारी संस्कृति को दर्शाती हैं। साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्म और कला के अन्य रूपों का पूरी तरह से वर्णन नहीं किया जा सकता है।*1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: एक सरल परिचय, डॉ. एस. पी. गुप्ता, डॉ. अलका गुप्ता, शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज, पृष्ठ संख्या 44।

बिना भाषा के संस्कृति के संरक्षण, प्रसार और संरक्षण के लिए हमें उस संस्कृति की भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देना होगा। संचार और शिक्षा के लिए अधिक भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

स्थानीय संगीत, अभिव्यक्तियों, बोलियों और हस्तशिल्प कार्यों को सशक्त बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को उन स्थानों की जीवन शैली व स्थानीय जानकारी प्रदान की जाती है जहां वे अध्ययन कर रहे हैं, अद्भुत स्थानीय शिल्पकारों और हस्तशिल्प में प्रतिभाशाली लोगों को शिक्षकों के रूप में नामित किया गया है। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान, उच्च विद्यालय परिसर घर में कारीगरों को रखने की कोशिश करेगा ताकि छात्र क्षेत्र/देश की कारीगरी, कल्पना और विलासिता को अधिक आसानी से समझ सकें।*2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: भारतीयता का पुनरुत्थान, श्री अतुल कोठारी, प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन प्रकाशन वर्ष-2021, पृष्ठ संख्या 142।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भारत जल्द ही विभिन्न भारतीय और अज्ञात भाषाओं में समग्र आबादी के लिए अधिक उत्कृष्ट शिक्षण सामग्री, अन्य महत्वपूर्ण लिखित और मौखिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए व्याख्या और अनुवाद में अपने प्रयासों को बढ़ाएगा।

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियाँ:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावों की अनेक चुनौतियाँ हैं, जिनमें मुख्य निम्न् हैं:

6.1 वित्तीय चुनौतियाँ: शिक्षा नीति के अनुसार, शिक्षा के कई पहलुओं के लिए बड़ी निवेश की आवश्यकता है, जैसे कि शिक्षा संस्थानों के नवाचार, डिजिटल शिक्षा और उन्नत शिक्षा संसाधनों का विकास। इसके बावजूद, वित्तीय संविदान की सीमाओं के कारण, नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी हो सकती है।

6.2 अधिकारिक संघर्ष : शिक्षा नीति के प्रावधानों की कार्यान्वयन में स्थानीय, राज्य व केंद्रीय सरकारों के बीच की संघर्ष की संभावना हैं। इसमें निर्णय और समझौतों की आवश्यकता हो सकती है ताकि नीति को सफलता से प्राप्त किया जा सके। नीति के प्रावधानों को लागू करने में इसके समस्त संबद्ध पक्षों के मध्य वैचारिक समता का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता तो संघर्ष का जन्म होता है जो नीति निर्धारण के सैद्धांतिक पक्षों का अनुमोदन या विरोध करते हैं परंतु उसके व्यावहारिक पक्ष को स्थापित करने में सफल नहीं हो पाते हैं। यह असफलता नीति के लागू करने में आने वाली अड़चनों का उद्घोष माना जा सकता है जिसके द्वारा नीति नियंत्रणों के मंतव्य का पूर्ण समर्थन कठिन हो जाता है।

6.3 उपाध्यायों की तैनाती: शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में नए तरीके की शिक्षा और उपाध्यायों के तैनाती का प्रस्ताव है। इसके बावजूद, उपाध्यायों की जरूरत के साथ उनकी पर्याप्त संख्या की कमी की समस्या हो सकती है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। नीतियों का निर्माण निर्धारण तुलना व्यवस्थापन के साथ-साथ उसके व्यावहारिक प्रकटन के लिए हम जिन माध्यमों को अपनाते हैं उन्हें लागू करने की दिशा में सबसे बड़ा माध्यम उपाधियों की नियुक्ति होती है जो सबसे पहले इन नीतियों को समझते हैं और उसके बाद इसके पालन हेतु स्वयं संलग्न हो करके इसके व्यावहारिक दृष्टिकोण को लागू होने में पूर्णतया सहायता प्रदान करते हैं।*3 मुखर्जी, ए., और साहा, एस. (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास में एक मील का पत्थर। एशियन जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज, 8(11), पृष्ठ संख्या -127-128।

6.4 डिजिटल विभाजन: शिक्षा नीति के अनुसार, डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन भारत के गांवों और छोटे शहरों में इंटरनेट और डिजिटल सेवा सुविधाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) की कमी होने से डिजिटल विभाजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आधुनिक युग में डिजिटल समर्थन और डिजिटल विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में देखा जाता है। सामान्यतः जीरो से एक के मध्य में जब हम किसी भी उपादान का प्रमाण अथवा मूल्यांकन अथवा प्रस्तुतीकरण करने का प्रयत्न करते हैं तो वह डिजिटल कहा जाता है। डिजिटल विभाजन इसलिए भी जरूरी है कि हम चीजों को वस्तुनिष्ठ में देख सकें और प्रामाणिक रूप से प्रतिबद्धता पूर्वक लागू करने की ओर आगे बढ़ सकें।

6.5 सामाजिक समानता की समस्याएँ: शिक्षा नीति में सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान हैं, इन प्रावधानों को अमल में लाने में समस्याएँ हो सकती हैं। यथा, छात्रों के बीच की सामाजिक-आर्थिक असमानता की समस्या। सामाजिक सामान्य हमारे देश के विविधतापूर्ण जनजीवन की सबसे प्रमुख मांग मानी जा सकती है। शिक्षा के माध्यम से हम असमानता के तत्वों को ढूंढ के उनके स्थान पर सामान्य को बढ़ावा देने वाले कारकों का प्रश्न पोर्टल समाज में होने लिए आधार भूमि तैयार कर सकते हैं। इस तरह समाज के हर तबके को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करके उन्हों कर्तव्यों की ओर उन्मुख किया जा सकता है।

6.6 संविदानिक और अनौपचारिक शिक्षा की संगतता: नीति के अनुसार, संविदानिक और अनौपचारिक शिक्षा को एक साथ एकीकृत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका अभिगम और कार्यान्वयन एकदिश से होना मुश्किल हो सकता है। शिक्षा न केवल देश काल वातावरण का प्रतिनिधित्व करती है अपितु यह विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को उनके जीवन में संतुलन लाने एवं जीविकोपार्जन के लिए विकास की व्यवस्था का माध्यम भी बनती है। शिक्षा के द्वारा ही हम, व्यक्ति के सामाजिक ढांचे में उसकी उपयोगिता और योगदान को सुनिश्चित कर सकते हैं।

6.7 विद्यार्थियों के जीवन में तनाव: नीति के अनुसार, छात्रों को अधिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अधिक तनाव भी आ सकता है जो उनके शैक्षिक और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकता है। छात्रों में मानसिक तनाव एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है। उनकी अपनी स्थिति और शारीरिक संरचना में होने वाले बदलावों के मध्य नजर शैक्षिक प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सकते हैं। नीति इस मामले में हमारी मदद करती हुई दिखाई देती है। एक्सप्रेस मैनेजमेंट के लिए शैक्षिक प्रक्रियाओं का सफल होना अत्यंत आवश्यक है जिससे कि कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास किया जा सके।

6.8 भाषा और सांस्कृतिक विविधता की संरक्षा: नीति में भाषा और सांस्कृतिक विविधता की संरक्षा के प्रावधान हैं, लेकिन इसके लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। संस्कृति और भाषा एक दूसरे के पूरक हैं। संस्कृत व्यवस्था में भाषण के योगदान को सदैव रेखांकित किया जाता रहा है। भाषा ही हमारे रहन-सहन और खान-पान को आदर देते हुए उनके मूल तत्वों को संरक्षित रखने का कार्य करती है। यह शैक्षिक परिवर्तनों हेतु अपनाए गए माध्यमों पर भी नियंत्रण रखती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव की चुनौतियों का समाधान और कार्यान्वयन आवश्यक है ताकि इस नीति के लक्ष्य और उद्देश्यों को सफलता से प्राप्त किया जा सके।

7. नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 नीति के प्रभाव:

7.1 भाषाओं के प्रोत्साहन और संरक्षण: नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत, स्थानीय भाषाओं के प्रोत्साहन और संरक्षण को महत्वपूर्ण बनाया गया है। इसमें स्थानीय भाषाओं को प्राध्यापक भाषा के रूप में बढ़ावा देने का सुझाव है, जिससे छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने का मौका मिलता है। इसका मतलब है कि छात्र अब अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी भाषा और संस्कृति की रक्षा होती है।

7.2 सांस्कृतिक शिक्षा: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सांस्कृतिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ जोड़ना है तथा उन्हें इसके प्रति अधिक जागरूक बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से छात्रों को अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है जिसके माध्यम से वे अतीत को वर्तमान से जोड़ते हुए सुखद एवं सुंदर भविष्य की आधारशिला रख सकते हैं। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में इस तरह की अवधारणाओं को स्वीकार करना हमारी शैक्षणिक पृष्ठभूमि को लेकर सजगता का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है।*4 गंगवाल सुभाष, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति पृष्ट संख्या 52, अगस्त 2020

7.3 सांस्कृतिक धरोहर और विरासत का समर्थन: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत; स्थानीय कला, शिल्पकला एवं धार्मिक स्थलों के संरक्षण और प्रोत्साहन को महत्वपूर्ण बनाया गया है। इससे भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलु को समर्थन मिलता है जिसमें छात्रों को इसके प्रति अधिक जागरूक किया जाता है। भारतीय संस्कृति के विभिन्न तत्वों को पुष्टि प्रदान करने के लिए हम जिन प्रावधानों का आश्रय लेते हैं निश्चित तौर पर वह हमें इसी उपबंध के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। संस्कृत प्रत्यावर्तन के दौर में निष्ठा और प्रतिबद्धता के लिए यह उपबंध काफी हद तक हमारे लिए सामाजिक ताने-बाने को सुरक्षित रखने हेतु सहयोगी प्रतीत होते हैं।

7.4 आदर्शों और मूल्यों को प्रोत्साहन : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आदर्शों, मूल्यों और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देती है जिससे छात्रों को उच्च नैतिकता, सहमति व सहयोग के मूल्यों के संदेश के परिणामस्वरूप वे समाज में अच्छे नागरिक बनते हैं। संस्कृति के प्रमुख तत्वों में मूल्य और मान्यताएं प्रमुख हैं जिनको हम शिक्षा के अंतर्गत अच्छे ढंग से विवेचित व विश्लेषित करते हुए निजी जीवन के सकारात्मक पहलुओं के समर्थन में उपयोग कर सकते हैं। इससे नई पीढ़ी अपनी इस विरासत से न केवल परिचित हो सके अपितु इसमें वह निरंतर संवर्धन भी कर सके।

7.5 भारतीय संस्कृति के धरोहर की सुरक्षा: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थानीय भाषाओं, विरासत एवं संस्कृति के महत्व को समझा गया है तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। इससे संस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए कई उपाय उपलब्ध हैं यथा आर्ट गैलरियों, पुस्तकालयों और सांस्कृतिक संगठनों का समर्थन। पुस्तकालय ज्ञान के आदर्श स्त्रोतों के रख-रखाव, संरक्षण, सुरक्षा एवं आदान-प्रदान की महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को निरंतर गतिमान रखने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जिसके द्वारा हम स्वयं के अतीत और भविष्य के महत्वपूर्ण तत्वों को साधते हुए वर्तमान का विस्तार कर सकते हैं।*5 पांडे, आर.पी., और जेना, पी.के. (2021)। भारत में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, 10(3), पृष्ठ संख्या - 94।

7.6 आधारभूत शिक्षा का पुनरावलोकन: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, आधारभूत शिक्षा को पुनरावलोकन करने का सुझाव दिया गया है। जिसमें भारतीय संस्कृति और इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जा सकता है। आधारभूत शिक्षा किसी भी समाज की रीड मानी जा सकती है, जिसके माध्यम से हम मानवीय चेतना के

लिए आवश्यक अपबंधों के क्रमागत व्यवस्थापन हेतु स्वयं को सजग रहते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश में हमारे पठन-पाठन की दशा और दिशा को सुनिश्चित करेगी।

7. सांस्कृतिक यात्राएँ: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, स्कूल व कॉलेजों में सांस्कृतिक यात्राओं का आयोजन करने का अवसर दिया गया है, जिससे छात्र अपनी संस्कृति के साथ जुड़ सकते हैं। प्राचीन काल से ही संस्कृति यात्राएं ज्ञान प्राप्ति व उसके व्यावहारिक प्रश्न का महत्वपूर्ण साधन मानी जाती रही है। संस्कृतिक यात्राएं हमें क्षेत्र विशेष की भाषा रहन-सहन, खान-पान व जीवन जीने के तरीकों से न केवल परिचित कराती है अपितु उसमें नए-नए प्रतिमान को जोड़ने में हमारा मार्गदर्शन भी करती है।

इन प्रावधानों के माध्यम से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय संस्कृति को समृद्धि, सुरक्षा और स्थायिता की दिशा में बढ़ावा देती है, जिससे यह दुनिया को यह दिखाने में मदद करती है कि भारत अपने संस्कृतिक धरोहर को सजीव और महत्वपूर्ण बनाए रख रहा है।

8. भारतीय शिक्षा पद्धति में भारतीय संस्कृति का महत्व:

भारतीय संस्कृति शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों व मूल्यों का प्रतीक है, जिसके मूल्य हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में गहरा गूंथा हुआ है, एवं समृद्ध विरासत का दरजा प्राप्त कर चुका है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भारतीय संस्कृति का अत्यधिक महत्व है। शिक्षा के माध्यम से हम अपनी संस्कृतिक मूल्यों, धार्मिकता और ऐतिहासिक धरोहर को प्रत्यारोपण करते हैं। संस्कृति छात्रों को; नैतिकता, सामाजिक सद्भावना और समाज के लिए योगदान की भावना सिखाती है। भारतीय संस्कृतिक मूल्यों की समझ छात्रों में एक सशक्त सहयोगी समाज के निर्माण में मदद करती है तथा उन्हें अपने रुचिकर रूप से विकसित करती है।*6 प्रकाश कुमार, 21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति, आउटलुक हिंदी, 24 अगस्त 2020। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत तत्वों के विकास एवं मानवीय चेतना के साथ उनके चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए निश्चित रूप से सेक्स प्रयोग एक आवश्यक उपक्रम माना जा सकता है जिसके माध्यम से हम आने वाली वीडियो के सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए, भारतीय संस्कृति की समझ अधिक महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा पद्धति अभियांत्रिकों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल हैं:

8.1 सामाजिक सांस्कृतिक अद्यतनीकरण: सामाजिक सांस्कृतिक अद्यतनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें समाज और संस्कृति को नए परिप्रेक्ष्यों व मानदंडों के साथ समझा जाता है। जिन्हें आधुनिकता की दिशा में विकसित किया जाता है। यह विशेष रूप से शिक्षा, प्रौद्योगिकी, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक प्रभाव के माध्यम से होता है। भारतीय शिक्षा पद्धति ने भारतीय संस्कृति को सामाजिक और सांस्कृतिक अद्यतनीकरण का माध्यम बनाया है जो छात्रों को नई विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में उनकी संस्कृति को समझने में मदद करता है। जिससे छात्र अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं।*7 प्रो. शर्मा के. एल, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण, पृष्ट संख्या 2, 24 अगस्त 2020। सामाजिक सांस्कृतिक अभ्युदय में उसके निरंतर नवीनीकरण होने की आवश्यकता बनी रहती है जिसके लिए शिक्षा नीति में किए गए प्रावधानों के द्वारा हम निरंतर नए परिवेश और नई आवश्यकताओं के अनुसार इसका निर्धारण एवं व्यावहारिक स्वरूप बनाए रखने की कोशिश करते हैं और यह कोशिश हमारी परंपराओं के विरासत को सजे हुए रखने के साथ-साथ प्रतिस्थापन को भी हमें अवसर प्रदान करती है।

8.2 धार्मिक शिक्षा: भारतीय संस्कृति धार्मिकता का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए भारतीय शिक्षा पद्धति में धार्मिक शिक्षा का महत्व बढ़ता है। धार्मिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है जो भारतीय शिक्षा पद्धति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्हें इन मुद्दों के प्रति जागरूक करती है। धार्मिक शिक्षा में छात्रों को नैतिकता, ईमानदारी, सजगता और सहानुभूति जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को सीखने का मौका मिलता है। धार्मिक शिक्षा छात्रों को नैतिक मूल्यों और धार्मिक महत्ता को समझाती है और उन्हें समर्पित और जागरूक नागरिक के रूप में तैयार करती है।*8 गंगवाल सुभाष, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति पृष्ट संख्या 22, अगस्त 2020. यह समाज में नैतिकता व आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने में मदद करने के साथ ही समृद्धि और समरसता की दिशा में योगदान कर सकती है।

8.3 भारतीय समाज के प्रति समर्पित नागरिकता: समर्पित नागरिकता का महत्व है कि इसमें छात्रों को अपने समाज और देश के प्रति जिम्मेदार और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्हें अपने समाज के सुधार में भाग लेने बेहतर और समर्थनशील नागरिक बनने का मौका देती है। शिक्षा के माध्यम से छात्रों को उनके भारतीय समाज के प्रति जिम्मेदार बनाया जाता है। जिससे वे सामाजिक सुधार के प्रति सक्रिय योगदान कर समाज में सुधार के लिए सहयोग कर सकते हैं। एक समर्पित नागरिक सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण अंग होता है वह समाज में व्याप्त व संगतियों की अवधारणा करते हुए समान विचारधारा एवं सांस्कृतिक समृद्धि को निरंतर आगे बढ़ाये रखने के लिए कटिबंध होता है।

8.4 साहित्य व कला के माध्यम से संस्कृति को समझना: भारतीय संस्कृति की गहरी समझ के लिए साहित्य और कला को महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। साहित्य और कला देश की इतिहास और परंपरा को भी दर्शाते हैं। वे बीते काल की घटनाओं, महान व्यक्तियों और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। लोगों को उनके धर्म, ऐतिहासिक घटनाओं और परंपरागत मूल्यों के साथ जोड़ने में मदद करते हैं। साहित्य और कला के माध्यम से व्यक्ति और समाज की भावनाओं का संवाद होता है।*9 मुखर्जी, ए., और साहा, एस. (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास में एक मील का पत्थर। एशियन जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज, 8(11), पृष्ठ संख्या -116-126 । कहानियों, कविताओं तथा कला के माध्यम से भावनाओं का अभिव्यक्ति किया जाता है, लोगों के बीच भाषा के माध्यम से संवाद बढ़ता है। छात्रों को महाकाव्य, कविता, नाटक, पेंटिंग, संगीत व अन्य कलाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने का अवसर मिलता है।

8.5 भाषाएँ और भाषाई विविधता: भारतीय संस्कृति बहुभाषिक है. यहाँ संस्कृत, हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी एवं अन्य भाषाएँ यहाँ बोली जाती हैं। इन भाषाओं में हर एक की अपनी भिन्न भाषाई और सांस्कृतिक पहचान होती है, जिनका भारतीय संस्कृति के लिए अत्यधिक महत्व है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन व संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान दिए हैं। यह बच्चों को उनकी मातृभाषा का सम्मान करने व सीखने का मौका प्रदान करता है, जिससे भाषाओं की सुरक्षा और विकसन होता है।*10 दास, ए., और सिंह, आर. (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: गुणवत्ता सुधार और परिवर्तन के लिए एक साधन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रेंड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 4(5), पृष्ठ संख्या -651-655। भाषा किसी भी समाज के विचार विनिमय का प्रमुख अंग होती है। भाषा की समझ से हम अपने व्यवहार और व्यापार को सुनिश्चित कर सकते

हैं, भाषा के माध्यम से ही अपनी अनुभूतियों को मौखिक अथवा लिखित रूप में समाज को प्रदान कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवेश में बदलाव और शुद्धता का प्रमुख आधार भाषा ही है।

8.6 सांस्कृतिक धरोहर और विरासत: भारतीय संस्कृति का गहरा संबंध सांस्कृतिक धरोहर और विरासत से है। यह आपके इतिहास, कला व धार्मिक प्रथाओं को संकलित करता है। भारतीय संस्कृति के अनेक पहलु हैं, यथा; महाभारत, रामायण, कथक नृत्य, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म व जैन धर्म ये सभी महत्वपूर्ण हैं और इनका संरक्षण और प्रोत्साहन भी अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन्हें समर्थन और प्रोत्साहित करने का निर्देश देती है जिससे इनको सुरक्षा और प्रोत्साहन मिल सके। नीति के तहत, स्थानीय कला, शिल्पकला, और धर्मिक स्थलों का संरक्षण व प्रोत्साहन किया जाता है। हमारे अनमोल सांस्कृतिक एवं साहित्यिक धरोहरों को उनके मूल से जोड़ते हुए निरंतर विकास में संरक्षक एवं संबंधित करने का प्रयत्न शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण लक्षणों में आता है।

8. आदर्शों और मूल्यों का प्रोत्साहन : भारतीय संस्कृति, आदर्शों और मूल्यों की महत्वपूर्ण धारणाओं पर आधारित है। यह आदर्शों कि सच्चाई, नैतिकता, धर्म व समरसता की महत्वपूर्ण धारणाओं को स्वीकार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान पर रखती है, छात्रों को इन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। समर्पित नागरिकता सामाजिक समरसता की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देती है।*11 पांडे, आर.पी., और जेना, पी.के. (2021)। भारत में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, 10(3), पृष्ठ संख्या - 49-57। यह छात्रों को भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों के सदस्यों के साथ साझा रहने के महत्व को समझने में मदद करती है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भारतीय संस्कृति का महत्व न केवल शिक्षा को अधिक सार्थक बनाता है, बल्कि यह भारतीय समाज को अधिक समृद्ध करने व नागरिकों समाज के प्रति समर्पित बनाने की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

9 भारतीय शिक्षा नीति 2020 और साहित्य समीक्षा :

9.1 प्रस्तुत आलेख के संदर्भ में, हम भारतीय शिक्षा नीति 2020 के भारतीय संस्कृति पर प्रभाव को गहराई से समझने के लिए निम्नलिखित साहित्यों का अवलोकन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सहयोगियों, मूर्तिकारों और उनके सांस्कृतिक आयामों पर विचार करने में मदद कर सकती हैं।

9.2 आर. गोविंदा और एन. वी. वर्गीस द्वारा लिखित "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक भारत-केंद्रित विश्लेषण": यह पुस्तक एनईपी 2020 के मुख्य सिद्धांतों का विस्तार करती है और उनके सांस्कृतिक प्रभाव को प्रकट करने में मदद कर सकती है।

9.3 एम. के. श्रीधर और एस. एन. श्रीधर द्वारा "भारत की नई शिक्षा नीति (एनईपी) एक महत्वपूर्ण विश्लेषण", यह पुस्तक एनईपी 2020 के शिक्षा प्रणाली पर अध्ययन को प्रभावित करती है और उसके सांस्कृतिक विस्तार को समझने का प्रयास करती है।

9.4 जे.सी. अग्रवाल द्वारा लिखित "भारतीय शिक्षा और संस्कृति, एक तुलनात्मक अध्ययन", यह पुस्तक भारतीय शिक्षा प्रणाली और संस्कृति के बीच के प्रासंगिक संदर्भ पर विचार करती है और एनईपी 2020 के आगमन के साथ कैसे बदली जाती है।

9.5 अमिया कुमार बागची द्वारा "भारत में शिक्षा और संस्कृति", इस पुस्तक में भारतीय शिक्षा प्रणाली और संस्कृति के सिद्धांतों को गहराई से बताने का प्रयास किया गया है, जिसमें एनईपी 2020 के सिद्धांतों पर भी विचार किया गया है।

10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधान: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण और घरेलू नीति है जो शिक्षा के कई पहलुओं में सुधार करने का प्रस्ताव लेती है। यह नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को नया दिशा देने का प्रयास करती है और शिक्षा को समृद्धि, विविधता और अच्छाई की दिशा में ले जाने का प्रयास करती है।

10.1 आदर्शों और मूल्यों की प्रोत्साहन : भारतीय शिक्षा नीति 2020 एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को नए सुदृढ़ दिशाओं में अग्रसर करने का प्रयास कर रही है। इस नीति में भारतीय संस्कृति के महत्व को समझाने और प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। जहां एक ओर नैतिक और मानवीय मूल्यों के प्रवर्तन के माध्यम से नीति नैतिक और मानवीय मूल्यों के प्रवर्तन को प्राथमिकता देती है और छात्रों को इन मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव रखती है, वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक सद्गुणों को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक सद्गुणों के विकास को प्रोत्साहित करने के उपायों को प्रस्तुत करती है। जिससे छात्रों में सामाजिक सहमति, समरसता और दुख-सुख साझा करने की गहरी समझ उत्पन्न की जा सके |

10.2 भाषाओं के प्रोत्साहन : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा को प्रोत्साहन देने के कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट कहा गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य बच्चों की समझ और शिक्षा को सुनिम्न स्तर से ऊंचा करना है, जिससे उनके अधिगम क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन की संभावना बढ़ती है। नीति में बोलचाल की भाषाओं को महत्वपूर्ण बताया गया है। छात्रों को अपनी बोलचाल की भाषा को अच्छी तरह से सीखने का अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव है। नीति में भाषा समृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भाषा बैंक के बारे में विचार दिया गया है। जिससे भाषा के अध्ययन के लिए सामग्री उपलब्ध हो सकती है। *12 गंगवाल सुभाष, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति पृष्ट संख्या 75, अगस्त 2020

10.3 सांस्कृतिक शिक्षा: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सांस्कृतिक शिक्षा को महत्वपूर्ण ध्यान में रखा गया है और इसके विकास को विकसित करने के उपाय प्रस्तुत किए गए हैं ताकि छात्र समृद्धि, सांस्कृतिक जागरूकता, और आत्म-समर्पण की भावना के साथ अपनी संस्कृति को समझ सकें। इसके अंतर्गत, छात्रों को भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से अवगत किया जाता है और उन्हें इसके प्रति अधिक जागरूक बनाता है। संस्कृत शिक्षा, शिक्षा की वह धारा है, जिसके माध्यम से हम शैक्षणिक सुधारों की उन प्रक्रियाओं को भी सामाजिक ढांचे में प्रतिरूपित कर सकते हैं जिनके माध्यम से आने वाले समय में हमें हमारे सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का रास्ता दिखेगा।

10.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सांस्कृतिक धरोहर और विरासत का समर्थन करने का महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस प्रावधान के माध्यम से, यह नीति सांस्कृतिक धरोहर के महत्व को समझती है और उसके प्रसरण और संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाती है, जैसे नीति में सांस्कृतिक धरोहर की मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव है, जिससे सांस्कृतिक धरोहर के महत्व को पहचाना जा सके और उसके संरक्षण का प्रयास किया जा सके। | राष्ट्रीय शिक्षा

नीति 2020 के इन प्रावधानों के माध्यम से, सांस्कृतिक धरोहर और विरासत का समर्थन किया जाता है ताकि यह महत्वपूर्ण भागीदारी हमारे शैक्षिक प्रक्रिया में बनी रहे और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को समृद्धि से बचाया और प्रसारित किया जा सके।

10.5 यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैचारिक साहित्यिक गुणवत्ता के प्रवर्तन को प्राथमिकता, छात्रों को साहित्यिक विचारशीलता और कला के महत्व को समझाती है। यह नीति छात्रों को विचारशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव रखती है, उन्हें समस्याओं को अद्भुत नवाचारिक तरीके से हल करने के लिए प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त साहित्यिक गुणवत्ता के महत्व को समझती है । छात्रों को साहित्यिक अभिवृद्धि की दिशा में प्रोत्साहित करने के उपाय प्रदान करती है, जो शिक्षा प्रणाली को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए अद्वितीय और अद्भुत विचारों को समझाने में मदद करती है।

11. निष्कर्ष एवं प्राप्तियां:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है,
- जो भाषाओं के प्रोत्साहन, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, और मूल्यों की प्रोत्साहन में दिखाई देता है।
- इसके बावजूद, चुनौतियों को पूरा करने के लिए समर्थन और संसाधनों की जरूरत है,
- इन संसाधनों के द्वारा ये प्रभाव सबसे अधिक बेहतर तरीके से हो सके।
- यह नीति सांस्कृतिक धरोहर, आदर्शों, और मूल्यों को बच्चों के शैक्षिक अनुभव का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का प्रयास कर रही है।
- इस नीति के साथ, भारतीय संस्कृति को समृद्धि, सुरक्षा, और स्थायिता की दिशा में बढ़ावा मिलता है, जो दुनिया को यह दिखाने में मदद करता है ।
- भारत अपने संस्कृतिक धरोहर को सजीव और महत्वपूर्ण बनाए रख रहा है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से, वैचारिक और साहित्यिक गुणवत्ता को प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है।

सुझाव:

- ताकि छात्र विचारशीलतासाहित्यिक गुणवत्ता , एवं विज्ञान के क्षेत्र में सुधार कर सकें तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक उन्नत बना सकें।
- इसी तरह सांस्कृतिक संस्थानों का समर्थन,
- धारौरिया और स्थलीय सांस्कृतिक परम्पराओं का समर्थन,
- सांस्कृतिक पर्यावरण का समर्थन,
- सांस्कृतिक परंपरा के महत्व का शिक्षा में समावेश,
- सांस्कृतिक संगठनों का समर्थन एवं उनका प्रचुर प्रयोग सुनिश्चित किया जाना इत्यादि।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 : एक सरल परिचय, डॉ. गुप्ता एस. पी., डॉ.गुप्ता अलका, शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज, पृष्ठ संख्या 44।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: भारतीयता का पुनरुत्थान, श्री अतुल कोठारी, प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन प्रकाशन वर्ष-2021, पृष्ठ संख्या 142।

3. मुखर्जी, ए., और साहा, एस. (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास में एक मील का पत्थर। एशियन जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज, 8(11), पृष्ठ संख्या -127-128।
4. गंगवाल सुभाष, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति पृष्ट संख्या 52, अगस्त 2020
5. पांडे, आर.पी., और जेना, पी.के. (2021)। भारत में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, 10(3), पृष्ठ संख्या - 94।
6. प्रकाश कुमार, 21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति, आउटलुक हिंदी, 24 अगस्त 2020।
7. प्रो. के. एल शर्मा, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण, पृष्ट संख्या 2, 24 अगस्त 2020।
8. गंगवाल सुभाष, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति पृष्ट संख्या 22, अगस्त 2020.
9. मुखर्जी, ए., और साहा, एस. (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास में एक मील का पत्थर। एशियन जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज, 8(11), पृष्ठ संख्या -116-126।
10. दास, ए., और सिंह, आर. (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: गुणवत्ता सुधार और परिवर्तन के लिए एक साधन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रेंड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 4(5), पृष्ठ संख्या -651-655।
11. पांडे, आर.पी., और जेना, पी.के. (2021)। भारत में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, 10(3), पृष्ठ संख्या - 49-57।
12. गंगवाल सुभाष, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति पृष्ट संख्या 75, अगस्त 2020

डॉक्टर जयशंकर शुक्ल

विषय विशेषज्ञराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ,शिक्षा निदेशालय ,शिक्षा विभाग ,परीक्षा शाखा ,कोर एकेडमिक यूनिट , .110054 -दिल्ली

पत्राचार का पता ,49 भवन संख्या -पथ संख्या ,06बैंक कालोनी -मोबाइल नं .110093 -दिल्ली ,मंडोली , - ईमेल , 9968235647 jayashankarshukla@gmail.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और नवीन शिक्षा पद्धति

डॉ. धनंजय शर्मा

शोध सारः

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के साथ ही भारत की शिक्षा व्यवस्था में भी 21 वीं शताब्दी के महत्वाकांक्षी बदलाव की अहम् प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। शिक्षा व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। स्वतंत्रतापरांत से ही शिक्षा से संबंधित नीति निर्माण का कार्य व नीति कियान्वयन में केन्द्र व राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भारतीय संविधान में शिक्षा के भी अनेक प्रावधान हैं। देश में सर्वप्रथम 1948 में डॉ० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में शिक्षा व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास आरंभ हुआ, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1952 में लक्ष्मीस्वामी मुदलियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। तपाश्चात 1964-66 में डॉ० दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया, इन्होंने शिक्षा के सभी स्तरों पर विचार विमर्श के आधार पर कोठारी आयोग के सुझावों के अनुरूप वर्ष 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968 की घोषणा की घोषणा कि थी। जिससे राष्ट्रीय विकास के लिए वचनबद्ध चरित्रवान तथा कार्य कुशल युवाओं को तैयार किया जा सके। इसके बाद 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण की घोषणा हुई। वर्ष 1986 में भारतीय संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक व्यापक परिवर्तन की मांग उठने लगी थी। अतः 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया। परिणामस्वरूप वर्ष 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आई। 1993 में छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से यशपाल समिति बनाई गई। 34 साल बाद 2020 में 21वीं सदी की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का गठन किया गया जिसमें मूलभूत परिवर्तन किये गये। जिससे शिक्षा को अधिक व्यावसायिक और उपयोगी बनाया जा सके। प्रस्तुत शोध पत्र में स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से आने वाले परिर्वतनों के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत है।

मुख्य शब्द - राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आयोग, विश्वविद्यालय, समिति, माध्यमिक, प्राथमिक, संविधान

प्रस्तावनाः

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के 21वीं सदी के महत्वकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप है। भारत को शिक्षा के क्षेत्र में महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य छात्रों में विचारों के साथ ही भावना, बुद्धि और कार्यों में भी भारतीय होने का गौरव स्थापित करना है।

स्वतंत्रता आन्दोलन के परिणामस्वरूप लगभग दो सौ वर्षों की ब्रिटिश दासता के उपरांत; 15 अगस्त, 1947 से स्वतंत्रत भारत में नये युग का सूत्रपात हुआ। विकास तथा परिवर्तन के इस नये युग में शिक्षा के क्षेत्र में भी यह प्रक्रिया से अछूती नहीं रही। वर्तमान शिक्षा के स्वरूप में चौदह वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है, उसका इतिहास काफी पुराना है। भारत के संविधान में राष्ट्र को गणतंत्र घोषित करते हुए शिक्षा की महत्ता एवं इसकी भूमिका को अंगिकार किया गया है। संविधान में शिक्षा संबंधी अनेक प्रावधान किए गए जिसके के भाग चार में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य के द्वारा सभी बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क व

अनिवार्य करने की व्यवस्था की जायेगी। इस कदम को आगे बढ़ाते हुए, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया तथा संविधान में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 21 (क) जोड़कर इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणालियों में रूपांतरणकारी सुधारों का रास्ते साफ करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गयी। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में सत प्रतिशत जीईआर के साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

संविधान में शिक्षाः

स्वतंत्र भारत के संविधान में शिक्षा के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, साथ में केन्द्र व राज्यों के संवैधानिक कर्त्तव्यों तथा अधिकारों को भी संविधान में स्पष्ट किया गया। संविधान के अनुच्छेद-21 ए में शिक्षा के अधिकार को एक विकसित अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद-21 ए में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना मूल अधिकार है। अनुच्छेद-45 के अनुसार 6 वर्ष तक की आयु के सभी बालक बालिकाओं को शैशवपूर्ण देखभाल तथा शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व राज्य को सौपा गया है।

संविधान के अनुच्छेद-30 के अनुसार धर्म अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी पसंद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा संस्थाएं खोलने एवं प्रशिक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद-29 में व्यवस्था की गई कि जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर किसी को भी शिक्षण संस्थों में प्रवेश के लिए रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद-46 में अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक व आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का उत्तरदायित्व राज्य को दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद-28 में शिक्षा संस्थाओं में किसी धर्म विशेष की शिक्षा प्रदान करने पर पाबन्दी लगाई गई है। अनुच्छेद-350 'ए' में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का संवैधानिक उत्तरदायित्व राज्यों को सौंपा गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-351 में हिन्दी भाषा के विकास व प्रचार-प्रसार का उत्तरदायित्व केन्द्र को दे दिया गया है। अनुच्छेद-15 (3 व 4) में महिलाओं तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने पर किसी प्रकार की रोक न लगाने की व्यवस्था की गयी है। 26 जनवरी, 1950 को लागू संविधान में कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर शिक्षा संबंधी कानून व व्यवस्था के अधिकार राज्यों को दे दिए गए थे। केन्द्र को राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा संस्थाएं, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा व अनुसंधान के स्तर आदि विषयों पर कानून बनाने तथा व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया था। वर्ष 1977 के संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया है। अतः अब शिक्षा संबंधी विषयों पर केन्द्र व राज्य दोनों को कानून व व्यवस्था का अधिकार प्राप्त है। केन्द्र व राज्यों के कानूनों में विरोध होने पर केन्द्र का कानून प्रभावी माना जाएगा।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अथवा राधाकृष्ण आयोगः

ब्रिटिश शासन के अंतिम 50 वर्षों में भारत में उच्च शिक्षा का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ। इस अवधि में अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। लेकिन उच्च शिक्षा में हुई यह वृद्धि संख्यात्मक अधिक तथा

गुणात्मक कम थी। परिणामतः भारत में उच्च शिक्षा का स्तर गिरने लगा। स्वतंत्रता उपरांत भारत सरकार ने 4 नवम्बर, 1948 को डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था, जिनको निम्नलिखित समस्याओं पर अध्ययन करके अपनी संस्तुतियां देने का कार्य सौंपा गया।

1. भारत में विश्वविद्याल की शिक्षा तथा अनुसंधान के उद्देश्य ।

2. विश्वविद्यालयों के विधानों, नियंत्रण, कार्य तथा क्षेत्र में आवश्यक व वांछनीय परिवर्तन।

3. विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था।

4. शिक्षण तथा परीक्षा के उच्च स्तर को बनाए रखना।

5. विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम।

6. विश्वविद्यालयों में प्रवेश के मानक।

7. विश्वविद्यालयों में शिक्षण का माध्यम ।

8. भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषा, दर्शन व ललित कलाओं के उच्च अध्ययन का प्रावधान ।

9. क्षेत्रीय अथवा अन्य आधारों पर विश्वविद्यालयों की आवश्यकता।

10. उच्च अनुसंधान ।

11. विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा।

12. अध्यापकों की योग्यता, सेवा शर्त, वेतन तथा कार्य।

13. छात्र अनुशासन व छात्रावास ।

14. अखिल भारतीय स्तर की संस्थाओं की समस्याएं।

उपरोक्त विचार-विमर्श के उपरांत आयोग ने 25 अगस्त, 1949 को 747 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया।

(1) विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य (2) अध्यापक कल्याण (3) उच्च शिक्षा का स्तर (4) अध्ययन पाठ्यक्रम (5) स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान (6) वृत्तिका शिक्षा (7) शिक्षा का माध्यम (8) परीक्षा प्रणाली (9) धार्मिक शिक्षा (10) छात्र कल्याण (11) ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना (12) संविधान तथा नियंत्रण (13) वर्ण व्यवस्था (14) नारी शिक्षा तथा अर्थ व्यवस्था आदि में सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं।

शिक्षा आयोग या कोठारी आयोगः

1964-66 में डॉ० दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस

आयोग ने सभी स्तरों की शिक्षा के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए 12 मुख्य कार्य दल तथा 7 सहायक कार्य दल बनाए, इन कार्य दलों ने लगभग 100 दिन तक राष्ट्र के विभिन्न राज्यों, के स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों का भ्रमण

किया तथा 9000 व्यक्तियों से साक्षात्कार किया। आयोग ने 2900 से अधिक लिखित उत्तरों का विश्लेषण भी किया तथा इसके आधार 673 पृष्ठों का प्रतिवेदन भारत सरकार को 20 जून, 1966 को सौंपा, जिसमें आयोग ने राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

(1) शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य, (2) शिक्षा की संरचना, (3) अध्यापकों की दशा, (4) अध्यापक प्रशिक्षण, (5) नामंकन तथा मानव शक्ति, (6) शैक्षिक समानता, (7) स्कूल शिक्षा का विस्तार, (8) स्कूल पाठ्यक्रम, (9) स्कूल शिक्षा पद्धति (10) स्कूल निरीक्षण, (11) उच्च शिक्षा के उद्देश्य, (12) उच्च शिक्षा में प्रवेश व कार्यकम, (13) विश्वविद्यालयों की व्यवस्था, (14) कृषि शिक्षा, (15) व्यावसायिक, तकनीकी तथा अभियांत्रिक शिक्षा, (16) विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान, (17) प्रौढ़ शिक्षा, (18) शैक्षिक योजना तथा प्रशासन, (19) शैक्षिक अर्थव्यवस्था, जैसे विभिन्न विषयों पर विस्तार से अध्ययन करने के महत्वपूर्ण सूझाव प्रस्तुत किये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-स्वतंत्रता के उपरांत शिक्षा के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम सन् 1968 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी। इस नीति में शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यापक परिवर्तन करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर बल दिया था। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक संकल्प को पूरा करने, अध्यापकों के स्तर व प्रशिक्षण में सुधार करने, त्रिभाषा सूत्र को लागू करने, शिक्षा प्राप्ति का अवसर सभी को सुलभ कराने, प्रतिभाओं की खोज व उनका विकास करने का कार्य-अनुभव व राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने, विज्ञान, कृषि व उद्योगों की शिक्षा व अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीय व वैद्य बनाने, अल्पसंख्यकों की शिक्षा को बढ़ाने तथा 10+2+3 के शैक्षिक ढ़ांचे को सम्पूर्ण राष्ट्र में लागू करने जैसे अनेक संकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किये गये थे।

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986

सन् 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गयी। जिसको कुल 12 खण्डों में बॉटा गया है। जिनमें 157 बिन्दुओं के अन्तर्गत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों तथा संकल्पों को लिपिबद्ध किया गया है। इस नीति में 10+2+3 की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को अपनाने, शैक्षिक अवसरों की एक समान उपलब्धता सुनिश्चित करने, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन करने, तकनीकी व प्रबन्ध शिक्षा में सुधार करने, अध्यापकों के उत्तरदाइत्यों को सुनिश्चित करने, सुधरी छात्र सेवाएं, पाठ्यक्रमों के अभिनवीनीकरण करने, अध्यापन शिक्षा में सुधार, राष्ट्रीय सेवा प्रारम्भ करने, शैक्षिक निवेश बढ़ाने, नवोदय विद्यालय खोलने, उपाधि को नौकरी से विलग करने, स्वायत्ता को बढ़ाने, कम्प्यूटर ज्ञान का विस्तार करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने जैसे संकल्प किए गए हैं।

सन् 1989 में केन्द्र में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन होने के उपरान्त राजनैतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में राजीव गांधी सरकार द्वारा सन् 1986 में घोषित की गई, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यापक परिवर्तन करने की मांग उठने लगी थी। तब 7 मई, 1990 में केन्द्र की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा आचार्य राममूर्ती की अध्यक्षता में एक 17 सदस्दीय समीक्षा समिति का गठन किया गया।

आचार्य राममूर्ती समीक्षा समितिः

आचार्य राममूर्ती की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति की नियुक्ति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए मई 1990 में केन्द्र की जनता सरकार के द्वारा की गई थी। इस समिति ने दिसम्बर 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

समिति ने शिक्षा की भूमिका, शिक्षा व नारी समानता, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, सार्वजनिक स्कूल प्रणाली, नवोदय विद्यालय, शिशु देखभाल व शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का सर्वीकरण, प्रौढ़ व अनुवर्ती शिक्षा, शिक्षा व काम का अधिकार, उच्च शिक्षा तकनीकी व प्रबन्ध शिक्षा में भाषाओं का स्थान, शिक्षा की विषय वस्तु व प्रक्रिया, शिक्षक व छात्र, विकेन्द्रीकरण व सहभागी प्रबन्ध तथा शिक्षा के लिए संसाधन आदि के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सूधार करने की अनुशंसा की। परन्तु केन्द्र में पुनः सत्ता परिवर्तन के कारण इस समिति के सुझावों को कियान्वित किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः

सन् 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था कि प्रत्येक पांच वर्ष के उपरान्त इस नीति की समीक्षा की जाएगी। पहले सन् 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति ने तथा फिर सन् 1991 में जनार्दन रेड्डी समिति ने इस संबंध में विचार करके शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की। तत्पश्चात सन् 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन से प्राप्त सफलताओं-असफलताओं को ध्यान में रखकर इसमें अनेक संशोधनों किए गए।

साक्षरता अभिमान पर अधिक जोर देने, सतत् शिक्षा के व्यापक कार्यकम उपलब्ध कराने, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम व्यापक करने, महिलाओं की अध्यापक के रूप में नियुक्त करने, अनौपचारिक शिक्षा पर अधिक जोर देने, लड़कियों व पिछड़े वर्ग के बच्चों के नामांकन पर अधिक जोर देने, मुक्त अधिगम प्रणाली को सुदृढ़ करने, राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन गठित करने, जनसंख्या शिक्षा पर अधिक बल देने तथा परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार करने जैसे अनेक महत्वपूर्ण संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किये गये संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 भी तैयार किया गया। इस शैक्षिक कार्यान्वयन के विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं को 23 खण्डों में बॉटा गया; (1) नारी समानता के लिए शिक्षा, (2) अनुसूचित जाति, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा, (3) अल्पसंख्यकों की शिक्षा, (4) विकलांगों की शिक्षा, (5) प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, (6) पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा, (7) प्रारंभिक शिक्षा, (8) माध्यमिक शिक्षा, (9) नवोदय विद्यालय, (10) व्यावसायिक शिक्षा, (11) उच्च शिक्षा, (12) मुक्त शिक्षा, (13) उपाधि की रोजगार से विलगता एवं मानव शक्ति नियोजन, (14) ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान, (15) तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा, (16) अनुसंधान एवं विकास, (17) सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, (18) भाषाओं का विकास, (19) संचार एवं शैक्षिक तकनीकी, (20) खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा, (21) मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार, (22) अध्यापक एवं उनके प्रशिक्षण, (23) शिक्षा का प्रबंधन।

यशपाल समितिः

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1 मार्च, 1992 को स्कूली छात्रों को शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके सुझाने के लिए प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया

गया। इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को अधिगम की गुणवत्ता बनाये रखते हुए कम करने के संबंध में अनेक सुझाव दिए गए थे।

यशपाल समिति की रिपोर्ट को लागू करने की सम्भाव्यता की जांच के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने शिक्षा विभाग के सचिव श्री वाई. एन. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक दस सदस्यीय दल का गठन 25 अगस्त, 1993 को किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस समिति में अधिकांश सिफारिशों के प्रति सहमति व्यक्त की गई जबकि कुछ सिफारिशों से असहमति दर्शायी हैं। इस दल के द्वारा प्रस्तुत आख्या पर केन्द्रिय सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की 2 मार्च, 1994 को हुई बैठक में विचार किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21 वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है; जिसका लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21 वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों; जिनमें एसडीजी 4 शामिल है के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों की विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराते हुए भारत को विश्व की महान ज्ञानशक्ति बनाकर देश को एक जीवंत न्याय संगत समाज में बदलने की प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। शिक्षा नीति का विजन न केवल छात्रों में भारतीय होने का गर्व व विचार अपितु व्यवहार, बुद्धि, कार्य कौशल, ज्ञान, उच्चमूल्यों की सोच में भी अग्रणीय होनी चाहिए। साथ ही जो मानवाधिकारों, स्थाई विकास, जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।

यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं। इसलिए कि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नई नीति के तहत 5+3+3+4 ढ़ांचे में 3 वर्ष के बच्चों की प्रारंम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की विशेषताएं:

1. हर छात्र की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान कर उन्हें मान्यता और प्रोत्साहन देना। 2. इस लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना कि सभी छात्र तीसरी कक्षा तक बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान हासिल कर लें।

3. शिक्षा में लचीलापन ताकि छात्रों की प्रतिभाओं व रुचियों के अनुसार जीवन का रास्ता चुन सकें।

4. कला और विज्ञान, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों तथा व्यावसायिक और शिक्षा के बीच कठोर विभाजन नहीं।

5. विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी व खेलों के बीच बहुविषयक और समग्र शिक्षा ।

6. रटंत विद्या और परीक्षाओं के लिए अध्ययन के बजाय विषय की समझ विकसित करने पर जोर।

7. तार्किक निर्णय लेने की क्षमता और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक व आलोचनात्मक चिंतन का विकास।

8. नैतिकता तथा मानवीय और संवैधानिक मूल्यों को प्रोत्साहन।

9. शिक्षण व ज्ञानर्जन में बहुभाषावाद और भाषा क्षमता को बढ़ावा।

10. संचार, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन जैसे जीवन-कौशलों का विकास।

11. ज्ञानार्जन के लिए नियमित रचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान।

12. शिक्षण और ज्ञानार्जन में प्रौद्योगिकी के विस्तृत उपयोग, भाषा के अवरोधों को दूर करने तथा दिव्यांग छात्रों के लिए पहुँच बढ़ाने पर जोर।

13. विविधता और स्थानीय संदर्भों का सम्मान।

14. सभी शैक्षिक फैसलों में पूर्ण न्यायसंगतता और समावेशन।15. शुरूवाती बाल्यावस्था देखभाल से लेकर स्कूली और उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में तालमेल।

16. ज्ञानार्जन प्रक्रिया के केंन्द्र में शिक्षक और संकाय।

17. आसान मगर सुगठित नियामक ढ़ांचा जिससे शैक्षिक प्रणाली में ईमानदारी, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता सुनिश्चित की जा सके।

18. उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए विशिष्ट शोध।

19. सतत शोध के आधार पर प्रगति की लागातार समीक्षा।

20. शिक्षा, उसकी समृद्धि, विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति तथा ज्ञान प्रणालियों व परंपराओं पर आधारित हो जो देश के लिए गौरव का भाव पैदा करें।

21. शिक्षा एक लोक सेवा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हर बच्चे का बुनियादी अधिकार।

22. सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश पर जोर। साथ ही सही मायनों में लोकोपकरी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने व सुगम बनाने का सुझाव।

डिजिटल पहलः

राष्ट्रीय शिक्षा योजना-2020 में किये गये प्रावधानों के अनुसार पठन-पाठन के अनुभवों को विस्तार देने की लचीली टेक्नोलॉजी का महत्व समझते हुए, सरकार समग्र शिक्षा के तहत आने वाले स्कूलों में उच्च प्राथमिक स्तर से सीनियर माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए आईसीटी प्रयोगशालाएं और स्मार्ट क्लासरूम अर्थात् आधुनिक कक्षा उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देती है। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी प्रयोगशालाएं बनायी गयी हैं।

पीएम ई-विद्याः

आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत यह एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य शिक्षा तक विभिन्न माध्यमों और पद्धतियों से पहुंच उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल/आभासीय / ऑन एयर शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों में एकजुटता लाना है। इसके जरिया दिशा (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) स्वयंप्रभा डीटीएच टीवी चैनलों (कक्षा 1 से 12 तक एक कक्षाः एक चैनल) रेडियो, कम्यूनिटी रेडियो और पोडकास्ट-शिक्षा वाणी के व्यापक प्रयोग से भारतीय सांकेतिक भाषा सहित 33 भाषाओं में विभिन्न ई-स्त्रोतों तक पहुंच उपलब्ध होती है।

विद्यांजलि 2.0 :

स्वयंसेवक प्रबंधन कार्यक्रम में समुदाय के स्वयंसेवकों को अपनी पंसद के सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे बात करने में मदद मिलेगी। वे उनके साथ जानकारी और कौशल का आदान-प्रदान कर सकेंगे। स्कूलों की जरूरतें पूरी करने के वास्ते; संपत्ति, सामग्री एवं उपकरण आदि उपलब्ध करा सकेंगें।

निष्कर्षः

भारत में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के उन्नयन के लिए राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा पर जोर दिया गया। शिक्षण के प्रशिक्षण में नवीनता लाने के लिए शिक्षकों के लिए विभिन्न पाठ्यकर्म संचालित करने की व्यवस्था की गयी। वर्ष 1992 की नीति में कुछ बदलाव करके सम्पूर्ण भारत में 10+2 प्रणाली लागू की गयी। प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य कर दिया गया था। 21 वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति 2020 का गठन कर भारत सरकार ने अपने वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडे के अनुसार विश्व में 2030 तक "सभी के लिए समावेशी व समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने तथा जीवन-पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने" का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से पीछे नहीं है। यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्टिभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पुनर्गठित करके 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में परिणित किया गया है। नवाचार को ग्रहण करते हुए छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़कर वर्तमान शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाने के प्रयास किये गये हैं। वर्ष 2020 की शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने में सहायक होगी।

संदर्भ ग्रंथः

1. गुप्ता.एस. एवं अग्रवाल, जे.सी. "भारत में प्रारम्भिक शिक्षाः स्वतंत्रता से पूर्व तथा पश्चात", क्षिप्रा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2009, पृ०सं०-09

2. गुप्ता, एस.पी एवं गुप्ता, अलका, "भारतीय शिक्षा का इतिहास" शारदा पुस्तक भवन, पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, 11 यूनिवर्सिटी रोड़, इलाहाबाद, 2012, पृ०सं०-35

3. गर्ग, मनीष, "सभी के लिए उत्तम शिक्षा" योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, लोधी रोड, नयी

दिल्ली, 2022, पृ०सं0 23-28 4. पचौरी, गिरीश, "शिक्षा के सामाजिक आधार" आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, 2006, पृ०सं०-47

5. बख्शी, एन.एस. "भारतीय शिक्षा का ज्ञानकोश" लक्ष्य पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2014, पृ०सं0-167

6. राव, डी.बी. "नेशनल पॉलिसी ऑन ऐजुकेशन", डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1998 पृ०सं०- 523

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2020, पृ०सं०-25

8. वैश्य, एल.पी "उच्च शिक्षाः दशा एवं दिशा", रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1998 पृ०सं०-32

9. सिंह, अविनाश कुमार, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020" योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, लोधी रोड, नयी दिल्ली, 2022, पृ०सं० 7-10

10. शर्मा, आर.सी., "नेशनल पॉलिसी ऑन ऐजुकेशन एण्ड प्रोग्राम ऑफ इम्पलीमेन्टेशन", मंगलदीप पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2004, पृ०सं०-23

11. https://hi.wikipedia.org/wiki/ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

12.www.ncert.nic.in/oth_anoun/npe86.pdf

डॉ. धनंजय शर्मा
सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला-खानपुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
मो0न0-9451301712 ईमेल न०-dsbhu2008@gmail.com

नरेंद्र कोहली के महासमर उपन्यास में महाभारत के पात्रों का समतुल्य रूपांतरण

तरुण किशोर नौटियाल
शोधार्थी- हिन्दी विभाग
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय;
शहर: श्रीनगर, उत्तराखंड
ईमेल: tarunkishornautiyal1@gmail.com
दूरभाषा संख्या- 8126232711

शोध सार :

महाभारत एक महाकाव्यात्मक ग्रंथ है जिसने युगों-युगों से ऋषि-मुनियों, साधकों के साथ साहित्यकारों को प्रेरणा दी है। भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्राणतत्व के रूप में यह ग्रंथ सांस्कृतिक वैभव की धरोहर की तरह भारत को विश्व में अद्भुत पहचान दिला रहा है। इस ग्रंथ ने अपने पात्रों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में पूर्ण सार्थकता के साथ हमारे समाज का मार्गदर्शन किया है जो आज भी प्रासंगिक हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर नरेंद्र कोहली जी ने महाभारत की कथा को आधार बनाकर अपने बृहदाकार 'महासमर' उपन्यास की रचना के पात्रों को आधुनिक परिवेश की दृष्टि से व्याख्यायित किया है। महासमर की परिकल्पना आधुनिक मानव-मन के आंतरिक संघर्ष की कथा है। ये पात्र महाभारत के विस्तृत पटल से लिए गए हैं, जिनमें रचनाकार कोहली जी ने इतिहास एवं कल्पना का अनोखा सामंजस्य दिखाकर यथार्थ का एक नवीन वितान तैयार किया है। महाभारत की मूल कथा में संशोधन किए बिना महाभारत के पात्रों का समतुल्य रूपांतरण इस उपन्यास की मूल विशेषता है। इसी विषय को आधार बनाकर 'महासमर' के चरित्रों के माध्यम से आज के परिवेश की समस्याओं के संभावित समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मुख्य शब्द: आध्यात्मिक मूल्य, चरम भौतिकता, धर्म,कर्मयोग, नियोग, कूटनीति, सुशासन, योगशक्ति, राजनीति, निर्बंध, बंधन आदि।

महाभारत भारतीय संस्कृति के प्राणतत्त्व के रूप में भारतीयता को वैश्विक पटल पर अद्भुत पहचान दिला रहा है। यह पहचान शाश्वत मूल्यों की परंपरा की वह कड़ी है जो मनुष्य के मन में अनादिकाल से आधुनिक काल तक एक जैसे रूप में विद्यमान है। 'समय' या 'काल' की अवधारणा का अतिक्रमण करता यह महान ग्रंथ सदियों से ऋषि-मुनियों और साधकों के साथ साहित्यकारों के हृदय में प्रेरणा का संचार करता रहा है। महाभारत के श्लोक आज भी जीवंतता और प्रासंगिकता का आभास कराते हैं। इसी तथ्य के चलते हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान, भारतीय संस्कृति के अग्रणी ध्वजवाहक श्री नरेंद्र कोहली जी ने अपने बृहदाकार उपन्यास 'महासमर' का सृजन किया।

महासमर उपन्यास की परिकल्पना आधुनिक मानव मन के आन्तरिक संघर्ष की कथा है। इसके-पात्र महाभारत के विस्तृत पटल से लिए गए हैं तथा रचनाकार कोहली जी ने उनमें इतिहास एवं कल्पना का अनोखा सामंजस्य दिखाकर यथार्थ का एक नवीन वितान तैयार किया है। यह उपन्यास अपने आंतरिक स्वरूप में महाभारत के चरित्रों का समतुल्य रूपांतरण प्रस्तुत करता है तथा आधुनिक मनुष्य के अन्तर्मन का समग्र मानस चित्रण कर समसामयिक

समस्याओं के समाधान की राह दिखा सकता है। विवेच्य रचनाकार आदरणीय नरेंद्र कोहली जी का मत है कि- **महाभारत की कथा भारतीय चिंतन और भारतीय" संस्कृति की अमूल्य थाती है। यह मनुष्य के उस अनवरत युद्ध की कथा हैउसे अपने बाहरी और भीतरी शत्रु जो ,ओं के साथ निरन्तर करना पड़ता है।..... लोभ ,त्रास और स्वार्थ के विरुद्ध मनुष्य के इस सात्विक युद्ध को महाभारत में अत्यंत विस्तार से किया प्रस्तुत किया गया है।"**[i]

मनुष्य के भीतर चलने वाले सात्विक-तामसिक के मध्य संघर्ष हर युग में अपनी गति से मानव मन को प्रभावित करते रहे हैं। माता के गर्भ से ही मनुष्य के मन को विविध अनुभव प्राप्त होते हैं। महाभारत के पात्र भी विभिन्न अनुभवों से गुजरते हुए जिस जीवन पद्धति का ढांचा प्रस्तुत करते हैं; कोहली जी ने 'महासमर' उपन्यास में महाभारत के उन पात्रों को आधुनिक परिवेश के अनुकूल ढालकर तार्किक दृष्टि से उनका अन्वेषण किया है यथा- 'महासमर' उपन्यास के एक प्रमुख पुरुष पात्र शांतनु का जीवन आज के समय में 'काम-भावना' के संयत स्वरूप की आवश्यकता का सशक्त माध्यम बन सकता है।

मानव शरीर की नैसर्गिक प्रकृति के रूप में 'काम-भावना' अत्यंत महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया है। 'महासमर' उपन्यास के शांतनु की काम-चेतना की अभिव्यक्ति 'महाभारत' में भी दिखाई गई है जिसमें 'शान्तनु' के चरित्र को प्रशंसनीय माना गया है। भीष्म को इच्छामृत्यु के वरदान देने की कथा से तो शांतनु एक साधक के रूप में महाभारतकार द्वारा सिद्ध किए जाते हैं, किंतु नरेंद्र कोहली जी की सूक्ष्म व तार्किक जीवनदृष्टि ने शांतनु के व्यक्तित्व को पूरी निष्पक्षता से विश्लेषित किया है। शांतनु को अपनी पहली पत्नी गंगा से समग्र दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाया अत: यह कुंठा उनके अंतर्मन में कहीं गहरे बैठती चली गई और शांतनु काम-याचक के रूप में तड़पते रहे। इस भावना से न ही शांतनु के अंतर्मन का शमन हो सका और न ही पूर्ति। शांतनु भीष्म से कहते भी हैं कि**"जिस स्त्री की मैंने अपनी पहली पत्नी के रूप में आकांक्षा की थी, वह मुझे मिल तो गयी ; किन्तु उससे दाम्पत्य सुख नहीं मिला। अब दूसरी बार जिसकी आकांक्षा की वह भी मिल गयी किन्तु शायद मैं उसे दाम्पत्य सुख न दे पाऊँ।"**[ii]

शांतनु-गंगा व शांतनु-सत्यवती के साथ कामाकर्षण आधारित संबंधों के रूप में आज के समाज में पुरुष की अनियंत्रित यौन उन्मुखता का प्रतीक है। यह यौन उन्मुखता अनियंत्रित होने के कारण एक समाज का विभिन्न दृष्टियों से नुकसान करता है। शांतनु के असंयत काम के परिणामस्वरूप भीष्म, सत्यवती तथा कुरु वंश के उत्तराधिकारियों का जीवन एक अभिशाप जैसा प्रतीत होता है।

'महासमर' उपन्यास की प्रमुख स्त्री पात्र सत्यवती इस कथा के आरंभ को रोचक बनाने वाली महत्वपूर्ण चरित्र है। जिसका व्यक्तित्व महाभारतकार की लेखनी से चमत्कृत तो प्रतीत होता है किंतु कोहली जी ने उसके व्यक्तित्व की सूक्ष्म परतों को उभारकर आज के समय के अनुकूल ढालने का सुगम वितान तैयार किया है। सत्यवती के अंतर्मन में उनके पिता ने बचपन से ही भौतिकतावादी संस्कार स्थापित किए। जिससे सत्यवती महाभारत की एक महत्वाकांक्षी चरित्र के रूप में उपस्थित होती है। जिसने सत्यवती के चरम भौतिकतावादी जीवन दृष्टि का प्रबल समर्थन किया है। विवाह-पश्चात शांतनु के साथ चर्चा में वह अपने विचारों का पूर्ण आत्मविश्वास से उद्घोष भी करती है -**"मैं वैसी नारी नहीं हूँ। और न ऐसा कोई आदर्श पालने की मेरी कोई इच्छा है, जिसमें बांधकर मुझे मूर्ख बनाया जा सके।..... धन, वैभव ,सत्ता सबकी माया व्यापती है मुझे।"**[iii]

सत्यवती की उपरोक्त विचार-श्रृंखला को उसके जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से उपजी हताशा, कुंठा तथा अभावों की पृष्ठभूमि में देखना भी अत्यंत आवश्यक है। संभवतः अवैध संतान के रूप में जन्मी, नदी के बहाव में बहायी गयी, केवट मुखिया के घर पली-बढ़ी; ऋषि पाराशर से प्रेम लेकिन प्रेमी व पुत्र का वियोग; बाद में बूढ़े शांतनु से विवाह होना, इतना ही नहीं दो पुत्रों की असमय मृत्यु से उत्पन्न वियोग इत्यादि दुष्कर घटनाओं तथा परिस्थितियों ने सत्यवती को ललकारने का 'प्रयास' किया, किन्तु सत्यवती की अधिकारोन्मुख तथा महत्वाकांक्षी विचार प्रक्रिया ने उसे अध्यात्म, त्याग, संयम तथा बलिदान का बहिष्कार करने के लिए तैयार किया। फलस्वरूप उसकी रजोगुणी चेतना ने कुरु वंश के भीतर उत्तराधिकारी का ऐसा धर्मसंकट उत्पन्न किया कि पांडवों-कौरवों के जन्म तक हस्तिनापुर का सिंहासन एक योग्य शासक की उपस्थिति के लिए तरसता रहा। आज के समय में भी सत्ता के सुख के लिए हर तरह के उचित-अनुचित प्रयास किए जाते हैं, जिसमें प्रजा का जीवन कष्टकारी होने लगता है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की आग में साम्राज्य के नष्ट होने व जनकल्याण से विमुख होने की दृष्टि से 'सत्यवती' का जीवन आधुनिक समय के समकक्ष परिस्थितियों के समतुल्य रूपांतरण की एक बानगी हो सकती है।

एक अन्य दृष्टि से देखें तो सत्यवतीशांतनु का असंतुलित विवाह--संबंध उनके मध्य उत्पन्न मानसिक अंतराल को उभारता है तथा यह अंतराल इतना सघन होता जाता है कि इससे सत्यवती के अंतर्मन की कुंठा व हताशा एक विस्फोटक का कार्य करती है; समय आने पर यह विस्फोटक संचयन संपूर्ण कुरु वंश के साम्राज्य को ध्वस्त करता है। आखिरी समय में जीवन के कभी खत्म न होने वाले द्वंद्वों तथा संघर्षों से जूझती सत्यवती अपने पुत्र व्यास के सम्मुख समर्पण करती है तथा उसके भीतर राजसत्ता व अधिकारवादिता के विरुद्ध वितृष्णा जन्म ,पाट-तब व्यास उससे कहते हैं ,लेती है-**"मेरी शरण में मत आओ माँ ! मेरे आश्रम में आओ। इस रजोगुणी वातावरण से बाहर निकलो। रजोगुण का बोझ सहने,उसके सुख-दुख के झकोरे सहने की सामर्थ्य अब न तुम्हारे मन में है ,न शरीर में।"**[iv]

सत्यवती का अपने आखिरी समय में अपने कानीन पुत्र व्यास की सात्विक एवं आध्यात्मिक जीवन पद्धति में प्रवेश करना यह संकेत करता प्रतीत होता है कि जीवन की गति स्थूल से सूक्ष्म की ओर होनी अवश्यंभावी है जो आज भी प्रासंगिक है।

इसी क्रम में महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक 'भीष्म' के भीतर के ऐसे गहरे तथ्यों को प्रकट करता है जो आधुनिक मनुष्य के अन्तर्मन की गहरी मनोविश्लेषणवादी व्याख्या करने की क्षमता रखती है। देवव्रत के जीवन की शुरुआत ही अपने माता-पिता के स्नेह से उपेक्षित व्यक्ति के रूप में होती है। आरंभिक पालन-पोषण राजसी महलों में होने के पश्चात उनकी शिक्षा-दीक्षा विभिन्न गुरुओं के आश्रमों में संपन्न हुई। इस समय उनके पिता शांतनु जो अपनी पत्नी वियोग की दशा में राजसी कर्तव्यों से विमुख होते हैं, ने उन्हें पर्याप्त स्नेह एवं वात्सल्य प्रदान नहीं किया।

अत: एक तरफ माता-पिता के आकंठ स्नेह से परिपूर्ण जीवन के अभाव ने तो दूसरी ओर विभिन्न ऋषियों के आश्रमों की कठोर साधना पद्धतियों, शास्त्र अध्ययन तथा शस्त्र प्रचालन सम्बन्धित अनुशासनबद्ध दिनचर्या ने देवव्रत के संयमित व अनुशासित जीवन की नींव रख दी। आगे चलकर अपनी शिक्षा-दीक्षा की पूर्णता के बाद युवराज की जिम्मेदारी के अतिरिक्त राजकीय बोझ ने उन्हें अधिक कठोर बना दिया, क्योंकि शांतनु तो अपने असंयत

कामावेग के असंतुलन से जूझ रहे थे। जिस समय देवव्रत का वय विवाह योग्य हो चुका था उस समय शांतनु को सत्यवती के आकर्षण ने बांध दिया था। देवव्रत ने पिता को मानसिक अवसाद की स्थिति से उबारने हेतु सत्यवती के पिता को ऐसा कठोर वचन दिया कि उसके बाद महाभारत के अंत तक धर्म की व्याख्या के नाम पर भीष्म का जीवन कई झंझावातों को झेलता रहा। अपनी गृहस्थी का बलिदान करने वाले भीष्म अपने धर्म की परिभाषा को सत्य मानकर एकपक्षीय रूप में अपने जीवन के सभी निर्णय लेते गए यथा-अम्बा, अम्बिका व अम्बालिका का हरण तो किया किंतु उन्हें निर्वीर्य विचित्रवीर्य को सौंपकर उनका जीवन नरक के समान बना दिया। पांडु-कुंती के वैवाहिक संबंधों की स्थिति समझे बिना शारीरिक संसर्ग में अक्षम पान्डु को माद्री जैसे तेजस्वी व कमनीय स्त्री भी उपलब्ध करा दी। इतना ही नहीं पांडवों के साथ हो रहे अत्याचार, उनकी हत्या के प्रयास, राज्य विभाजन में हो रहे अन्याय तथा कुरुवंश की पुत्रवधू द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का जघन्य अपराध इत्यादि सभी घटनाओं में भीष्म 'धर्म' की अपनी रूढ़िवादी दृष्टि अभिव्यक्त करते रहे। रही-सही कसर महाभारत के संग्राम में कौरवों का पक्ष लेकर पूर्ण हुई।

इस प्रकार भीष्म का चरित्र ऐसा प्रतीक है जिसने कुछ रूढ़िवादी सिद्धांतों को सत्य मानकर उनमें समय व परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करने की क्षमता खो दी है तथा वह उन्हें ही कालजयी मानकर एक गहरे अंतर्द्वंद्व का शिकार रहे। 'महासमर' उपन्यास में युधिष्ठिर-विदुर के संवाद के माध्यम से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है, जिसमें विदुर कहते हैं कि-**"यह तो तुम जानते ही हो कि वे अत्यंत सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं और यह भी जानते हो कि उनका पालन-पोषण हमसे भिन्न वातावरण में हुआ है जो सिद्धांत व संस्कार उनको उस समय दिए गए, उन पर उनकी आस्था रूढ़िवादिता किस सीमा तक की है। वे मानते हैं कि सिद्धांत ही धर्म की अंतिम व्याख्या है। इसलिए वे उनके विरुद्ध न कुछ सुनने को प्रस्तुत हैं, न उनमें कोई परिवर्तन करने को।"**[v]

एक तरफ भीष्म अपनी रूढ़िवादी विचारधारा से उपजी धर्म की व्याख्या को अंतिम सत्य मानते रहे तो वहीं महाभारत के सर्वोत्तम पात्रों में कृष्ण ने अपने जीवन-कर्मों से धर्म का व्यावहारिक स्वरूप प्रस्तुत किया। महाभारत की सम्पूर्ण कथा में कृष्ण के विविध स्वरूप इस प्रकार दिखाए जाते हैं कि आज भी सामान्य जनमानस के हृदय में श्रीकृष्ण ईश्वर के 'संपूर्ण अवतार' के रूप में विद्यमान हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कृष्ण नेतृत्व क्षमता, उनकी कूटनीति, राजनीति, सक्षम योद्धा, एक अनासक्त योगी तथा प्रबंधन कौशल से युक्त एक दूरदृष्टि युक्त सजग व्यक्ति के रूप में वंदनीय हैं। विवेच्य रचनाकार ने 'महासमर' उपन्यास में कृष्ण के साधारण गोपाल से श्रीकृष्ण बनने की प्रामाणिक यात्रा का अप्रतिम वर्णन किया है, जिससे आधुनिक समय में उनके व्यक्तित्व का समतुल्य रूपांतरण प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए रूपांतरकारी हो सकता है।

कृष्ण के जन्म के बाद उनकी शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था गोकुल में एक सामान्य गोप की भांति व्यतीत हुई। गोप-गोपियों तथा राधा के निश्चल व निःस्वार्थ प्रेम ने कृष्ण प्रेम के दायरे को समस्त चराचर जगत तक व्यापक बना दिया। महासमर में भी कृष्ण का उद्धव के माध्यम से इस संबंध में मत प्रकट होता है-**"कृष्ण कहते हैं एक से प्रेम करने के लिए दूसरे से प्रेम न किया जाए यह एकदम आवश्यक नहीं हैं।"**[vi] प्रेम की सार्वकालिक स्थिति का इससे ज्वलंत उदाहरण होना अत्यंत दुष्कर है। इस स्थिति की अभिव्यक्ति कृष्ण के जीवन कृत्यों, निर्णयों तथा तेजस्वी विचारों में देखी जा सकती है।

जनकल्याण व धर्म-राज्य की स्थापना के लिए कंस का वध करना हो या जरासंध-कालयवन के सम्मिलित आक्रमण से मथुरा को नष्ट होने से रोकने की कूटनीतिक चाल उनकी प्रजा-प्रेम के ही उदाहरण हैं। जरासंध वध के

लिए कृष्ण का अपने साथ अर्जुन व भीम (मध्यम) को साथ ले आने के लिए युधिष्ठिर से अनुमति लेना ठीक वैसा ही है जैसे आज के योद्धा राष्ट्रनायक शत्रु-सीमा में घुसकर मिशन पूर्ण कर सुरक्षित लौटकर आते हैं। युद्ध क्षेत्र के अतिरिक्त कृष्ण ने धर्म-राज्य के अपने सपने को साकार करने के लिए धर्म की किसी भी रूढ़िवादी दृष्टि का समर्थन नहीं किया अपितु अपनी बुद्धि, विवेक व सूझबूझ से परिस्थतियों के अनुसार निर्णय लिया तथा निर्णय की एकमात्र कसौटी 'धर्म' था। 'महासमर' उपन्यास में दूसरे भाग 'अधिकार' में कृष्ण का प्रवेश होता है तथा तब से लेकर आठवें भाग 'निर्बंध' तक वे एक उदात्त मानव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ऐसा उदात्त मानव जो धर्म-स्थापना के लिए इस स्तर तक प्रतिबद्ध है कि धर्म के सम्मुख अपना परिवार, नाते-रिश्तेदार मायने नहीं रखते या उस सीमा तक ही मायने रखते हैं जब तक सभी धर्म के पक्षधर हैं। उनकी धर्म की परिभाषा में कोई 'बंधन' नहीं है। 'महासमर' उपन्यास में एक स्थान पर कृष्ण का कथन है- कि **"धर्म किसी को बांधता नहीं, वह मुक्त करता है व जीवन में अवसाद नहीं अपितु उत्सव लाता है।"**[vii]

धर्म-राज्य की स्थापना के साथ-साथ आज के समय में कृष्ण के विचारों के तेजस की कई समस्याओं यथा-गरीबी, भुखमरी, लैंगिक-दुराग्रह, महिला असुरक्षा इत्यादि के समाधान की राह दिखा सकता है। कृष्ण के सुझावों तथा सहायता से पांडवों के द्वारा खांडवप्रस्थ का इंद्रप्रस्थ के रूप में रूपांतरण संभव हो पाया तथा लोक-कल्याण की भावना सुदृढ़ हुई। 'महासमर' में कृष्ण का मत है -कि **"सुशासन ना हो तो वर्षा जल-प्लावन बन जाती है, गोरस बच्चों के उदर में जाने के स्थान पर रानियों के स्नान-सरोवर में पहुँच जाता है और अन्न पककर प्रजा का खाद्य बनने के स्थान पर पकने से पहले ही पशुओं का चारा बन जाता है।"**[viii]

समग्र रूप से श्रीकृष्ण के जीवन-दर्शन तथा उनके विचारों के माध्यम से आज के समाज को राजनीति, कूटनीति, अर्थव्यवस्था, लोककल्याण तथा आध्यात्मिकता को समझने की एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है। आज भी भागवत कथाओं में श्रीकृष्ण के इसी स्वरूप की वंदना की जाती है, यहाँ तक कि प्रबंधन और कौशल-विन्यास में श्रीकृष्ण द्वारा प्रदत्त उपदेशों से न केवल भारतीय अर्पित वैश्विक पटल पर भी शिक्षा तंत्र लाभान्वित हो रहा है।

महाभारत की एक अन्य प्रमुख स्त्री पात्र 'कुंती' का स्थान 'महासमर' उपन्यास में सभी पाठकों के साथ आत्मनिष्ठ वैशिष्ट्य धारण करता है। कुंती के जीवन की पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात किए बिना उनके व्यक्तित्व में समतुल्य रूपांतरण की संभावना टटोलना अत्यंत कठिन है। कुंती के जीवन की समग्र परिस्थितियाँ देखें तो जन्म कहीं हुआ, पालन-पोषण कहीं ओर व किशोरावस्था में दुर्वासा से प्राप्त मंत्रणा से उत्पन्न पुत्र कर्ण का त्याग करना पड़ा। तत्पश्चात पांडु जैसा उपेक्षा करने वाला पति मिला, नियोग प्रथा के तहत पांडवों का जन्म तो हुआ किंतु सम्राट पांडु की मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर के राजप्रासाद में सुविधाओं-रहित जीवन मिला तथा महाभारत के युद्ध तक पाण्डवों को जो कुछ अन्याय तथा अपमान सहना पड़ा, उसका एक-एक कण कुन्ती को प्रभावित करता है। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति टूट सकता है, किसी का भी विश्वास डगमगा सकता है तथा कोई भी प्रतिहिंसा की संचित भावना का शिकार हो सकता है। लेकिन कुंती अपने जाग्रत विवेक, अनासक्त व निर्लिप्त भाव तथा साहसपूर्ण जिजीविषा के दम पर जीवन को समग्रता में जीती रही व आज के समय की स्त्रियों के लिए जीवनदृष्टि की समादृत विरासत छोड़ गई है। कोहली जी का भी मत है कि-**"कुंती के जीवन का जो गौरवपूर्ण पक्ष है, वह उसकी सफलता नहीं, उसकी कटुता-शून्यता, प्रतिहिंसा का अभाव, प्रतिशोध का निषेध, दया, करुणा, परदुख-कातरता, उदारता तथा धर्म पर अडिग रहना है।"**[ix]

कुंती के समान ही महाभारत की कथा को रोचक मोड़ प्रदान करने में द्रौपदी का भी अद्वितीय स्थान है। कोहली जी ने 'महासमर' उपन्यास की वैचारिक-भावभूमि को आधार बनाकर द्रौपदी के चरित्र की जो तार्किक विवेचना की है, वह आज के समय की स्त्रियों की जीवन यात्रा का किसी-न-किसी स्वरूप में समतुल्य रुपांतरण जान पड़ता है। जन्म से ही द्रुपद ने अपनी पुत्री को द्रोण से प्रतिशोध लेने हेतु अग्नि-दीक्षा का प्रबंध किया। द्रौपदी ने अपने पिता की प्रतिशोध की हिंसा की अग्नि को यज्ञाग्नि में बदलने का सुझाव व सहयोग देने का उपक्रम किया। द्रौपदी का विवाह के योग्य वय हो जाने पर द्रुपद की नजर में जामाता के रूप में 'कृष्ण' का व्यक्तित्व उभरता है। द्रुपद अपनी प्रतिहिंसा की आग में कृष्ण को अपना जामाता बनाकर इस आग को शांत करना चाहते थे। किंतु द्रौपदी कृष्ण के प्रति अपने सख्यभाव को पूर्ण प्रेम के रूप में परिणत नहीं होने देती क्योंकि वह अपने प्रिय सखा को अपने पिता की प्रतिहिंसाग्नि का उपकरण नहीं बनाना चाहती थी। यह द्रौपदी की उदात्त प्रेम भावना ही है जिसे वह अपनी 'सखी' के साथ वार्तालाप में भी अभिव्यक्त करती है -**"त्यागने की बात किसने कही, मैं उसकी सखी हूँ और सखी ही रहूँगी। सम्पूर्ण आर्यावर्त के हृदय में स्पंदित अपने सखा को एक व्यक्ति की प्रतिहिंसा का उपकरण नहीं बनने दूँगी। उसकी सखी हूँ, उसके जीवन को उदात्त धरातल तक नहीं ले जा सकती, उसे हीनतर धरातल पर तो नहीं ही खींचूँगी।"**[xx]

प्रेम का यह उदात्त स्वरूप समकालीन समय में अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि वास्तविक प्रेम आज संकीर्ण तथा स्वार्थपूर्ण दायरों में बंधकर मनुष्यता को अवमूल्यन की ओर अग्रसर करता प्रतीत होता है।

कालांतर में महाभारत की कथा का वह भयानक मोड़ आता है जब एक स्त्री की विवशता को सम्पूर्ण समाज के सम्मुख त्रासदी में बदलने का दुस्साहस किया जाता है। कौरवों द्वारा द्यूत सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास मानवता पर ऐसा कलंक है जो आज भी निर्भया जैसी बेटियों के खिलाफ हो रहे अपराधों के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है। इस भयावह और कष्टदायी स्थिति में भी द्रौपदी अपने पथ पर अडिग बनी रही। पतियों की विवशता को समझकर अपने आत्मसम्मान का दायित्व उठाकर द्रौपदी ने तार्किक व विवेकशील दृष्टिकोण के माध्यम से उस अधर्मयुक्त, द्यूत सभा में न केवल स्वयं को अपितु सभी पाण्डवों को दासमुक्त करवाने में सफलता प्राप्त की तथा महाभारत की कथा को आगे बढ़ाने का सफल प्रयास किया।

महाभारत की मूल कथा पांडवों की जीवन-यात्रा की गाथा है। अपने स्वभाव, शील तथा चारित्रिक वैशिष्ट्य के चलते पांडवों के चरित्र हर भारतीय के हृदय में आदरणीय स्थान रखते हैं। कोहली जी ने भी 'महासमर' उपन्यास में पाण्डवों के व्यक्तित्व का तटस्थ विश्लेषण प्रस्तुत किया है। जन्म से लेकर महाभारत के युद्ध तक जो अन्याय, अपमान, बहिष्कार तथा पीड़ा का दंश पांडवों ने झेला है, वह मनुष्यता पर विश्वास की समाप्ति का माध्यम बन सकता था। किंतु पांडवों के उदात्त एवं सहिष्णु विचारों ने युधिष्ठिर के नेतृत्व में धर्मतः मानवीय मूल्यों में अडिग विश्वास रखने का सामर्थ्य दिखाया है। कौरवों की तरफ से खुला विरोध, अपमान, हत्या का प्रयास, द्रौपदी के शील को भंग करने का दुस्साहस, राज्य हड़पने सहित अनगिनत घटनाएँ हैं जिससे कोई भी प्रतिहिंसा की भयावह अग्नि में झुलस सकता है। सामान्य मानवीय मनोविज्ञान तो ऐसी परिस्थितियों में विस्फोटक प्रतिक्रिया की वकालत करता है। परन्तु पांडवों ने ऐसी किसी भी प्रतिक्रिया का समर्थन नहीं किया वरन उन्होंने तो मनुष्य के नैसर्गिक सद्गुणों में इतना दृढ़ विश्वास बनाए रखा कि यह अत्यंत काल्पनिक आदर्श प्रतीत होता है।

यद्यपि पांडवों के विशेषतः युधिष्ठिर के 'धर्म' की व्याख्या की आलोचना की जा सकती है कि अधर्मियों द्वारा द्यूत सभा में जब खुलेआम 'धर्म' का नाश किया जा रहा था, उस समय पांडवों के हाथ किस धर्म ने बांधे थे ?

और क्या उस समय पत्नी के सम्मान की रक्षा का धर्म उनकी धर्म की परिभाषा के दायरे में नहीं था ? इन प्रश्नों के उत्तर ढूँढने अत्यंत कठिन हैं किंतु परिस्थितियों का समग्रतापूर्वक अवलोकन करने पर पांडवों की चारित्रिक उदात्तता का ही बोध होता है। कोहली जी का मत भी इसकी पुष्टि करता है :.....**"चूंकि हमारी कल्पना का मानव साधारण, सामान्य तथा बौना है। इसलिए हम महान चरित्रों के कृत्यों को समझने की क्षमता भी खोते जा रहे हैं और परिणामतः उन्हें या तो असंभव मान बैठे हैं या भयंकर मूर्ख। इसलिए हम उनका आदर भी नहीं कर पाते।"**[xi]

महाभारत के नायक यदि पाण्डव हैं तो उनका नायकत्व कौरवों के खलनायकत्व के बिना अधूरा है। **किंतु 'महासमर' में कोहली जी ने 'नायक-खलनायक' के स्थापित मानदंडों का अतिक्रमण कर आधुनिक मानव मन तथा प्रत्येक पाठक के भीतर इसके द्वन्द्व को उभारने का सारगर्भित प्रयास किया है।** कौरवों की मानसिकता को समझने पर यह स्पष्ट होता है कि हस्तिनापुर राज्य पर उनका पक्ष पूर्णतः दुर्बल नहीं था। धृतराष्ट्र की जन्मांधता के कारण वह शासन के लिए अयोग्य माना गया, किंतु उसकी इस अपंगता ने उसके उत्तराधिकारियों को भी राज्य अधिकार से वंचित कर दिया। 'महासमर' उपन्यास में कौरवों की इसी कुंठा के परिणामस्वरूप पांडवों को अन्याय व अपमान सहना पड़ा। वास्तविक अर्थों में कौरवों में सत्ता छूटने का भय इस हद तक व्याप्त था कि सुयोधन तथा सुशासन क्रमशः दुर्योधन तथा दुःशासन में रूपांतरित हो जाते हैं। कौरवों में व्याप्त दूषित मानसिकता, ईर्ष्या-द्वेष, प्रतिहिंसा तथा कटुता इत्यादि दुर्गुणों का समावेश इसी रूपांतरण को प्रतिबिंबित करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के भीतर दुर्गुण और सगुणों की संभावना विद्यमान होती हैं यद्यपि उनकी मात्रा और तीव्रता में अंतर होता है। इस दृष्टि से विवेच्य रचनाकार का भी मत स्पष्ट जान पड़ता है-**"हमें आज अपना युग कितना भी भिन्न क्यों न प्रतीत होता हो; किंतु प्रकृति के नियम और मनुष्य का स्वभाव आज भी वही है। हम त्रिगुणात्मक प्रकृति के तमोगुण और रजोगुण से मुक्त नहीं हुए हैं।"**[xii]

इस प्रकार 'महाभारत' के पात्रों को आधार बनाकर नरेंद्र कोहली ने 'महासमर' उपन्यास में उनके समतुल्य रूपांतरण की वह अनुगूँज प्रतिबिंबित की है कि एक तरफ यह महाभारत की प्रसिद्ध सूक्ति 'यन्न भारते तन्न भारते' अर्थात जो महाभारत में नहीं है, वह भारत में नहीं है; की सार्थकता को प्रमाणित करता है, वहीं दूसरी ओर समतुल्य रूपांतरण की सूक्ष्म भावना के अनुरूप महाभारत के प्रत्येक पात्र के अंतर्द्वन्दों को प्रत्येक पाठक के भीतर उपस्थित करा देने का उत्कर्ष किया है। यही इसकी प्रासंगिकता के सूत्रों की सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

i. कोहली, नरेंद्र : आनुषंगिक, वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली , प्रकाशन वर्ष-2008, पृष्ठ संख्या 229
ii. कोहली, नरेंद्र :बंधन, वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली , प्रकाशन वर्ष-1988 ,पृष्ठ संख्या 71
iii. कोहली , नरेंद्र :बंधन , वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली , प्रकाशन वर्ष-1988 , पृष्ठ संख्या 81
iv. कोहली , नरेंद्र : बंधन, वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली , प्रकाशन वर्ष-1988 , पृष्ठ संख्या 465
v. कोहली , नरेंद्र : अधिकार , वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली , प्रकाशन वर्ष-1990 ,पृष्ठ संख्या 316
vi. कोहली , नरेंद्र : अधिकार , वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली , प्रकाशन वर्ष-1990 , पृष्ठ संख्या 339
vii. कोहली , नरेंद्र : निर्बंध, वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली , प्रकाशन वर्ष-2000 , पृष्ठ संख्या 528
viii. कोहली , नरेंद्र : धर्म , वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली , प्रकाशन वर्ष-1993 , पृष्ठ संख्या 217
ix. कोहली , नरेंद्र : आनुषंगिक , वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली , प्रकाशन वर्ष-2008 , पृष्ठ संख्या 51
x. कोहली , नरेंद्र : अधिकार , वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली , प्रकाशन वर्ष-1990 , पृष्ठ संख्या 357

xi. कोहली , नरेंद्र : आनुषंगिक , वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली , प्रकाशन वर्ष-2008 , पृष्ठ संख्या 207
xii. कोहली , नरेंद्र : आनुषंगिक , वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली , प्रकाशन वर्ष-2008 , पृष्ठ संख्या 248

जून 2022 से जून 2023 तक आयोग की गतिविधियाँ - एक रिपोर्ट

सुश्री. मर्सी ललरोहलू हमार
सहायक निदेशक (विषय), वै.त.श.आयोग

सार:

इस लेख में विज्ञान विषयों के क्षेत्र में आयोग द्वारा किए गए विभिन्न बैठकों, संगोष्ठियों व प्रदर्शनियों का अध्ययन किया गया है । इसके माध्यम से आयोग द्वारा आयोजित विविध कार्यक्रमों का अध्ययन किया गया है। आयोग द्वारा कार्यक्रम किन क्षेत्रों में आयोजित किए गए व कार्यक्रमों में महिलाओं की प्रतिभागिता का भी अध्ययन किया गया है। साथ ही लेख हेतु संकलित दत्त (दत्त) से उत्पन्न विचार व सुझाओं को भी लेखिका ने समायोजित किया है। इस लेख के माध्यम से पाठक आयोग के कार्यक्रम के विस्तृत रूप को जान पाएंगे साथ ही आयोग के कार्य में बाधा लाने वाले कारकों को भी समझ पाएंगे।

1.परिचय:

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना सभी भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली विकसित करने के उद्देश्य से, 1 अक्टूबर 1961 को राष्ट्रपति के आदेश दिनांक 27 अप्रैल, 1960 को भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय) के एक संकल्प के माध्यम से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के प्रावधानों के अनुरूप गठित समिति के सुझाओं/प्रावधानों, सस्तुयिओं के अनुसार की गई थी। आयोग की स्थापना सभी भारतीय भाषाओं में मानकीकृत तकनीकी शब्दावली विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी।

अपनी स्थापना से 2022 तक आयोग ने लगभग 300 प्रकाशनों को प्रकाशित किया है । आयोग द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों के लगभग 30 लाख पर्याय भारतीय भाषाओं में तैयार किए गए हैं। इन प्रकाशनों में शब्द-संग्रह, मूलभूत शब्दावली, परिभाषा कोश, आदि सम्मिलित हैं।

सभी भारतीय भाषाओं की शब्दावली के विकास के उद्देश्य से महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने एक समिति की संस्तुति के आधार पर, 27 अप्रैल, 1960 को एक स्थायी आयोग के गठन का आदेश दिया। इसके आदेश का अनुसरण कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के उपबंधों के अधीन, दिनांक 1 अक्टूबर, 1961 को भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए एकमात्र आयोग ही भारत सरकार द्वारा अधिकृत है।

वर्तमान में वै.त.श.आयोग (CSTT), उच्चत्तर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

आयोग विभिन्न विषयों में शब्दावली निर्माण हेतु बैठक व प्रचार-प्रसार हेतु कार्यक्रमों का आयोजन, पूरे देश के विभिन्न संस्थाओं के संयुक्त तत्त्वाधान में करता है।

इस लेख में जून 2022 से जून 2023 तक के अंतराल में आयोग द्वारा विज्ञान, अभियांत्रिकी (इंजीनियरी), आयुर्विज्ञान व कृषि विज्ञान के विषयों में किए गए कार्यक्रमों को संकलित किया गया, साथ ही यादृच्छिक 50 कार्यक्रमों का विस्तार से अध्ययन किया गया है।

1. **शोध/अनुसंधान क्रियाविधि:**

निम्नलिखित चरणों में अध्ययन कार्य को पूर्ण किया गया :-

i. लेख का स्वरूप तय करने से पूर्व अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अध्ययन के लिए नियत कालावधि जून 2022 से जून 2023 तक निर्धारित की गई ।
ii. जून 2022 से जून 2023 तक आयोग द्वारा आयोजित विज्ञान व संबंधित विषयों की बैठकों, संगोष्ठियों व प्रदर्शनियों आदि से संबंधित सूचना एकत्रित करने हेतु लेखा अनुभाग, आयोग के ट्विटर व फेसबुक पेज का संदर्भ लिया गया।
iii. एकत्रित दत्त से सभी कार्यक्रमों की क्रमबद्ध सूची तैयार की गई।
iv. एकत्रित दत्त से दत्त-सारणी तैयार की गई ।
v. दत्त की सहायता से विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया।
vi. एकत्रित दत्त व अपने अध्ययन के माध्यम से निष्कर्ष तैयार किए गए व अपने विचार/सिफारिश भी व्यक्त किए गए।

2. **दत्त:**

3.1 : जून 2022 से जून 2023 तक के अंतराल में आयोग द्वारा विज्ञान, अभियांत्रिकी (इंजीनियरी), आयुर्विज्ञान व कृषि विज्ञान के विषयों में किए गए कार्यक्रमों की सूची:-

क्र.सं.	से	तक	भाषा	क्षेत्र	शीर्षक	TYPE
1	23.06.22		हिंदी	नई दिल्ली	आयोग द्वारा दिनांक 23.6.2022 को आयोग के परिसर में MoE के नवनियुक्त सहायक अनुभाग अधिकारियों (ASOs) को तकनीकी शब्दावली संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।	प्रशिक्षण कार्यक्रम
2	04.07.22		हिंदी	नई दिल्ली	दिनांक 4.7.22 को भारतीय भाषा समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन	प्रशिक्षण कार्यक्रम

					किया गया। बैठक में आयोग के अध्यक्ष प्रो. गिरीश नाथ झा के द्वारा आयोग के वर्त्तमान और आगामी योजनों पर PPT के माध्यम से चर्चा की गई जिसमें विशेष रूप से "शब्दशाला" के संदर्भ में विभिन्न पहलुओं पर भी विचार मंथन किया गया ।	
3	12.07.22	16.07.22	असमिया	जोरहाट	इंजीनियरिंग विषय की असमिया शब्दावली निर्माण के लिए दिनांक 12-16 जुलाई 2022 तक जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठक का आयोजन।	बैठक
4	18.07.22		हिंदी	नई दिल्ली	जे.एन.यू.के श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा आयोग के सभी तकनीकी अधिकारियों को भारतीय भाषा में टंकण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 18 जुलाई 2022 को संपन्न।	प्रशिक्षण कार्यक्रम
5	18.07.22	22.07.22	हिंदी	नई दिल्ली	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा दिनांक 18 -22 जुलाई, 2022 तक आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक में शिक्षा शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) के हिंदी पर्यायों को अंतिम रूप दिया गया है।	बैठक
6	27.07.22	28.07.22	हिंदी	बेंगलूर	इंजीनियरी एवं प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी शब्दावली का प्रयोग	प्रशिक्षण कार्यक्रम
7	16.08.22	20.08.22	तमिल	आभासीय	रसायन मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-तमिल)	आभासीय
8	22.08.22	26.08.22	हिंदी	नई दिल्ली	बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह (आयुर्वेद)	बैठक
9	29.08.22	02.09.22	गुजरती	गुजरात	भौतिकी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-गुजराती)	बैठक
10	29.08.22	30.08.22	हिंदी	देहरादून	गुणवत्ता और नवीन अनुसंधान शिक्षा में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली की भूमिका: एनईपी 2020 के परिप्रेक्ष्य में	संगोष्ठी
11	14.09.22	15.09.22		सूरत	हिंदी दिवस व दूसरी अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलेन वर्ष 2022 में पुस्तक मेला	प्रदर्शनी

12	19.09.22	22.09.22	संथाली	झारखंड	कृषि मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-संथाली)	बैठक
13	22.09.22		हिंदी	नई दिल्ली	वै.त.श.आयोग व केंद्रीय हिंदी निदेशालय के संयुक्त तत्त्वाधान में दिनांक 22.09.2022 को "राजभाषा कार्यान्वयन व हिंदी की विकास यात्रा" शीर्षक एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया I	कार्यशाला
14	07.10.22	10.10.22	मराठी	महाराष्ट्र	पर्यावरणविज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-मराठी)	बैठक
15	10.10.22	14.10.22	हिंदी	नई दिल्ली	गणित परिभाषा कोश	बैठक
16	17.10.22	19.10.22	गुजराती	आभासीय	रसायन मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-गुजराती)	आभासीय
17	18.10.22	19.10.22	हिंदी	नई दिल्ली	हिंदी शब्द कोश विषयक दो दिवसीय तकनीकी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 18-19 अक्टूबर 2022 संपन्न I	कार्यशाला
18	28.10.22	06.11.22		भुवनेश्वर	कलिंगा पुस्तक मेला	प्रदर्शनी
19	10.11.22	12.11.22		नई दिल्ली	भारतीय भाषा एवं संस्कृति केंद्र द्वारा 39 वें अखिल भारतीय राजभाषा प्रशिक्षण शिविर में तीन दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी	प्रदर्शनी
20	11.11.22	21.11.22		पटना	राष्ट्रीय पुस्तक मेला	प्रदर्शनी
21	21.11.22	25.11.22	कन्नड़	कर्नाटक	त्रिभाषा इंजीनियरी शब्दावली(अंग्रेजी-हिंदी-कन्नड़) विषयक 5 दिवसीय बैठक का आयोजन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT) द्वारा एम.आई.टी, कुंडापुरा, कर्नाटक में दिनांक 21 से 25 नवंबर 2022 तक किया जा रहा है।	बैठक
22	21.11.23	25.11.23	गुजराती	गुजरात	शब्दावली आयोग के द्वारा त्रिभाषा बृहत् इंजीनियरी पारिभाषिक शब्द-संग्रह के गुजराती संस्करण की पांच दिवसीय समीक्षा बैठक गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय अहमदाबाद में 21 से 25 नवंबर 2022 तक आयोजित की गई।	बैठक
23	24.11.22	25.11.22	मराठी	औरंगाबाद	राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020- माहिती शास्त्र व पुस्तकालयांचे महत्त्व व मराठी शब्दावली ची भूमिका	संगोष्ठी

24	28.11.22	30.11.22	मणिपुरी	मणिपुर	भूविज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-मणिपुरी)	बैठक
25	29.11.22	30.11.22	हिंदी	पंजाब	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का कार्यान्वयन एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली की भूमिका	संगोष्ठी
26	01.12.22	02.12.22	हिंदी	अलीगढ़	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली का महत्त्व	संगोष्ठी
27	13.12.22		हिंदी	आभासीय	आयोग द्वारा दिनांक 13 दिसंबर को हिंदी माध्यम से आभासीय वेब-गोष्ठी आयोजित की गई ।	वेब-गोष्ठी
28	14.12.22		अंग्रेजी	आभासीय	आयोग द्वारा दिनांक 14 दिसंबर को अंग्रेजी माध्यम से आभासीय वेब-गोष्ठी आयोजित की गई।	वेब-गोष्ठी
29	19.12.22	23.12.23	मैथिली	नई दिल्ली	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी शब्द संग्रह (अंग्रेजी-हिन्दी-मैथिली) के निर्माण हेतु विशेषज्ञ सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 19 से 23 दिसंबर 2022 तक किया गया ।	बैठक
30	19.12.22	23.12.22	हिंदी	नई दिल्ली	रसायन परिभाषा कोश	बैठक
31	20.12.22	22.12.22	हिंदी	ओडिशा	फार्मेसी शब्दावली (अंग्रेजी-ओडिया): नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार	संगोष्ठी
32	16.01.23	20.01.23	बांग्ला	कोलकाता	गणित मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-बांग्ला)	बैठक
33	16.01.23	20.01.23	गुजराती	अहमदाबाद	भौतिकी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-गुजराती)	बैठक
34	23.01.23	28.01.23	तमिल	तमिलनाडु	रसायन मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-तमिल)	बैठक
35	23.01.23	28.01.23	तमिल	तमिलनाडु	भौतिकी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-तमिल)	बैठक
36	30.01.23	03.02.23	कन्नड़	कर्नाटक	त्रिभाषा इंजीनियरी शब्दावली(अंग्रेजी-हिंदी-कन्नड़) विषयक 5 दिवसीय बैठक का आयोजन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT) द्वारा	बैठक

					आर.वी.कॉलेज ऑफ इंजीनियरी , कर्नाटक में दिनांक जनवरी 30-फरवरी 3, 2023 तक किया गया।	
37	13.02.23	16.02.23	अंग्रेजी	नई दिल्ली	प्राथमिक शिक्षार्थी कोश तकनीकी शब्द चयन	बैठक
38	13.02.23	16.02.23	अंग्रेजी	नई दिल्ली	प्राथमिक शिक्षार्थी कोश तकनीकी शब्द चयन	बैठक
39	21.02.23		हिंदी	नई दिल्ली	आयोग द्वारा 21 फरवरी 2023 को मातृभाषा कार्यशाला का आयोजन आयोग के परिसर में किया गया	कार्यशाला
40	25.02.23	05.03.23		नई दिल्ली	नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला प्रदर्शनी	प्रदर्शनी
41	27.02.23		हिंदी	नई दिल्ली	विश्व पुस्तक मेला	प्रदर्शनी
42	27.02.23	02.03.23	अंग्रेजी	नई दिल्ली	माध्यमिक शिक्षार्थी कोश तकनीकी शब्द चयन	बैठक
43	27.02.23	02.03.23	अंग्रेजी	नई दिल्ली	माध्यमिक शिक्षार्थी कोश तकनीकी शब्द चयन	बैठक
44	27.02.23	03.03.23	हिंदी	नई दिल्ली	गणितीय परिभाषा कोश	बैठक
45	10.03.23	11.03.23	पंजाबी	पंजाब	पंजाबी में तकनीकी शिक्षा और तकनीकी शब्दावली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन	संगोष्ठी
46	20.03.23	24.03.23	कोंकणी	गोवा	वै.त.श.आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गोवा बिज़नस स्कूल, गोवा वि.वि., गोवा में मूलभूत इलेक्ट्रॉनिक्स शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-कोंकणी) निर्माण हेतु 20-24 मार्च 2023 तक पांच दिवसीय बैठक आयोजित की गई।	बैठक
47	27.03.23	29.03.23	हिंदी	गुजरात	प्राचीन आयुर्वेद संहिता के शिक्षण, अनुसंधान और विकास के संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य में आयुर्वेदिक शब्दावली की प्रगति और संभावना	संगोष्ठी
48	03.04.23	06.04.23	गुजराती	आभासीय	रसायन मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-गुजराती)	आभासीय
49	17.04.23	21.04.23	कन्नड़	कर्नाटक	त्रिभाषा इंजीनियरी शब्दावली(अंग्रेजी-हिंदी-कन्नड़) विषयक 5 दिवसीय बैठक का आयोजन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT) द्वारा के.एल.एस. , VDIT, हलियाल उत्तरा	बैठक

					कन्नड़, कर्नाटक में दिनांक 17 से 21 अप्रैल , 2023 तक किया गया।	
50	17.04.23	21.04.23	कोंकणी	मीरामार	प्राणिविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-कोंकणी)	बैठक
51	17.04.23	21.04.23	कोंकणी	मीरामार	वनस्पतिविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-कोंकणी)	बैठक
52	17.04.23	21.04.23	कोंकणी	मीरामार	रसायन शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-कोंकणी)	बैठक
53	17.04.23	21.04.23	संस्कृत	नई दिल्ली	कृषि विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-संस्कृत)	बैठक
54	24.04.23	25.04.23	अंग्रेजी	आभासीय	प्राथमिक शिक्षार्थी कोश समीक्षा बैठक	आभासीय
55	27.04.23	28.04.23	हिंदी	पालमपुर	कृषि विज्ञान संगोष्ठी	संगोष्ठी
56	08.05.23	12.05.23	संस्कृत	नई दिल्ली	वनस्पति विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-संस्कृत)	बैठक
57	08.05.23	12.05.23	बांग्ला	कोलकाता	गणित मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-बांग्ला)	बैठक
58	08.05.23	12.05.23	संस्कृत	नई दिल्ली	प्राथमिक शिक्षार्थी कोश (संस्कृत)	बैठक
59	10.05.23	12.05.23	संस्कृत	आभासीय	प्राथमिक शिक्षार्थी कोश (संस्कृत)	आभासीय
60	11.05.23	15.05.23	संथाली	रांची	भौतिकी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-संथाली)	बैठक
61	15.05.23			नई दिल्ली	भाषा शब्दावली और संस्कृति	संगोष्ठी
62	18.05.23	19.05.23	हिंदी	बिहार	भारतीय भाषा, तकनीकी शब्दावली और उच्च शिक्षा	संगोष्ठी
63	29.05.23	02.06.23	संथाली	झारखंड	प्राणिविज्ञान शब्द-संग्रह (संथाली)	बैठक
64	29.05.23	02.06.23	गुजराती	सूरत	रसायन मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-गुजराती)	बैठक
65	29.05.23	02.06.23	संथाली	झारखंड	कृषि मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-संथाली)	बैठक
66	29.05.23	02.06.23	गुजराती	सूरत	प्राथमिक शिक्षार्थी कोश (गुजराती)	बैठक
67	29.05.23	02.06.23	गुजराती	अहमदाबाद	भौतिकी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-गुजराती)	बैठक
68	12.06.23	16.06.23	कोंकणी	गोवा	वै.त.श.आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गोवा अभियांत्रिकी म.वि, गोवा में मूलभूत इलेक्ट्रॉनिक्स शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-कोंकणी) निर्माण हेतु 12-16 जून 2023 तक पांच दिवसीय समीक्षा बैठक आयोजित की।	बैठक

69	12.06.23	16.06.23	संस्कृत	नई दिल्ली	वै.त.श.आयोग के परिसर में वनस्पतिविज्ञान की मूलभूत शब्दावली संस्कृत भाषा में तैयार करने संबंधी बैठक का आयोजन 12-16 जून 2023 तक	बैठक
70	13.06.23	17.06.23	पंजाबी	पंजाब	आयोग द्वारा दिनांक 13-17 जून 2023 तक इलेक्ट्रोनिकी विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, पंजाब में त्रिभाषा इंजीनियरी बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह (अंग्रेजी- हिंदी-पंजाबी) निर्माण कार्य संबधी बैठक का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया	बैठक

2.2 : जून 2022 से जून 2023 तक के अंतराल में आयोग द्वारा विभिन्न विषयों में किए गए कार्यक्रमों में से यादृच्छिक 50 कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण :

क्र.सं.	से	तक	भाषा	शीर्षक	स्थान	प्रतिभागी	पुरुष	महिला	TYPE
1	27.07.22	28.07.22	हिंदी	इंजीनियरी एवं प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी शब्दावली का प्रयोग	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंजन प्रभाग, बंगलुरु	107	63	44	प्रशिक्षण कार्यक्रम
2	16.08.22	20.08.22	तमिल	रसायन मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-तमिल)	आभासीय	6	3	3	आभासीय बैठक
3	22.08.22	26.08.22	हिंदी	बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह (आयुर्वेद)	आयोग समिति कक्ष	4	4	0	बैठक
4	29.08.22	02.09.22	गुजरती	भौतिकी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-गुजराती)	भौतिकी विभाग, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	10	8	2	बैठक
5	29.08.22	30.08.22	हिंदी	गुणवत्ता और नवीन अनुसंधान शिक्षा में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली की भूमिका: एनईपी	श्री. गुरु राम राय विश्वविद्यालय देहरादून, उत्तराखंड	161	83	78	संगोष्ठी

				2020 के परिप्रेक्ष्य में					
6	14.09.22	15.09.22		हिंदी दिवस व दूसरी अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलेन वर्ष 2022 में पुस्तक मेला	सूरत, गुजरात	NA	NA	NA	प्रदर्शनी
7	19.09.22	22.09.22	संथाली	कृषि मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-संथाली)	संथाल परगना कॉलेज, दुमका, झारखंड	5	3	2	बैठक
8	07.10.22	10.10.22	मराठी	पर्यावरणविज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-मराठी)	आर.डी.आय. के महाविद्यालय, बडनेरा, अमरावती, महाराष्ट्र	8	8	0	बैठक
9	10.10.22	14.10.22	हिंदी	गणित परिभाषा कोश	आयोग समिति कक्ष	8	7	1	बैठक
10	17.10.22	19.10.22	गुजराती	रसायन मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-गुजराती)	आभासीय	5	4	1	आभासीय बैठक
11	28.10.22	06.11.22		कलिंगा पुस्तक मेला	भुवनेश्वर	NA	NA	NA	प्रदर्शनी
12	10.11.22	12.11.22		भारतीय भाषा एवं संस्कृति केंद्र द्वारा 39 वें अखिल भारतीय राजभाषा प्रशिक्षण शिविर में तीन दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी	नई दिल्ली	NA	NA	NA	प्रदर्शनी
13	11.11.22	21.11.22		राष्ट्रीय पुस्तक मेला	पटना, बिहार	NA	NA	NA	प्रदर्शनी
14	24.11.22	25.11.22	मराठी	राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020-माहिती शास्त्र व पुस्तकालयांचे महत्त्व व मराठी	विवेकानंद आर्ट्स सरदार दलिपसिंह कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, औरंगाबाद	116	93	23	संगोष्ठी

				शब्दावली ची भूमिका					
15	28.11.22	30.11.22	मणिपुरी	भूविज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-मणिपुरी)	भूविज्ञान विभाग, इम्फाल कॉलेज, एअरपोर्ट रोड, मणिपुर विश्वविद्यालय	4	3	1	बैठक
16	29.11.22	30.11.22	हिंदी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का कार्यान्वयन एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली की भूमिका	कन्या महाविद्यालय, जलंधर, पंजाब	136	45	91	संगोष्ठी
17	01.12.22	02.12.22	हिंदी	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली का महत्त्व	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	107	88	19	संगोष्ठी
18	19.12.22	23.12.22	हिंदी	रसायन परिभाषा कोश	आयोग समिति कक्ष	5	3	2	बैठक
19	20.12.22	22.12.22	हिंदी	फार्मेसी शब्दावली (अंग्रेजी-ओडिया): नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार	इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल टेकनोलोजी फार्मेसी कॉलेज , पुरी, ओडिशा	100	76	24	संगोष्ठी
20	16.01.23	20.01.23	बांग्ला	गणित मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-बांग्ला)	गणित विभाग, सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	11	9	2	बैठक
21	16.01.23	20.01.23	गुजराती	भौतिकी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-गुजराती)	भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला	7	7	0	बैठक

22	23.01.23	28.01.23	तमिल	रसायन मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-तमिल)	SA कॉलेज ऑफ़ आर्ट्स एंड साइंस, पूनमल्ली , आवडी, तमिलनाडु	6	2	4	बैठक
23	23.01.23	28.01.23	तमिल	भौतिकी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-तमिल)	SA कॉलेज ऑफ़ आर्ट्स एंड साइंस, पूनमल्ली , आवडी, तमिलनाडु	8	3	5	बैठक
24	13.02.23	16.02.23	अंग्रेजी	प्राथमिक शिक्षार्थी कोश तकनीकी शब्द चयन	आयोग समिति कक्ष	3	1	2	बैठक
25	13.02.23	16.02.23	अंग्रेजी	प्राथमिक शिक्षार्थी कोश तकनीकी शब्द चयन	आयोग समिति कक्ष	7	5	2	बैठक
26	25.02.23	05.03.23		नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला प्रदर्शनी	प्रगति मैदान , नई दिल्ली	NA	NA	NA	प्रदर्शनी
27	27.02.23	02.03.23	अंग्रेजी	माध्यमिक शिक्षार्थी कोश तकनीकी शब्द चयन	आयोग समिति कक्ष	3	0	3	बैठक
28	27.02.23	02.03.23	अंग्रेजी	माध्यमिक शिक्षार्थी कोश तकनीकी शब्द चयन	आयोग समिति कक्ष	5	3	2	बैठक
29	27.02.23	03.03.23	हिंदी	गणितीय परिभाषा कोश	आयोग समिति कक्ष	5	5	0	बैठक
30	10.03.23	11.03.23	पंजाबी	पंजाबी में तकनीकी शिक्षा और तकनीकी शब्दावली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब	104	77	27	संगोष्ठी
31	27.03.23	29.03.23	हिंदी	प्राचीन आयुर्वेद संहिता के	आयुर्वेद संस्थान पारुल	72	48	24	संगोष्ठी

				शिक्षण, अनुसंधान और विकास के संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य में आयुर्वेदिक शब्दावली की प्रगति और संभावना	विश्वविद्यालय लिमडा, वाधोडिया, वड़ोदरा,गुजरात				
32	03.04.23	06.04.23	गुजराती	रसायन मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-गुजराती)	आभासीय	9	8	1	आभासीय बैठक
33	17.04.23	21.04.23	कोंकणी	प्राणिविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-कोंकणी)	धेम्पे कॉलेज, मीरामार , गोवा	7	2	5	बैठक
34	17.04.23	21.04.23	कोंकणी	वनस्पतिविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-कोंकणी)	धेम्पे कॉलेज, मीरामार , गोवा	7	4	3	बैठक
35	17.04.23	21.04.23	कोंकणी	रसायन शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-कोंकणी)	धेम्पे कॉलेज, मीरामार , गोवा	7	6	1	बैठक
36	17.04.23	21.04.23	संस्कृत	कृषि विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-संस्कृत)	आयोग समिति कक्ष	4	3	1	बैठक
37	24.04.23	25.04.23	अंग्रेजी	प्राथमिक शिक्षार्थी कोश समीक्षा बैठक	अभाशी माध्यम	2	2	0	बैठक
38	27.04.23	28.04.23	हिंदी	कृषि विज्ञान संगोष्ठी	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, हिमाचल चरागाह भूमि, पालमपुर , हिमाचल प्रदेश	128	94	34	संगोष्ठी
39	08.05.23	12.05.23	संस्कृत	वनस्पति विज्ञान मूलभूत शब्दावली	आयोग समिति कक्ष	5	5	0	बैठक

				(अंग्रेजी-हिंदी-संस्कृत)					
40	08.05.23	12.05.23	बांग्ला	गणित मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-बांग्ला)	भारतीय सांख्यिकी संस्थान	9	6	3	बैठक
41	08.05.23	12.05.23	संस्कृत	प्राथमिक शिक्षार्थी कोश (संस्कृत)	आयोग समिति कक्ष	12	10	2	बैठक
42	10.05.23	12.05.23	संस्कृत	प्राथमिक शिक्षार्थी कोश (संस्कृत)	आभासीय	1	1	0	बैठक
43	11.05.23	15.05.23	संथाली	भौतिकी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-संथाली)	सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची	9	6	3	बैठक
44	15.05.23			भाषा शब्दावली और संस्कृति	आयोग समिति कक्ष	NA	NA	NA	संगोष्ठी
45	18.05.23	19.05.23	हिंदी	भारतीय भाषा, तकनीकी शब्दावली और उच्च शिक्षा	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार	131	107	24	संगोष्ठी
46	29.05.23	02.06.23	संथाली	प्राणिविज्ञान शब्द-संग्रह (संथाली)	संथाल परगना कॉलेज, दुमका, झारखंड	5	1	4	बैठक
47	29.05.23	02.06.23	गुजराती	रसायन मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-गुजराती)	वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत, गुजरात	13	11	2	बैठक
48	29.05.23	02.06.23	संथाली	कृषि मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-संथाली)	संथाल परगना कॉलेज, दुमका, झारखंड	6	6	0	बैठक
49	29.05.23	02.06.23	गुजराती	प्राथमिक शिक्षार्थी कोश (गुजराती)	वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत, गुजरात	13	9	4	बैठक

50	29.05.23	02.06.23	गुजराती	भौतिकी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-गुजराती)	भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला	10	9	1	बैठक

3. **दत्त सारणी :**

4.1: दत्त-सारणी -1

जून 2022 से जून 2023 तक आयोग द्वारा किए गए कार्यक्रमों का विवरण :

कार्यक्रम	**बैठक**		**संगोष्ठी**		**प्रशिक्षण कार्यक्रम**		**प्रदर्शनी**	
	प्रत्यक्ष	**आभासीय पटल**	**प्रत्यक्ष**	**आभासीय पटल**	**प्रत्यक्ष**	**आभासीय**	**प्रत्यक्ष**	**आभासीय पटल**
संख्या	31	3	10	0	1	0	5	0

4.2 : दत्त-सारणी -2

जून 2022 से जून 2023 तक आयोग द्वारा शब्दावली निर्माण हेतु भौतिक माध्यम से आयोजित बैठकों का विवरण :

कुल शब्दावली निर्माण प्रत्यक्ष बैठक	**कुल विशेषज्ञ**	**कुल विशेषज्ञों की संख्या**		
		महिला	**पुरुष**	**अन्य**
31	**209**	**57**	**152**	**-**

4.3: दत्त-सारणी -3

जून 2022 से जून 2023 तक आयोग द्वारा शब्दावली निर्माण हेतु अभासीय पटल के माध्यम से आयोजित बैठकों का विवरण :

कुल शब्दावली निर्माण आभासीय बैठक	**कुल विशेषज्ञ**	**कुल विशेषज्ञों की संख्या**		
		महिला	**पुरुष**	**अन्य**

2	15	4	11	-

4.4: दत्त-सारणी -4

जून 2022 से जून 2023 तक आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण :

कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम	कुल व्याख्यानदाताओं व प्रतिभागियों की संख्या	कुल व्याख्यानदाताओं व प्रतिभागियों की संख्या		
		महिला	पुरुष	अन्य
1	107	44	63	-

4.5: दत्त-सारणी -5

जून 2022 से जून 2023 तक आयोग द्वारा आयोजित भौतिक संगोष्ठियों का विवरण :

कुल प्रत्यक्ष संगोष्ठी	कुल व्याख्यानदाताओं व प्रतिभागियों की संख्या	कुल व्याख्यानदाताओं व प्रतिभागियों की संख्या		
		महिला	पुरुष	अन्य
9	894	266	628	-

4.6: दत्त-सारणी -6

जून 2022 से जून 2023 तक आयोग द्वारा आयोजित शिक्षार्थी कोश निर्माण हेतु भौतिक बैठकों का विवरण :

शिक्षार्थी कोश निर्माण प्रत्यक्ष बैठक	कुल विशेषज्ञ	कुल विशेषज्ञों की संख्या		
		महिला	पुरुष	अन्य
6	43	15	28	-

4.7: दत्त-सारणी -7

जून 2022 से जून 2023 तक आयोग द्वारा आयोजित शिक्षार्थी कोश निर्माण हेतु आभासीय बैठकों का विवरण :

	कुल विशेषज्ञ	कुल विशेषज्ञों की संख्या

शिक्षार्थी कोश निर्माण आभासीय बैठक		महिला	पुरुष	अन्य
2	3	0	3	-

4.8: दत्त-सारणी -8

जून 2022 से जून 2023 तक आयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम का विवरण :

क्षेत्र	आयोजित कार्यक्रम की संख्या
आभासीय	5
उत्तराखंड	1
उत्तर प्रदेश	1
ओडिशा	2
कर्नाटक	1
कोलकाता	2
गुजरात	7
गोवा	3
झारखंड	4
तमिलनाडु	2
नई दिल्ली	14
पंजाब	2
बिहार	2
मणिपुर	1
महाराष्ट्र	2

हिमाचल प्रदेश	1
	50

4. **दत्त-सारणी से उद्धृत किए गए वृत्तारेख :**

दत्त-सारणी -1

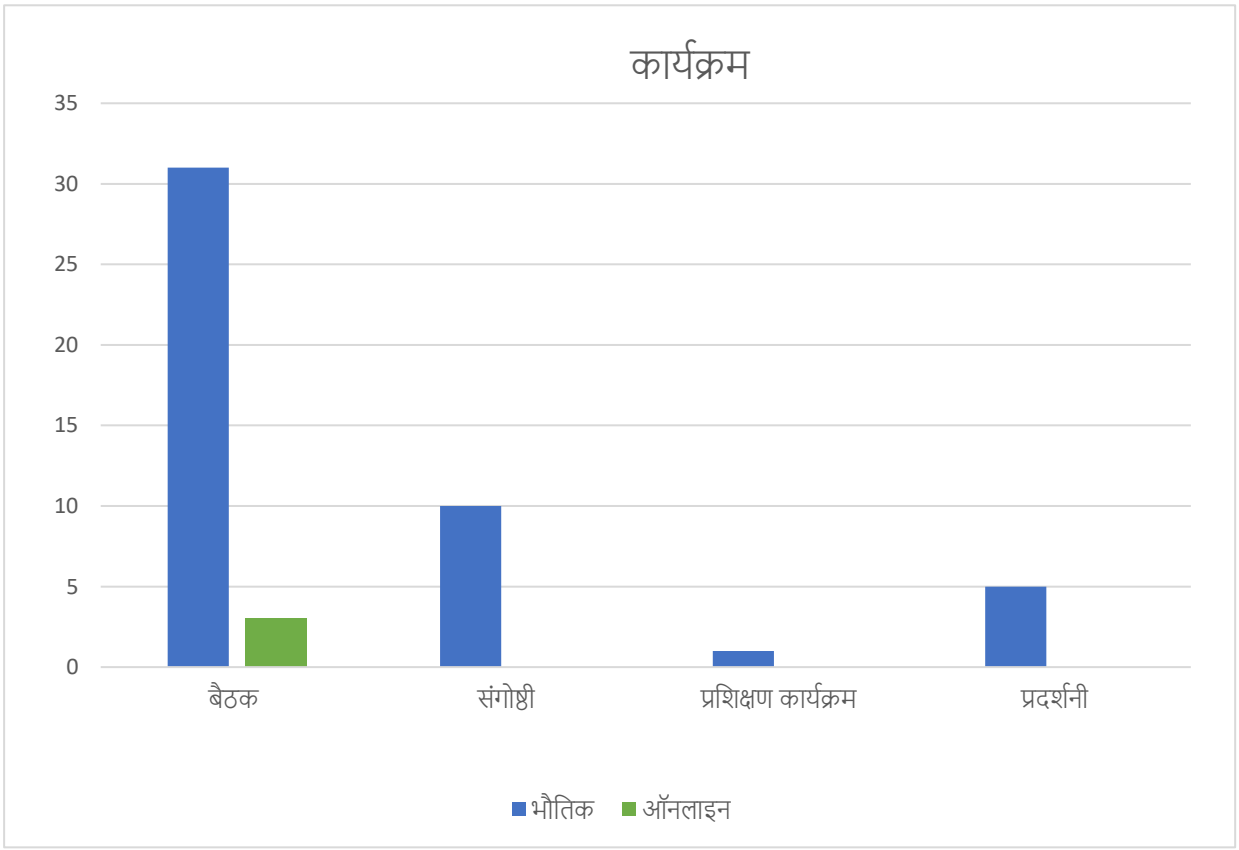

दत्त-सारणी -2

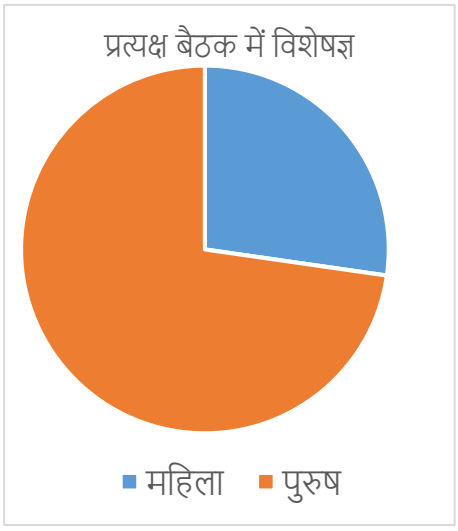

दत्त-सारणी -3

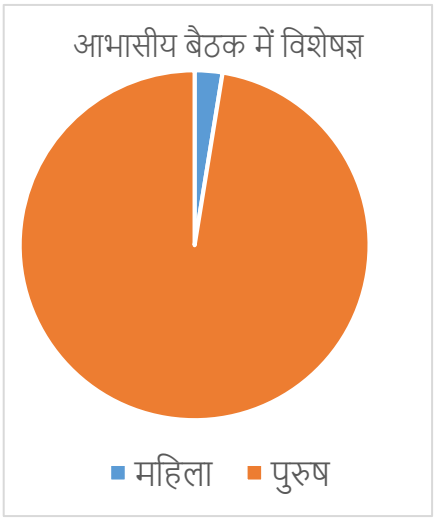

दत्त-सारणी -4

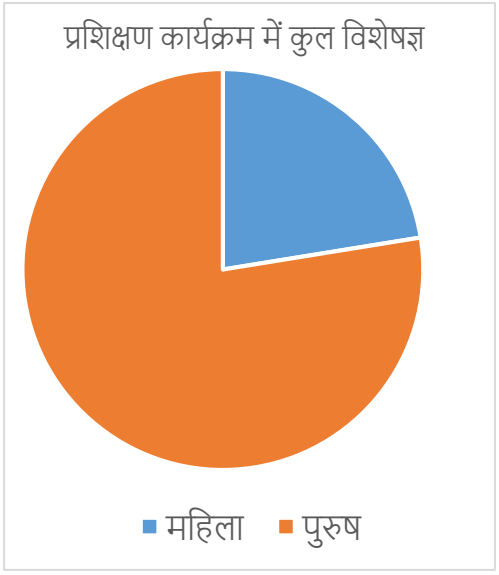

दत्त-सारणी -5

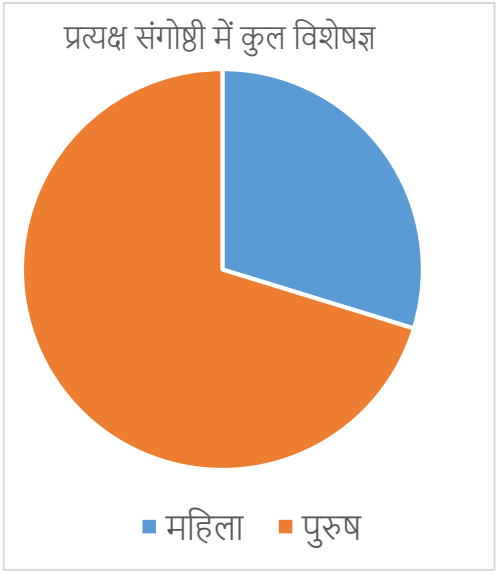

दत्त-सारणी -6

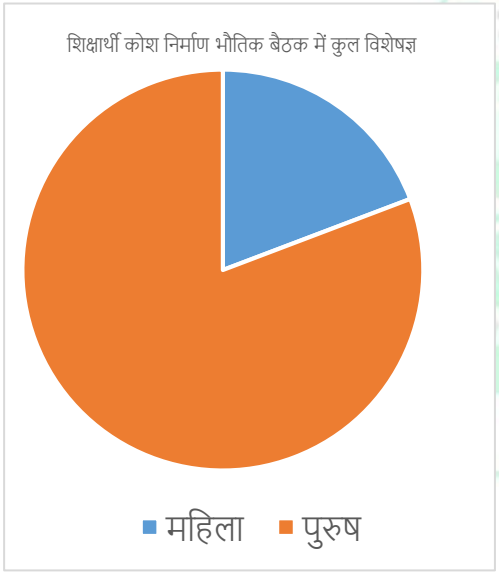

दत्त-सारणी -7

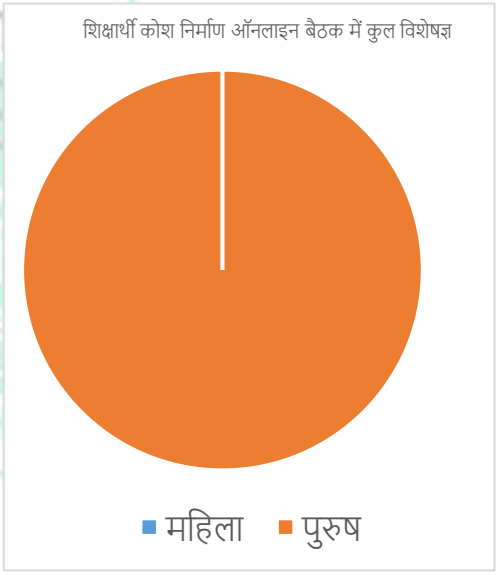

दत्त-सारणी -8

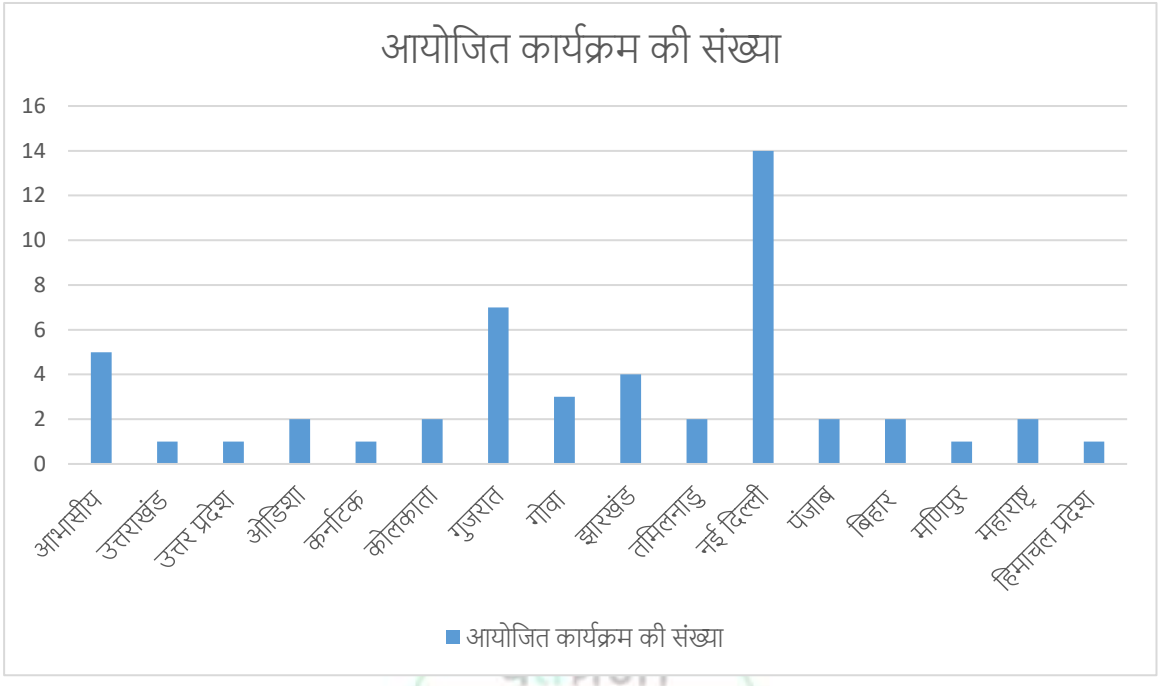

5. **दत्त विश्लेषण:**

जून 2022 से जून 2023 तक के अंतराल में आयोग द्वारा विभिन्न विषयों में किए गए कार्यक्रमों में से यादृच्छिक 50 कार्यक्रमों के दत्त का अध्ययन करने पर निम्नलिखित बिंदु विश्लेषणीय हैं :

क: महिला –पुरुष प्रतिभागिता :

1. 50 कार्यक्रमों में से कुल प्रतिभागिता 1391 है। इनमें कुल 941 प्रतिभागी पुरुष हैं व 450 प्रतिभागी महिलाएं हैं ।
2. विशेषज्ञ/व्याख्यानदाता / प्रतिभागी के रूप में महिलाओं की प्रतिभागिता केवल 32.35% है, जो कि बहुत ही कम है।
3. महिला/पुरुष प्रतिभागी के अतिरिक्त अन्य लिंग की प्रतिभागिता नहीं देखी गई।

ख: भौतिक माध्यम व आभासीय माध्यम के बैठक/ कार्यक्रम :

1. 50 कार्यक्रमों में से कुल भौतिक माध्यम से आयोजित बैठकें 31 हैं, जबकि आभासीय माध्यम से आयोजित बैठक केवल 02 ही हैं।
2. 50 कार्यक्रमों में से कुल भौतिक माध्यम से आयोजित संगोष्ठी 09 हैं।
3. इस दत्त से हम देख सकते हैं कि भौतिक माध्यम के कार्यक्रम ही ज्यादा लोकप्रिय हैं व आयोजन की दृष्टि से सुविधाजनक हैं।

ग: कार्यक्रमों में विविधता :

1. दत्त से सिद्ध होता है कि जहाँ बैठकों व संगोष्ठियों का आयोजन अधिक हुआ है, वहीं आयोग के अन्य कार्यक्रमों का आयोजन बहुत कम मात्रा में हुआ है।

घ : क्षेत्र विविधता :

1. दत्त से सिद्ध होता है कि बैठकों व संगोष्ठियों का आयोजन कुछ क्षेत्रों में ही अधिक हुआ है, कुछ क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ ही नहीं है।

च : संगोष्ठियों / प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागिता:

1. देखा जा सकता है कि आयोग के प्रचार-प्रसार संबंधित कार्यक्रमों जैसे कि संगोष्ठी/ प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागिता संख्या कम है।
2. 50 कार्यक्रमों में संगोष्ठी 9 हैं व प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 है। नियमानुसार कुल प्रतिभागिता 1100 से अधिक होनी चाहिए, जबकि कुल प्रतिभागिता केवल 1001 है।

छ : शिक्षार्थी कोश निर्माण बैठक:

1. शिक्षार्थी कोश निर्माण की बैठकों में भी महिला-पुरुष विशेषज्ञ प्रतिभागिता में बड़ा अंतर है।

चित्र: ***आयोग के कार्यक्रमों के कुछ चित्र***

7.1: बैठक

7.2: प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.3: प्रदर्शनी

7.4: शिक्षार्थी कोश निर्माण

7.5: आभासीय कार्यक्रम

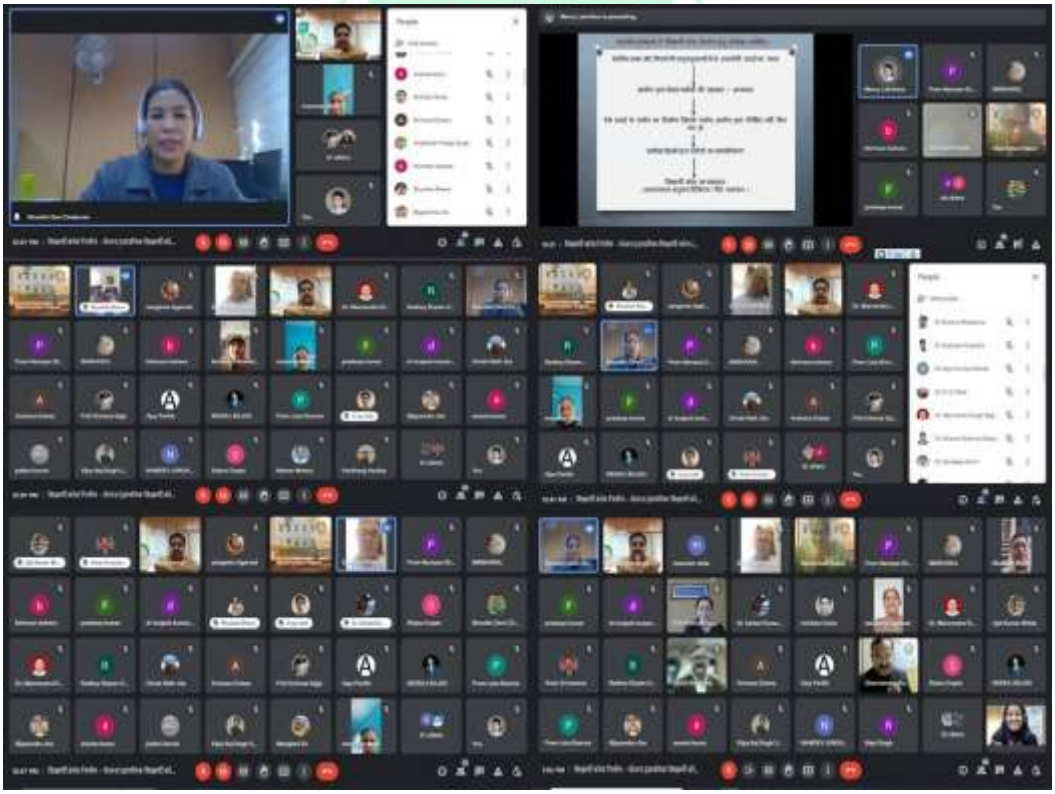

7.6: संगोष्ठी

6. **निष्कर्ष:**

संकलित दत्त से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :

1. आयोग के कार्यक्रमों में महिलाओं की प्रतिभागिता कम है। इसे बढ़ाने के लिए आयोग भविष्य के कार्यक्रमों में सुनिश्चित कर सकता है कि अधिक महिलाओं को आमंत्रित करे।
2. अपने प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम में आयोग विविधता सुनिश्चित कर सकता है।
3. साथ ही आयोग अपने कार्यक्रम को पूरे देश के विविध क्षेत्रों में आयोजित कर सकता है, जिससे आयोग का प्रचार-प्रसार होगा। साथ ही शब्दावली निर्माण में एकरूपता भी आएगी। इसके लिए एक सारणी तैयार की जा सकती है, जिससे उन क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, जहाँ पहले कभी आयोग के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए हों।

7. **संदर्भ :**

1. आयोग के बजट एवं लेखा अनुभाग में आयोग के कार्यक्रमों के उपलब्ध बिल दस्तावेज बैठक विवरणिकाएँ
2. आयोग के ट्विटर हैंडल @CommissionAnd पर उपलब्ध ट्वीट।

पत्रिकाएँ (त्रैमासिक) / Journals (Quaterly)

1- विज्ञान गरिमा सिंधु / Vigyan Garima Sindhu – Sciences, Applied Sciences and Technology

2- ज्ञान गरिमा सिंधु / gyan Garima Sindhu – Humanities and Social Sciences

सदस्यता शुल्क (उपर्युक्त दोनों के लिए) / Persons / Institutions:

प्रति अंक व्यक्तियों/ संस्थानों के लिए **Per Issue- For Individual / Institutions**	रु. 14.00 Rs. 14.00	पौंड 1.64 £ 1.64	डालर 4.84 $ 04.48
वार्षिक अभिदान **Annual Subscription**	रु. 50.00 Rs. 50.00	पौंड 5.83 £ 5.83	डालर 18.00 $ 18.00
प्रति अंक विद्यार्थियों के लिए **Per Issue – For Students**	रु. 8.00 Rs. 08.00	पौंड 0.93 £ 0.93	डालर 10.80 $ 10.80
वार्षिक अभिदान **Annual Subscription**	रु. 30.00 Rs. 30.00	पौंड 3.50 £ 3.50	डालर 2.88 $ 2.88

बिक्री संबंधी नियम / Rules Regarding Sales

1- आयोग के प्रकाशन, आयोग के बिक्री पटल तथा भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के विभिन्न बिक्री पटलों पर उपलब्ध होंगे।

The Publications of the Commission are available at the sale counter of the Commission and at the sale counters of Department of Publication, Government of India.

2- सभी प्रकाशनों की खरीद पर 25% की छूट दी जाती है। कुछ पुराने प्रकाशनों पर 75% तक भी छूट जाती है।

A rebate of 25% available on the purchase of all the publications of the Commission. Rebate upto 75% is given on a few old publications.

3- सभी तरह के आदेशों की प्राप्ति पर आयोग द्वारा इनवाइस जारी की जाती है। अपेक्षित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या मनीआर्डर अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली (Chairman, CSTT, New Delhi) के नाम देय होना चाहिए। चेक स्वीकार्य नहीं हैं। अपेक्षित धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् ही पुस्तकें भेजी जाती हैं। किंतु सरकारी संस्थानों, केन्द्रीय उपक्रमों और विश्वविद्यालयों को आदेश प्राप्त होने पर शीघ्र ही भेज दी जाएंगी, परन्तु इनका भुगतान एक माह के अंदर करना आवश्यक है ।

An invoice is issued by the Commission on the receipt of all types of purchase orders, Bank draft or money order for the requisite amount should be drawn in favour of the Chairman, CSTT, New Delhi. Cheques are not acceptable. The books are sent only after

the receipt of requisite amount but in case of Universities, Government institutions and Government of India Undertaking, the books will be dispatched immediately after receiving the demand of books, for which the payment will have to make within a month.

4- चार किलोग्राम वजन तक सभी पुस्तकें सामान्य डाक / अपंजीकृत पार्सल से भेजी जाती हैं। पुस्तकें भेजने पर पैंकिग तथा फॉरवर्डिंग चार्ज नहीं लिया जाता है।

All books weighing upto 4Kg. are sent by ordinary dak/unregistered parcel. No packing and for warding charge is levied on sending these books.

5- चार किलोग्राम से अधिक की सभी पुस्तकें रोड ट्रांसपोर्ट से भेजी जा सकती है तथा इन पर आने वाले सभी परिवहन- व्ययों का भुगतान मांगकर्ता द्वारा ही वहन किया जाएगा।

All books weighing more than 4 Kgs. are sent by road transport and the payment of transport charges on it are to be met by the indentor.

6- पुस्तकें रोड ट्रांसपोर्ट से भेजने के बाद आयोग द्वारा मूल बिल्टी तत्काल पंजीकृत डाक से मांगकर्ता को भेज दी जाती है। यदि निर्धारित अवधि में पुस्तकों को ट्रांसपोर्ट कार्यालय से प्राप्त न किया गया तो उस स्थिति में लगने वाले सभी तरह के अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान मांगकर्ता को ही करना होगा।

After sending the books by the road, transport, the original receipt (Bill T) is immediately sent by the Commission to the indentor by registered Post. However, if the books are not got released from the transport office within the stipulated period, all the extra-charges to be levied on it are to be met by the indentor.

7- रोड ट्रांसपोर्ट से भेजी जाने वाली पुस्तकों पर न्यूनतम वजन का प्रभार अवश्य लगता है जो प्रत्येक दूरी के लिए अलग-अलग होता है। यदि संबंधित संस्था चाहे तो आयोग में सीधे ही भुगतान करके पुस्तकें ले जा सकते है।

Minimum weighing charge is levied for books sent by road transport that varies based on distance. The concerned institution may also directly Purchase books by making necessary payment to the Sales Unit of the Commission.

8- दिल्ली तथा उसके नजदीक के क्षेत्रों के आदेशों की पूर्ति डाक द्वारा संभव नहीं है। संबंधित संस्था को आयोग के बिक्री एकक में आवश्यक भुगतान करके पुस्तकें प्राप्त करनी होगीं।

It will not be possible to supply books by post against the orders received from Delhi and its nearby area. The concerned institution will have to get the books from the Sales Unit of the Commission by making necessary payment.

9- पुस्तकों की पैकिंग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मांगकर्ता को सभी पुस्तकें अच्छी स्थिति में प्राप्त हों। पुस्तकें सामान्य डाक/अपंजीकृत पार्सल/रोड ट्रांसपोर्ट से भेजी जाती हैं। परिवहन में पुस्तकों को किसी भी तरह के नुकसान का दायित्व आयोग पर नहीं होगा।

All care is taken to ensure that the books are properly packed and sent to the indentor in a good condition. The books are sent by ordinary dak/un-registered parcel/road transport. The Commission will not be held responsible for any damage/loss in the transit.

10- सामान्यतः बिल कटने के बाद आदेश में बदलाव या पुस्तकें वापस नहीं होंगी। यदि क्रय राशि का समायोजन-आवश्यक होगा तो राशि वापस नहीं की जाएगी। इस स्थिति में पुस्तकें ही दी जाएंगी।

Generally, after issuance of the bill, neither change is allowed in the purchase order nor books are taken back. If need arises to adjust the amount, money will not be returned. However only books will be supplied against the said amount.

ग्राहक फार्म

सेवा में :

अध्यक्ष,

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,

पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110066

महोदय,

कृपया मुझे "ज्ञान गरिमा सिंधु" (त्रैमासिक पत्रिका) का एक वर्ष /पाँच वर्ष के लिए ..... से ग्राहक बनाएँ । मैं पत्रिका का वार्षिक सदस्यता शुल्क ..... रुपये, अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में, नई दिल्ली स्थित अनुसूचित बैंक में देय डिमांड ड्राफ्ट सं. ..... दिनांक ..... द्वारा भेज रहा/रही हूं। कृपया पावती भिजवाएं।

नाम.....

पूरा .....

.....

भवदीय

(हस्ताक्षर)

	सामान्य ग्राहकों / संस्थाओं के लिए	विद्यार्थियों के लिए
प्रति अंक	रु. 14-00	रु. 8-00
वार्षिक चंदा	रु. 50-00	रु. 30-00
पाँच व	रु. 250-00	रु. 150-00
दस वर्ष	रु. 500-00	रु. 300-00
बीस वर्ष	रु. 1000-00	रु. 600-00

डिमांड ड्राफ्ट "अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, के पक्ष में नई दिल्ली स्थित अनुसूचित बैंक में देय होना चाहिए। कृपया ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम पूरा पता भी लिखें। ड्राफ्ट 'एकांउट पेई' होना चाहिए। यदि ग्राहक विद्यार्थी है तो कृपया निम्न प्रमाणपत्र- भी संलग्न करे :

कृपया डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम और पता लिखें

विद्यार्थी-ग्राहक प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारीश्रीमती/श्री/ ..... इस विद्यालय/ महाविद्यालयविश्व/विद्यालय के ..... विभाग का छात्रकी/ छात्रा है ।

(हस्ताक्षर)
(प्राचार्य/विभागाध्यक्ष)
(मोहर)

प्रकाशन विभाग के बिक्री केंद्र

Sales Counters of Department of Publication

1	किताब महल प्रकाशन विभाग, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, स्टेट एम्पोरियम बिल्डिंग, यूनिट नं. 21, नई दिल्ली-110001	Kitab Mahal Department of Publication, Baba Kharag Sigh Marg, State Emporia Building, Unit No.-21, New Delhi-110001
2	बिक्री पटल प्रकाशन विभाग, उद्योग भवन, गेट न.-3, नई दिल्ली-110001	Sale Counter Department of Publication, Udyog Bhawan, Gate No.-3, New Delhi-110001
3	बिक्री पटल प्रकाशन विभाग, लोयर्स चैंबर, दिल्ली उच्च न्यायालय, गेट न.-3, नई दिल्ली-110001	Sale Counter Department of Publication, Lawyers Chambers, Delhi Highcourt, New Delhi-110001
4	बिक्री पटल प्रकाशन विभाग, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110001	Sale Counter Department of Publication, Union Public Service Commissions, Dholpur House, New Delhi-110001
5	बिक्री पटल प्रकाशन विभाग, सी.जी.ओ.काम्पलेक्स, न्यू मेरीन लाइन्स, मुंबई-400020	Sale Counter Department of Publication, C.G.O. Complex, New Marine Lines, Mumbai-400020
6	पुस्तक डिपो प्रकाशन विभाग, के.एस.राय मार्ग, कोलकाता-700001	Pustak Depot, Department of Publication, K. S. Roy Marg, Kolkata-700001

आयोग का बिक्री केंद्र

Sales Counter of CSTT

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066.	Commission for Scientific and Technical Terminology Ministry of Education West Block-VII, R. K. Puram, New Delhi-110066

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :

For detailed information please contact:

प्रभारी अधिकारी (बिक्री) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 फोन नं.-011-20867172/विस्तार-246	**The Officer-in-Charge (Sales)** Commission for Scientific and Technical Terminology Ministry of Education West Block-VII, R. K. Puram, New Delhi-110066 Ph. No.-011-20867172/ Extn.-246

© भारत सरकार
Government of India

ISSN : 2321-0443
UGC Care Listed Journal

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
पश्चिमी खंड-VII, रामकृष्णपुरम, सेक्टर-1
नई दिल्ली-110066
दूरभाष: +91-11- 20867172
वेबसाइट : www.cstt.education.gov.in

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY
MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
West Block-VI, Ramakrishnapuram, Sector-1
New Delhi-110066
Telephone : +91-11- 20867172
Website : www.cstt.education.gov.in